खण्ड-378, अंक-1
मंगलवार, 4 भाद्रपद, शक संवत् 1908
(26 अगस्त, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 378 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 26 अगस्त, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

———

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अमिताभ लवानियां, श्री	आगरा	मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	रजनी कान्त दत्त, डा0	वाराणसी
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं	संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
मंगलदेव, श्री	गोण्डा	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर	हरनारायण सिंह, श्री	रायबरेली

नोट :—श्री निसार अहमद अंसारी मा0 राज्य मंत्री, उद्योग विभाग ।

विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 26 अगस्त, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजनान्तर्गत पुरुष के स्थान पर केवल महिलाओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश

****1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–**

क्या चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई, 86 से प्रदेश के ग्रामों में कार्यरत पुरुष जनस्वास्थ्य रक्षकों की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा इनके स्थान पर जिन महिलाओं की नियुक्ति होगी उसकी प्रक्रिया क्या होगी तथा नियुक्ति कब से होगी ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना भारत सरकार द्वारा पुरानिधानित है और उनके निर्देशानुसार ही उक्त योजना में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के स्थान पर केवल महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों को नियुक्त किये जाने के आदेश शासन द्वारा जारी कर दिये गये हैं ।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों को दिनांक 1-8-86 से नियुक्त किये जाने की प्रक्रिया से सम्बन्धित आदेश शासनादेश दिनांक 9-7-86 में जारी कर दिए गये हैं। इन कार्यकर्त्रियों के चयन के सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें एवं प्रक्रिया संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 107-108 पर)

बस्ती में लेदर काम्पलेक्स स्थापित करने हेतु अधिग्रहीत भूमि पर भवन का निर्माण

****2–कुमारी अलमेलु अम्माल–**

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में बस्ती में लेदर काम्पलेक्स स्थापित करने का निर्णय हुआ था तथा इस लेदर काम्पलेक्स के लिए भूमि भी अधिग्रहीत की गयी थी व मुआवजा बांटने के बाद प्रश्नकर्ता के विधान सभा प्रश्न के जबाब में बताया गया था कि दिसम्बर, 1985 तक भवन बनना प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि हां, तो भवन बनाने की कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गयी तथा इस अधिग्रहीत भूमि पर कब तक भवन सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ किया जाएगा?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

जी हां ।

प्रश्नगत सामूहिक सुविधा केन्द्र के भवन के निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर को सौंपा गया है जिनके पास उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लि0, आगरा द्वारा रु0 20.00 लाख की धनराशि जमा की जा चुकी है । भवन निर्माण के आगणन बन चुके हैं । अधिग्रहीत भूमि पर भवन संबंधी कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा जिसको प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को भेजे गये हैं ।

दिनांक 26 अगस्त, 1986 के प्रश्नोत्तर को सदन में उत्तरित माना गया ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद सुल्तानपुर के होमगार्ड विभाग के स्वयं सेवकों को ड्यूटी-भत्ता वितरण में विलम्ब

*1—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत होमगार्ड विभाग के स्वयंसेवकों को कितने दिन से ड्यूटी एलाउन्स नहीं वितरण किया गया है ? जो नहीं वितरित किया गया है, उसका कुल एमाउन्ट कितना है ? वितरण न करने का कारण क्या है? एलाउन्स वितरण न करने से जो मानसिक एवं आर्थिक हानि स्वयं सेवकों को हुई उसका उत्तरदायी कौन है ? क्या दोषी व्यक्ति को दण्ड दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद सुल्तानपुर के होमगार्ड विभाग के स्वयं सेवकों को दिनांक 1-3-86 से डियूटी भत्ता वितरित नहीं किया गया है । वितरित न किये गये डियूटी भत्ते की कुल धनराशि रुपया 10,21,138/- है । वितरण न करने का कारण उप पुलिस महानिरीक्षक, फैजाबाद, की स्वीकृति का प्राप्त न होना, कम्पनियों से मस्टर रोल का न आना, बिल ट्रेजरी से पास न होना तथा अनुदान का उपलब्ध न होना है । होमगार्ड स्वयंसेवकों को डियूटी भत्ता समय से वितरित न करने का दायित्व निर्धारित कर इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाएगी ।

विधायक निवासों के विधायकों की सुविधाओं के लिये विद्युत, किराया, पानी तथा फर्नीचर आदि के रख रखाव पर व्यय

*2—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न विधायक निवासों में रहने वाले प्रत्येक विधायक पर अलग-अलग प्रति माह विद्युत किराया, अटेंडेण्ट बिजली की राड, बल्ब, बिजली के पंखे, पानी, फर्नीचर तथा अन्य रख रखाव में कितनी धनराशि व्यय होती है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विधायक निवासों में वित्तीय वर्ष 1985-86 में प्रश्नगत मदों पर (किराया छोड़कर) रु0 1,02,36,676·81 (एक करोड़ दो लाख छत्तीस हजार छः सौ छियत्तर रुपया इक्यासी पैसे) का व्यय हुआ । विधायकवार वांछित सूचना देना सम्भव नहीं है ।

[मंगलवार, दिनांक 26 अगस्त, 1986 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

टाउन एरिया अमेठी, जिला लखनऊ के मुन्शीगंज में विद्युतीकरण की मांग

*1—श्री शारदा प्रताप—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुखपाल पाण्डेय, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 1985 को नियम 301 के अन्तर्गत टाउन एरिया अमेठी, जिला लखनऊ के हरिजन बाहुल्य मोहल्ला मुन्शीगंज का विद्युतीकरण कराये जाने की सूचना दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त मोहल्ले का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं, अभी तक उक्त मोहल्ले का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ।

टाउन एरिया की वित्तीय स्थिति सुधरने पर उसके द्वारा विद्युतीकरण की कार्यवाही की जाएगी ।

सहकारी एवं सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को निजी क्षेत्र की मिलों की भांति निर्धारित गन्ना मूल्य दिलाये जाने की मांग

*2–श्री कनक सिंह–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्राइवेट मिलों ने चार रुपया प्रति कुन्तल गन्ना पर 85-86 में अनुदान दिया था? क्या यह सच है कि सरकार ने उक्त मिल मालिकान को अनुदान न देने के लिये बाध्य किया था? **क्या सरकार प्राइवेट मिलों की भांति सरकारी एवं सहकारी मिलों द्वारा कृषकों को चार रु0 प्रति कुन्तल गन्ने पर अनुदान देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?** यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पेराई सत्र 1985–86 में पश्चिमी क्षेत्र में स्थित निजी क्षेत्र की मोदीनगर, मवाना, दौराला, सिंभावली, शामली, खतौली, मंसूरपुर, देवबन्द तथा इकबालपुर चीनी मिलों ने जनवरी, 1986 के अन्तिम सप्ताह से लेकर फरवरी, 1986 के अन्त तक केवल कुछ समय के लिए चार रुपया प्रति कुन्तल गन्ना विकास अनुदान के रूप में गन्ना पूर्ति करने वाले कृषकों को भुगतान किया। यह सत्य नहीं है कि सरकार ने उक्त मिल मालिकान को उक्त अनुदान न देने के **लिए बाध्य किया।**

प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 1985–86 के लिए सहकारी/सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के लिए पश्चिमी एवं मध्य में स्थित चीनी मिलों के लिए 24.00 रु0 प्रति कुन्तल तथा पूर्वी क्षेत्र के चीनी मिलों के लिए 23.00 रु0 प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य भुगतान करने का परामर्श दिया। चूंकि यह गन्ना मूल्य दर पेराई सत्र 1984–85 में निर्धारित गन्ना मूल्य से 2 रु0 प्रति कुन्तल अधिक है तथा परामर्शित गन्ना मूल्य की दर पर ही गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है, अतः सरकारी/सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा गन्ने पर अनुदान दिये जाने की कोई योजना नहीं है।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा इन्दिरा नगर में अल्प आय वर्ग के आवंटियों द्वारा निर्धारित समय पर किश्तों के भुगतान न करने के कारण निरस्त किये गये आवंटन तथा भवनों के मूल्य

*3–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 आवास विकास परिषद्, लखनऊ की इन्दिरा नगर कालोनी के सेक्टर 1, 2, 3 व 4 में 31 दिसम्बर, 1985 तक अल्प आय वर्ग के आवंटित भवनों का कब्जा न लेने निर्धारित समय पर किश्तों का भुगतान न करने के कारण आवंटन निरस्त कर दिये गये हैं? यदि हां, तो उक्त सेक्टरों में किस-किस नम्बर के भवन खाली पड़े हुये हैं और प्रत्येक भवन का मूल्य क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत कालोनी में दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 तक समय से किश्तों का भुगतान न करने के आधार पर 61 भवनों के आवंटन निरस्त किए गये हैं। इन भवनों के नम्बर तथा मूल्य संलग्न सूची में अंकित हैं, किन्तु यह भवन अभी पुराने आवंटियों के कब्जे में होने के कारण खाली नहीं हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 109-110 पर)

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सुल्तानपुर में गन्ने के तौल एवं ढुलाई आदि में की गयी अनियमितता

*4—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, सुल्तानपुर के इस वर्ष जो चीनी मिल के तौल कांटे लगाये गये थे उस पर से गन्ना ढुलाई के लिये किन-किन लोगों को ठेका दिया गया तथा उनका नाम क्या है? क्या यह भी सही है कि तौल कांटे पर गन्ना 10-15 दिनों तक पड़ा सूखता रहा गन्ना न उठाने से किसानों के गन्ने की तौल नहीं होती थी, ठेकेदार मनमाने तौर पर ढुलाई करते थे एवं इससे तमाम किसानों को मानसिक कष्ट एवं क्षति हुई ? क्या भविष्य में इसी प्रकार की प्रक्रिया को समाप्त करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 , सुल्तानपुर ने पेराई सत्र 1985-86 में मिल गेट के अतिरिक्त 25 सुरक्षित/अभ्यर्पित वाह्य क्रय केन्द्रों से गन्ने की खरीद की तथा इन क्रय केन्द्रों से ढुलाई हेतु संलग्न तालिका के अनुसार लोगों को ठेका दिया गया ।

यह सही नहीं है कि क्रय केन्द्रों पर 10-15 दिनों तक गन्ना पड़ा सूखता रहा तथा गन्ना न उठाने से कृषकों के गन्ने की तौल नहीं की गयी । ठेकेदारों द्वारा मनमाने ढंग से ढुलाई कार्य करने की कोई शिकायत प्रकाश में नहीं आयी । भविष्य में गन्ने के तौल एवं ढुलाई आदि की नियमानुसार और कड़ी व्यवस्था की जायेगी ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 111 पर)

सचिवालय में गेट बन्दी के आदेश का औचित्य

*5—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा अभी हाल में जारी किये गये गेट बन्दी (सचिवालय) सम्बन्धी आदेश का औचित्य क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सचिवालय और शासन में गतिशीलता व अनुशासन में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है कि सचिवालय के सभी गेट प्रातः 10.15 बजे से 11.15 बजे तक बन्द रखे जायं।

डाक्टर बंगाली सिंह विधायक को कतिपय व्यक्तियों द्वारा मारने की धमकी से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

*6—डाक्टर बंगाली सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का दिनांक 20-4-86 को इस आशय का पत्र मिला था कि विधायक (डा0 बंगाली सिंह) को ग्राम लालपुर, थाना हाथरस, जंक्शन खैर-गढ़ के राम रतन शर्मा पुत्र श्री रोशन लाल शर्मा तथा भगवती प्रसाद शर्मा पुत्र श्री भोज-राज, श्री चन्द्रपाल उपाध्याय पुत्र श्री सेवा-राम तथा श्री महेन्द्र पाल दीक्षित पुत्र श्री डोरी लाल निवासी जलालपुर मारना चाहते हैं? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार पत्र में अंकित तथाकथित आरोपों की जांच करायी गयी। जांच से यह तथ्य प्रकाश में आये कि प्रश्न में अंकित व्यक्तिगण डा0 बंगाली सिंह विधायक से द्वेष-भाव व रंजिश रखते हैं। इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा शांति

व्यवस्था की दृष्टि से डा0 बंगाली सिंह विधायक के विपक्षीगणों के विरुद्ध धारा 107/116 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही की गयी। मा0 विधायक डा0 बंगाली सिंह की सुरक्षा हेतु राम रतन शर्मा पुत्र रोशन लाल व भगवती प्रसाद पुत्र भोजराज की लाइसेंसी बंदूक के लाइसेंस निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

डा0 बंगाली सिंह की सुरक्षा हेतु उनके निवास स्थान पर एक सशस्त्र गार्ड व उन्हें एक अंगरक्षक प्रदान कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस को ग्राम लाड़पुर में समुचित पुलिस गश्त करने व विपक्षीगणों की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

उप निबन्धक कार्यालय, कन्नौज, फर्रुखाबाद में कार्यरत पानी पिलाने वाले को चपरासी के पद पर नियुक्त न करने का औचित्य

*7—श्री सरदार सिंह—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निबन्धक कार्यालय कन्नौज फर्रुखाबाद के कार्यालय में कार्यरत पानी पिलाने वाले (श्री श्रीकृष्ण) जो 1958 से वही कार्य कर रहा है, से चपरासी के सभी कार्य उप निबंधक द्वारा लिये जाते रहे हैं परन्तु जब भी वहां पर चपरासी की रिक्त जगहें भरी गयीं नियमानुसार उसको न लेकर नए लोगों को भर्ती कर लिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

श्री श्रीकृष्ण ने उप निबंधक कार्यालय कन्नौज में अंशकालिक रूप से पानी पिलाने का कार्य मार्च, 1964 से अगस्त, 1972 तक किया तथा मार्च, 1974 से अब तक यही कार्य कर रहे हैं। कार्यालय के चपरासी के सभी कार्य उससे नहीं लिये जाते। जहां तक चपरासी के रिक्त पदों पर उनकी नियुक्ति का प्रश्न है उनकी शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा चपरासी के पद के योग्य नहीं थी।

इलाहाबाद विकास प्रधिकरण में मनोनयन की प्रक्रिया

*8—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में इस समय कौन-कौन से व्यक्ति सदस्य हैं और नगर क्षेत्र के विधायकों को इसमें शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में इस समय निम्न तीन व्यक्ति गैर सरकारी सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये गये हैं:—

1—श्री सतीश चन्द्र जायसवाल, विधायक।
2—श्री अशोक बाजपेयी।
3—श्री सुशान्त सोम।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ज) के प्राविधान के अनुसार यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर है कि वह प्राधिकरण के गठन पर तीन से अनधिक ऐसे अन्य सदस्यों के नाम निर्देशित करें। चूंकि उक्त अधिनियम में कोई उपबन्ध अथवा प्रतिबंध प्राविधानित नहीं है अतएव राज्य सरकार यदि चाहे तो किसी विधायक को भी प्राधिकरण में गैर सरकारी सदस्य मनोनीत कर सकती है। अतएव नगर क्षेत्र के विधायकों को विकास प्राधिकरण में शामिल न किये जाने का कोई कारण होने का प्रश्न नहीं है।

*9—श्री कौशिक रमा शंकर—

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

*10–श्री राम पाल सिंह एडवोकेट–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*11–इन्जीनियर मोहम्मद अबरार अहमद तथा श्री अकबर हुसैन बावर–

[7वीं सोमवार में तारां0 प्र0 सं0 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किये जाने का मापदण्ड तथा राशि

*12–श्री राम सरन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से उन पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करती है जो इसी प्रदेश के निवासी है और उन्हें अपने वीरतापूर्ण कार्यों के लिए सेवा मैडल मिलता है? यदि हां, तो इस तरह के पुरस्कारों की राशि क्या है और इसे पुरस्कृत करने का क्या मापदण्ड है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक प्रदेश शासन की संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। उक्त पदकों के धारकों को उनके रैंकों का विचार किए बिना निम्न दर पर आर्थिक भत्ता स्वीकृत किया जाता है, जो दिनांक 24 सितम्बर 1982 से प्रभावी है:–

1.	राष्ट्रपति का पुलिस पदक	रुपये 90/- प्रतिमाह
2.	उक्त पदक का बार	रुपये 60/- प्रतिमाह
3.	पुलिस पदक	रुपये 60/- प्रतिमाह
4.	उक्त पदक का बार	रुपये 30/- प्रतिमाह

उक्त आर्थिक भत्ते की धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रसारित तद्विषयक नियमों के अनुसार स्वीकृत की जाती है।

सहायक आयुक्त कर निर्धारण एवं सहायक आयुक्त न्याय के पदों पर पदोन्नतियां एवं आवंटित कार्य

*13–श्री बलराम यादव–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि सहायक आयुक्त कर निर्धारण एवं सहायक आयुक्त न्याय के पदों पर 31 पदोन्नतियां की गयीं परन्तु पदोन्नत अधिकारियों को पद के अनुसार कार्य का आवंटन नहीं किया गया है जिसमें करोड़ों रुपये की राजस्व की हानि हुई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या शासन उक्त अधिकारियों को उनके पद के अनुरूप कार्य का आवंटन करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सहायक आयुक्त के पदों पर 31 पदोन्नतियों की गयीं। इनसे कुछ मुख्य रूप से करापवंचन विरोधी कार्य कराया गया जिस से विभाग को लाभ हुआ है। उक्त अधिकारियों को उनके पद के अनुरूप ही शासन के हित में कार्य दिया गया है।

*14–श्री किशन लाल दिलेर–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*15–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

सातवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक आय जुटाने का सुझाव

*16–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक आय जुटाने का सुझाव दिया है ? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसकी रूप रेखा क्या है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद नैनीताल के स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर नकदीकरण अवकाश का शासनादेश लागू न होना

*17–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नकदीकरण अवकाश के बारे में जो नवीन राजाज्ञा जारी की गयी है, जिसमें 120 दिन के बजाय 90 दिन पूरे करने पर एक माह के नकदीकरण अवकाश का प्राविधान किया गया है वह स्थानीय निकाय के कर्मचारियों पर लागू नहीं है? यदि हां, तो इस विभेद का कारण क्या है? यदि नहीं, तो नैनीताल जनपद की स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को नवीन शासनादेश के अनुसार सुविधा न मिलने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बिना अवकाश पर गये नकदीकरण की सुविधा संबंधी राज्य कर्मचारियों के लिए जारी की गई राजाज्ञा स्थानीय निकाय कर्मचारियों पर प्रभावी नहीं है ।

वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) वर्ष 1979-80 द्वारा अपने प्रतिवेदन में स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के लिए अवकाश के नकदीकरण के संबंध में कोई संस्तुति न करने तथा स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को प्रश्नगत सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 इकाई घुघली, गोरखपुर के सामान्य प्रबन्धक श्री सुदामा प्रसाद श्रीवास्तव के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा अपराधी लोगों को मिल में भर्ती किये जाने संबंधी जांच

*18–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 15-4-86 को उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 इकाई घुघली, गोरखपुर के सामान्य प्रबन्धक श्री सुदामा प्रसाद श्रीवास्तव के विरुद्ध भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय आदेशों की अवहेलना आदि के गम्भीर आरोप युक्त पत्र उन्हें दिया था? यदि हां, तो क्या आरोपों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कब और किस अधिकारी द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 15-4-86 का पत्र प्राप्त हुआ था ।

प्रश्न गत शिकायती पत्र की जांच हेतु उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम को प्रेषित किया गया था । निगम ने आरोपों की जांच हेतु मुख्य गन्ना विकास सलाहकार को 28-7-1986 को जांच अधिकारी नियुक्त किया है । जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

*19–श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि माननीय विधायक श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा जिलाधिकारी, गोरखपुर को सम्बोधित दिनांक 23-4-86 को एक पत्र इस आशय का दिया था कि सामान्य प्रबन्धक श्री सुदामा प्रसाद श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई घुघली (गोरखपुर) अपराधी लोगों को मिल में भर्ती कर या किराये पर रखकर उनकी हत्या करने की साजिश कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि क्षेत्राधिकारी पुलिस नौतनवा ने इस संबंध में कोई जांच रिपोर्ट भी हाल में विभागीय अधिकारियों को भेजी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है एवं रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नैनीताल क्लब, नैनीताल में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण की मांग

*20–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि नैनीताल क्लब, नैनीताल में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के क्रमशः कितने कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं ? इन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कब तक विनियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नैनीताल क्लब, नैनीताल में चतुर्थ श्रेणी के समकक्ष वर्तमान में 18 दैनिक वेतन कर्मचारी कार्यरत हैं । तृतीय श्रेणी के अंतर्गत कोई भी दैनिक वेतन कर्मचारी कार्यरत नहीं है ।

3 वर्ष की निरन्तर सेवा होने पर ज्येष्ठता के आधार पर पद उपलब्ध होने पर ही विनियमित किया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0, झांसी में आशुलिपिक की परीक्षा में अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों का चयन

1–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में 19वां वृत्त सा0 नि0 वि0 में 2 व 3 जुलाई को आशुलिपिकों की भर्ती हेतु कोई परीक्षा ली गयी थी ? यदि हां, तो इसमें कितने पद अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के लिये थे ? क्या इन श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन किया गया ? इस श्रेणी के प्रत्येक वर्ग के कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे और उनमें से कितनों का चयन किया गया? क्या परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने की शिकायत पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 2 व 3-7-85 को 19वां वृत्त, सा0 नि0 वि0, झांसी के अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड, सा0नि0वि0 झांसी में आशुलिपिकों की परीक्षा ली गयी थी ।

सूचना उपलब्ध नहीं है ।

जी हां ।

7 अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के, 3 अभ्यर्थी पिछड़ी जाति के तथा शेष सामान्य जाति के अभ्यर्थी बैठे, जिनमें एक अनुसूचित जाति, एक पिछड़ी जाति एवं चार सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के चयन किए गये ।

कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंभावली शुगर फैक्ट्री, गाजियाबाद के केन यार्ड में कृषकों एवं जानवरों हेतु बचाव के लिए समुचित व्यवस्था

2–श्री कनक सिंह–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंभावली शुगर फैक्ट्री जिला गाजियाबाद में लगभग 2000 गाड़ियां प्रतिदिन मिल गेट पर आती हैं परन्तु केन यार्ड में कृषकों एवं जानवरों के लिए धूप, वर्षा अथवा ओला आदि से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जिससे किसानों एवं उनके जानवरों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कठिनाई से बचने के लिए कोई समुचित उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंभावली शुगर फैक्ट्री जनपद गाजियाबाद में प्रतिदिन सामान्यतया 1000 गाड़ियां मिल गेट पर गन्ना पूर्ति हेतु आती हैं ।

धूप वर्षा तथा ओला आदि से बचाव के लिए कृषकों के लिए 40 फीट×20 फीट का एक विश्रामालय तथा जानवरों के लिए 23 फीट×86 फीट का एक कैटिल शेड उपलब्ध है ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ में पेयजल नमूनों का परीक्षण, स्वच्छता बनाये रखने हेतु दिये गये निर्देश

3–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत विगत पांच वर्षों में की गयी पेयजल सुविधा के क्रमश: कितने-कितने पेयजल नमूनों का किन-किन परीक्षण केन्द्रों में वर्षवार परीक्षण किया गया? इन वर्षों में कुल कितने पेयजल के नमूनों को पीने के अयोग्य घोषित किया गया? अयोग्य घोषित पेयजल को पीने से बन्द करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में विगत पांच वर्षों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार पेय-जल नमूने परीक्षित किये गये :–

(1) जल संस्थान द्वारा परीक्षित पेय-जल नमूनों का विवरण :–

वर्ष	परीक्षित नमूने	प्रयोगशाला का नाम जिनमें परीक्षण किया गया	असंतोषजनक नमूने
1981–82	19	जल संस्थान की प्रयोग-शाला–नैनीताल	–
1982–83	56	– तदैव –	–
1983–84	164	– तदैव –	–
1984–85	113	– तदैव –	–
1985–86	73	– तदैव –	–

(2) स्वास्थ्य विभाग द्वारा परीक्षित नमूनों का विवरण :–

वर्ष	परीक्षित नमूने	प्रयोगशाला का नाम	असंतोषजनक नमूने
1982	122	पब्लिक हेल्थ लैब पिथौरागढ़	7
1983	40	– तदैव –	3
1984	26	– तदैव –	13
1985	18	– तदैव –	4
	1	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	– –
1986	2	पब्लिक हेल्थ लैब, पिथौरागढ़ ।	1

स्वास्थ्य विभाग द्वारा पेयजल नमूनों के परीक्षणोपरान्त विगत 5 वर्षों में पाये गये 28 असन्तोषजनक नमूनों के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अधिशासी अभियंता, कुमायूं जल संस्थान को विसंक्रमण (उचित मात्रा में एलमडोंजिंग एवं क्लोरीनेशन किये जाने) एवं स्वच्छता बनाये रखने के लिये निर्देशित किया गया ।

पर्वतीय विकास क्षेत्र में स्टोन कार्विंग प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्रों की स्थापना

4–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास क्षेत्र में स्टोन कार्विंग प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों की कहां-कहां स्थापना की गयी है? इस मद में अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है? इस योजना के प्रारम्भ से अब तक कितने प्रशिक्षार्थियों को प्रतिशित किया गया तथा कुल कितने मूल्य का उत्पादन किया जा चुका है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

स्टोन कार्विंग प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना जनपद चमोली के कर्ण-प्रयाग नामक स्थान पर की गई है। इस मद में अब तक 1,11,809 रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है। योजनान्तर्गत रेगुलकर कोर्स में अब तक कोई प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित नहीं किया गया है बल्कि आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत 3 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। योजनान्तर्गत कुल 4353 रुपये मूल्य का उत्पादन किया जा चुका है।

कलस्टर केन्द्र एवं उड कार्विंग ट्रेनिंग एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना योजना के अन्तर्गत स्थापित केन्द्र

5–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कलस्टर केन्द्र एवं उड कार्विंग ट्रेनिंग एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितने केन्द्र स्थापित किये गये? कितनी धनराशि की सामग्री का उत्पादन किया गया? यह योजना कब से प्रारम्भ की गयी? योजना प्रारम्भ से अब तक इसमें वर्षवार कितना खर्च किया जा चुका है? इस योजना में कितने लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कलस्टर केन्द्र एवं उड कार्विंग ट्रेनिंग एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना योजना के अन्तर्गत अब तक जनपद देहरादून में निम्न 3 केन्द्र स्थापित किये गये हैं :–

1–सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र कालसी ।

2–राजकीय कढ़ाई, बुनाई एवं प्रशिक्षण केन्द्र चकराता ।

3–राजकीय उड कार्विंग/ट्रेनिंग उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र त्यूड़ी ।

योजना अन्तर्गत अब तक रु0 89,355.50 की धनराशि की सामग्री का उत्पादन किया गया। यह योजना वर्ष 84-85 से प्रारम्भ की गई ।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	धनराशि
84–85	65,799.70
85–86	1,96,354.67
86–87 (जुलाई, 1986 तक)	55,663.57
योग	3,17,817.94

योजना में अब तक कुल 43 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

जनपद अल्मोड़ा में अंगोरा शशक इकाई की स्थापना तथा व्यय

6–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में स्थित अंगोरा शशक पाइनियर इकाई की स्थापना कब की गयी है? इसमें अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है? इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने उद्यमियों को प्रशिक्षित व लाभान्वित किया गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद अल्मोड़ा में अंगोरा शशक इकाई की स्थापना 20 अक्टूबर, 1984 में की गयी ।

जुलाई, 1986 तक कुल रु0 6,58,315·90 खर्च हुआ ।

इस योजना के अन्तर्गत 14 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है। तथा शशक पालन में 27 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है ।

जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में पशु सेवा केन्द्र तथा पशुधन विकास सहायकों के रिक्त पदों की आपूर्ति

7–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में क्रमशः कुल कितने पशु सेवा केन्द्र हैं ? इनमें से कितनों में पशु विकास सहायकों के पद क्रमशः कब से रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा क्रमशः 62 तथा 70 कुल 132 पशु सेवा केन्द्र हैं ।

इनमें से जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में क्रमशः 6 तथा 24 पद निम्नलिखित अवधि से रिक्त हैं :–

	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	योग
7–81	--	1	1
81–82	--	1	1
1984	2	11	13
1985	4	11	15
योग–	6	24	30

पशुधन विकास सहायकों के रिक्त पदों को भरने के लिए नैनीताल मण्डल को 57 नये अभ्यर्थियों का आवंटन किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1981-82	21
1983-84	13
1984-85	15
1985-86	08
योग–	57

जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के पशु सेवा केन्द्रों के लिये विभागीय भवन बनाने की मांग

8–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के किन-किन पशु सेवा केन्द्रों का अपना विभागीय भवन नहीं है? इन भवनों का कुल कितना किराया किन मानकों के आधार पर दिया जाता है? इनमें शासन कब तक अपना विभागीय भवन बना लेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूची संलग्न है ।

जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत पशु सेवा केन्द्रों के भवनों के लिए कुल 20,520

रुपए तथा पिथौरागढ़ के पशु सेवा केन्द्रों के भवनों के लिए 12,420 रु0 वार्षिक किराया दिया जाता है। किराये का निर्धारण वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश – संख्या-ए-2-2213/दस-83-14 (30)/73, दिनांक 7 जुलाई, 1983 के अनुसार स्वीकृत दरों पर किया जाता है, तथा स्थानीय क्षेत्रों में भवन की उपलब्धता तथा भवन स्वामी की सहमति से स्वीकृतियां दी जाती हैं।

विकेन्द्रित जिला योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन समिति द्वारा परिव्यय उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त पंचवर्षीय योजना के अनुवर्तीय वर्षों में आय-व्ययक प्राविधान होने के उपरान्त ही विभागीय भवनों का निर्माण सम्भव हो सकेगा।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 112-113 पर)

जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में ऊन बैंकों की स्थापना की मांग

9–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि सरकार ने जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में उनके द्वारा चल रहे लघु उद्योगों को जीवित रखने तथा सशक्त बनाने के लिए अल्मोड़ा में ऊन बैंक की स्थापना की है ? यदि हां, तो इसकी प्रधान केन्द्र की शाखायें सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के प्रत्येक विकास खण्ड में तुरन्त खोलते हुए वहां नियमित ऊन विक्रय के लिए क्या-क्या प्रबन्ध सुनिश्चित किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुन्सियारी, धारचूला, डीडीहाट तथा बेरीनाग के थल नामक स्थान पर ऊन बैंक की स्थापना की गई है। उक्त शाखाओं के माध्यम से ही पिथौरागढ़ जनपद के अन्य विकास खण्डों में भी ऊन विक्रय किया जाता है।

जनपद पिथौरागढ़ में जल संस्थान द्वारा जल आपूर्ति पानी के दरों का भुगतान

10–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में जल संस्थान द्वारा जल आपूर्ति पानी के दरों का भुगतान विगत पांच वर्षों में किन अवधियों में लिया गया? क्या यह सत्य है कि इस जनपद में दरों का भुगतान करने के लिए निर्धारित बिलों को निश्चित तिथियों (पूर्व निर्धारित समयावधियों) में न भेजकर देरी से भेजा जाता है जिस कारण उपभोक्ताओं में एक मुश्त आर्थिक भार बढ़ जाता है? यदि हां, तो बिलों को समय से भेजने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में जल संस्थान द्वारा जल आपूर्ति पानी के दरों का भुगतान विगत 5 वर्षों में (1982 से 1986 तक) प्रति वर्ष प्रत्येक दो माह में प्राप्त किए गए थे। जल स्तम्भ शुल्क दरों का भुगतान हेतु प्रति वर्ष प्रत्येक छठा तथा बारहवां माह निर्धारित किया गया था। सामान्यतः जल शुल्क एवं सार्वजनिक जल स्तम्भ दरेक नियमानुसार निर्धारित अवधि में ही भेजे गए हैं।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में पेयजल पाइप टूट जाने संबंधी पत्र

11–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास

खण्ड बेरीनाग में ग्राम दौला बलिया के हरिजन निवासियों का पेयजल पाइप टूट जाने संबंधी पत्र अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, जनपद पिथौरागढ़ को वर्ष 1985 में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो इस प्रकार क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त योजना में मरम्मत कार्य करवा-कर नियमित जलापूर्ति करवा दी गई है।

तहसील डीडीहाट, पिथौरागढ़ अन्तर्गत थल जौरासी पैदल मार्ग में बने इस्कबर का वर्षा में बह जाना

12–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सार्व0 नि0 मंत्री को ज्ञात है कि तह0 डीडीहाट (पिथौरागढ़) में वि0 खं0 डीडीहाट अंतर्गत भूमि या थलजौरासी पैदल मार्ग में चर्मा नदी पर ग्राम जाख-धोलेते के पास सन् 1983 में दो इस्कबर बने थे? यदि हां, तो कितनी धनराशि से? क्या यह सही है कि इन इस्कबरों के बनने के बाद की पहली वर्षा ऋतु में ही ही ये इस्कबर बह गये थे? यदि हां, तो इसे स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, दो इस्कवर रु0 2000/- की लागत पर बनाये गये थे जो अत्यधिक वर्षा के कारण बह गये थे। इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया अतः कोई कार्यवाही किसी के विरुद्ध नहीं की गई।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत मनिभागर नगर खान लिंक मोटर मार्ग बनाने की मांग

13–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत मनिभागर नगर खान लिंक मार्ग बनाने की मांग वर्षों से उस क्षेत्र की जनता करती आ रही है? यदि हां, तो स्वतंत्रता पूर्व में ही बनी जिला परिषद् की 6 फुट चौड़ी समतल सड़क को आधार मानकर इस मार्ग को सरकार कब तक स्वीकृत व क्रियान्वित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, उक्त मार्ग की मांग की जाती रही है। जिला परिषद् का उक्त पैदल मार्ग सम्पूर्ण लम्बाई में 6 फीट नहीं है। बल्कि कही-कहीं केवल 2 फीट चौड़ी पगडंडी ही है और उसके अगल-बगल ग्रामवासियों के मकान तथा खेती योग्य भूमि है। कहीं पर वनीकरण भी किया हुआ है। अतः इन परिस्थितियों में जिला परिषद् के मार्ग को आधार मानकर लिंक मोटर मार्ग बनाया जाना संभव नहीं है।

सीमान्त जनपद, पिथौरागढ़ में अच्छी नस्लों के पालतू जानवरों की नस्ल वृद्धि हेतु कथित मांग पत्र

14–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में अच्छी नस्लों के पालतू जानवरों की नस्ल वृद्धि के लिए विकास खंडवार किन-किन जानवरों की कुल कितनी मांग दिनांक 1-10-85 तक सरकार से की गयी है? कब तक इन जानवरों की आपूर्ति वांछित स्थानों से कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में अच्छी नस्लों के पालतू जानवरों की नस्ल वृद्धि हेतु किसी भी किस्म के सांड के लिये दिनांक 1-10-85 को विभाग के पास कोई मांगपत्र लम्बित नहीं था।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमान्त जनपदों में अच्छी नस्ल के जानवरों के मानकों का आधार तथा विशेष छूट देने की मांग

15–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैदानी तराई, पर्वतीय व सीमान्त क्षेत्रों के गांवों में अच्छी गौवंश वृद्धि हेतु सांड, भैंसा, भेढ़ा, बकरा को ग्राम सभाओं को या पशु सेवा केन्द्रों को किन मानकों के आधार पर आवंटित किया जाता है? क्या सरकार सीमान्त की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सीमान्त जनपदों में अच्छी नस्ल के उक्त जानवरों को अधिक संख्या में शीघ्र दिये जाने हेतु विशेष छूट देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कोई मानक निर्धारित नहीं है।

सीमान्त जनपदों में अच्छी नस्ल के जानवरों को दिए जाने हेतु विशेष छूट देने का कोई प्राविधान नहीं है।

नस्ल सुधार का कार्यक्रम उन्नत नस्ल के सांडो को नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों पर रखकर तथा कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली अपनाकर सीमांत जनपदों में क्रियान्वित किया जा रहा है तथा इस कार्यक्रम का प्रतिवर्ष विस्तार भी किया जा रहा है।

महानगर योजना हेतु अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में देय मुआवजा

16–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह तथा श्री राम आसरे वर्मा–

द्वितीय सत्र 84 के 1ले सोमवार के ता0 प्र0 सं-1 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस भूमि का एक्वीजिशन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया उसका मुआवजा किसे कितना और कब दिया गया?

श्रीमती पद्मा सेठ–

द्वितीय सत्र 1984 के पहले सोम के ता0 प्रश्न संख्या-1 के उत्तर के संबंध में महानगर योजना की अधिग्रहीत भूमि निहित थी। इस अर्जित भूमि के अभिनिर्णय के अनुसार 363 खातेदारों को दिनांक 4-7-53 से 30-9-61 तक अभिनिर्णित कुल रु0 2,26,380/- पैसे 46 प्रतिकर के रूप में वितरित किये गये थे।

17–श्री कमलेश कुमार पाठक–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद जौनपुर में बादशाहपुर-शाहगंज मार्ग निर्माण में अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा दिलाने की मांग

18–श्री जंग बहादुर–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में बादशाहपुर शाहगंज मार्ग को सार्व0 नि0 वि0 द्वारा निर्मित कराया गया और बिना अधिग्रहण की कार्यवाही किए आ0 नं0 46/1-25, 48/1-30 46/2-29, 48/2-3 जुमला 4 गाटा-87 मौ0 बीरपाल पं0 करियाव मेढ़ा तह0 शाहगंज, जौनपुर पर सड़क निर्मित कराई गई? यदि हां, तो भूमि

मालिक विश्वनाथ यादव पुत्र बिहारी ग्राम मदापुर को मार्ग में ली गई भूमि का मुआवजा दिया जाएगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद जौनपुर में बादशाहपुर-शाहगंज मार्ग (पुराना नाम महाराजगंज पिलकिछा-खुटहन निकोलिया मार्ग) का निर्माण सा0 नि0 वि0 द्वारा कराया गया है। मौ0 बीरपाल में स्थित आराजी नं0 46/1-25, 48/1-30, 46/2-29, 48/2-3 जुमला 4 रकबा 87 उक्त मार्ग के सरेखण के अंतर्गत नहीं आते थे परन्तु मार्ग की सीमा से लगे है। अतः मार्ग के लिए भूमि अर्जन के समय उनका अधिग्रहण नहीं किया गया। परन्तु मार्ग निर्माण के समय उक्त सभी प्लाटों की कथित भूमि सड़क की खन्ती में आ गयी और राजस्व अभिलेखों में सा0 नि0 वि0 की सड़क एवं खन्ती दर्ज है।

आपसी सहमति से तय करके प्रश्नगत प्लाटों की भूमि का मुआवजा भुगतान करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके लिए भू-स्वामी से मौखिक तथा लिखित अनुरोध किया गया है।

इलाहाबाद में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अधिवेशन पर विभिन्न मदों पर व्यय की गयी धनराशि

19–श्री अशोक बाजपेयी तथा श्री राकेश-धर त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह नवम्बर, 85 में इलाहाबाद में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अधिवेशन पर कुल कितना धन किन-किन मदों पर व्यय किया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माह नवम्बर, 85 में इलाहाबाद में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अधिवेशन पर विभिन्न मदों पर अब तक निम्नलिखित धन व्यय किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है:–

(1)	विभिन्न विभागों द्वारा की गयी व्यवस्था पर –	रु0 पूर्णांकित 25,15000/-
(2)	स्व0 सेनानियों को शाल भेंट किये जाने पर –	22,18000/-
(3)	परिवहन सुविधा पर –	13,32000/-
(4)	स्व0 संग्राम सेनानियों को उपलब्ध करायी गयी सुविधा से संबंधित पुस्तिका के प्रकाशन पर –	3,85000/-
(5)	वन मंडप/कृषि प्रदर्शनी पर –	73000/-
	योग:–	65,23,000/-

प्रदेश में कार्यरत स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट

20–श्री नरेश चन्द्र–

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1985 के अन्त तक कुल कितने स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट (रिटायर्ड सरकारी सेवक) कार्यरत हैं? लखनऊ जनपद में ऐसे कितने मजिस्ट्रेट हैं? सरकार इनका कार्य कब तक न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दे देगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रदेश में वर्ष 1985 के अन्त तक कुल 22 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्यरत थे। इस समय केवल 11 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्यरत हैं।

लखनऊ जनपद में केवल एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्यरत हैं।

सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु 68 वर्ष पूर्ण करने अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनकी सेवाओं में दी गई वृद्धि की अवधि समाप्त होने पर इनका कार्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दे दिया जायेगा।

डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर के विरुद्ध राजस्व के गबन की शिकायत

21–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के पांचवें शुक्रवार हेतु निर्धारित अता0 प्र0 सं0 46 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1473 दिनांक 26-7-84 मा0 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर मांगी गई सूचना दे दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मा0 विधायक का पत्र सं0 1473 दिनांक 26-7-84 विधान सभा प्रथम सत्र 1984 के पांचवें शुक्रवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 46 के उत्तर के सन्दर्भ में इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विभागीय निर्माण इकाई (मार्ग-2), इन्द्रानगर सा0 निर्माण विभाग, लखनऊ में नवसृजित कार्यालय हेतु खरीदा गया फर्नीचर

22–श्री भगौती सिंह–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय निर्माण इकाई (मार्ग सं0-2) इन्द्रा नगर सा0 निर्माण विभाग लखनऊ में नव सृजित कार्यालय हेतु कितने रुपये का फर्नीचर किस माध्यम से खरीदा गया, आपूर्ति हेतु किस तारीख में आपूर्ति आदेश दिये गये और किन तारीखों में कितना भुगतान किया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सार्वजनिक निर्माण विभाग की विभागीय निर्माण इकाई (मार्ग)–2, इन्दिरा नगर, लखनऊ के नव-सृजित कार्यालय हेतु रु0 37,417/- का फर्नीचर विभिन्न फर्मों से आपूर्ति आदेशों के माध्यम से क्रय किया गया।

आपूर्ति आदेश दिनांक 18, 20 व 21 मई, 1985, 1 जून, 1985, 30 व 31 जुलाई, 1985 तथा 16 व 29 अगस्त, 1985 को दिये गये।

अब तक हुए भुगतान का विवरण निम्नवत् है :–

दिनांक	भुगतान की राशि (रु0 में)
[redacted]	
14-6-1985	12,736
1-8-1985	6,970
30-8-1985	9,815
3-9-1985	2,652

श्री निर्मल पाण्डे बिक्रीकर अधिकारी, कानपुर के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर जानकारी

23–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि श्री निर्मल पाण्डे, कानपुर में वर्ष 82-83 में बिक्रीकर अधिकारी एस0 आई0 वी0 के पद पर और वर्ष 83-84 में खण्ड 16 के बिक्रीकर अधिकारी के पद पर रहे हैं? यदि हां, तो क्या इनके बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1453 दिनांक 26-7-84 तत्कालीन वित्त मंत्री को दिनांक 26-7-84 को प्राप्त हुआ था

यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना संकलित की जा रही है।

लखनऊ बिक्री कर कार्यालय के खण्ड–3 में फर्म केदार नाथ आजाद कुमार से बिक्री-कर बकाया से अधिक वसूलने पर कृत कार्यवाही

24–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगल के लिए निर्धारित अ0 ता0 प्रश्न संख्या 100 के उत्तर के संदर्भ में मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1972 दिनांक 29-8-85 ता0 मुख्य मंत्री को दिनांक 29-8-85 को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जानकारी दिनांक 15-10-85 तक दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 29-8-85 उपलब्ध न हो पाने के कारण मा0 सदस्य से पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था परन्तु अभी तक प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। मा0 सदस्य से पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर ही आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

फर्म विक्टर केबिल्स कारपोरेशन बनाम आयुक्त बिक्री कर के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिया गया निर्णय

25–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक 9-11-79 सेल्स टैक्स रिवीजन सं0 412 आफ 1979 फर्म विक्टर केबिल्स कारपोरेशन बनाम आयुक्त बिक्री कर बनारस में निर्णय दिया है और करदाता को कर मुक्त किया है? यदि हां, तो मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 250 दिनांक 28-9-85 मुख्यमंत्री को 28-9-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी थी वह उपलब्ध करा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। किन्तु माननीय विधायक का पत्र दिनांक 12-9-85 का है। उनके पत्र का उत्तर अलग से दिया जा रहा है।

बिक्रीकर विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध प्रारम्भ की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही

26–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि उनका प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1341 दिनांक 4-5-83 बिक्रीकर विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध 1-4-77 से 31-3-83 तक प्रारम्भ की गयी अनुशासन कार्यवाही के बारे में मिला है? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं की जानकारी मांगी गयी थी वह जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जानकारी हेतु काफी आंकड़े संकलित करने होंगे जिससे पर्याप्त समय लगने की सम्भावना है। सूचना एकत्रित हो जाने पर यथासमय मा0 विधायक को जानकारी उपलब्ध करा दी जायेगी।

27–श्री शारदानन्द अंचल–

[2रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर सिविल लाइन्स की फर्म शिव शक्ति ट्रेडर्स का बिक्री कर पंजीकरण

28–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 83 दिनांक 10-9-85 कानपुर सिविल लाइन्स की फर्म शिव शक्ति ट्रेडर्स के बिक्री कर पंजीयन के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 10-9-85 को मिला है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उपरोक्त पत्र में मांगी गयी सूचना दे दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। तथापि पत्र संख्या-83/लो0 द0/85, दि0 5-9-85 प्राप्त हुआ है।

जी नहीं। पत्र में अंकित बिन्दुओं पर स्थिति निम्न प्रकार है:–

बिन्दु–1– फर्म से प्रतिभूति 4,000 रु0 की फिक्सड डिपाजिट रसीद के रूप में ली गई थी।

बिन्दु–2– फर्म द्वारा पंजीयन के लिए प्रार्थना-पत्र दि0 12-12-84 को प्रस्तुत किया गया था तथा उन्हें पंजीयन प्रमाण-पत्र 21-12-84 को दिया गया।

बिन्दु–3– फर्म को कोई फार्म 31 नहीं दिए गये।

बिन्दु–4– फर्म द्वारा दिसम्बर 1984 से मार्च, 1985 तक प्रत्येक माह का विवरण-पत्र (रूप पत्र-4) सम्बन्धित अनुवर्ती माह में प्रस्तुत किया गया है। फरवरी, 1985 का एक संशोधित रूप-पत्र भी 1-5-85 को प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष 85-86 में अप्रैल का 12-6-85 को, मई का 2-8-85 को तथा जून का 23-7-85 को प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त सभी रूप पत्रों में कर योग्य बिक्री शून्य दिखायी गई है। अतएव देय तथा जमा कर भी शून्य है।

बिन्दु–5– सर्वेक्षण 21-12-84 तथा 28-6-85 को किया गया। पहला तिथि को लेखा पुस्तकें पायी गईं, उन पर अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए। बाद की तिथि में लेखा पुस्तकें वकील के पास बताई गईं।

बिन्दु–6–अंकित कर निर्धारण आदेश पारित नहीं हुआ है। पुलिस/सर्तकता विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

बिन्दु–7– डायरी के अभिग्रहण तथा उसकी प्रविष्टि के बारे में सूचना पुलिस सर्तकता विभाग ही दे सकते हैं।

बिन्दु–8– बिन्दु–7 के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

29–श्री यदुनाथ सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

विक्टोरियागंज लखनऊ, में भांग का ठेका एवं उसका पंजीकरण

30–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 82-83 में लखनऊ विक्टोरियागंज भांग की दुकान का ठेका 3,52,000 रु0 में बाबूलाल के नाम हुआ था ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस करदाता ने पंजीयन कराया था? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ? क्या माहवारी फार्म 4 व भर कर जमा किये गये? यदि हां, तो कितना रुपया जमा किया गया? यदि नहीं, तो क्या अस्थायी कर आदेश पारित किये गये ? क्या सर्वेक्षण किया गया और सालवेंसी प्रमाण-पत्र की जांच की गयी है ? कितना कर निर्धारण किया गया, कितने की भांग निकाली गयी, कितना वसूल हुआ और कितना राजस्व मारा गया और कौन जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

करदाता द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया था ।

पंजीयन न कराने पर 4,800 रु0 अर्थ-दण्ड आरोपित किया गया ।

माहवारी रूपपत्र 4 नहीं दिये गये । कोई कर जमा नहीं किया गया । अस्थायी कर निर्धारण नहीं किया गया । सर्वेक्षण नहीं किया गया । सालवेंसी प्रमाण पत्र बिक्रीकर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये जाते । अत: उसकी जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

रु0 1,12,000 कर, आरोपित किया गया तथा इसी धनराशि की मांग निकाली गयी। अभी कोई वसूली नहीं हुई है।

वसूली का प्रयास जारी है। यह नहीं कहा जा सकता कि कोई राजस्व मारा गया है। अत: इस समय इस हेतु उत्तर-दायित्व का प्रश्न नहीं उठता ।

हजरतगंज लखनऊ में भांग के ठेके का पंजीकरण तथा कर निर्धारण

31–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ हजरतगंज का भांग का ठेका वर्ष 80-81 में सुरेश प्रसाद के नाम से 81,000 रु0 में हुआ था और वर्ष में 42,250 रु0 कर लगाया गया था ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस करदाता ने पंजीयन कराया था ? यदि हां, तो पंजीयन के लिए कितने रुपये का जमा-नतनामा लिया गया था ? क्या पंजीयन को चालू रखने के लिए जमानतनामा लिया गया और क्या सर्वेक्षण किया गया और सोलवेंसी प्रमाण-पत्र की जांच की गयी, कितना रुपया बकाया था और कितना वसूल हुआ और कितना राजस्व मारा गया और कौन इसके लिए जिम्मेदार है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । यह कर एक पक्षीय रूप से आरोपित हुआ था । बाद में उक्त कर निर्धारण वाद धारा 30 में खोला गया और 26,000 रु0 कर आरोपित किया गया। अपील में 11,700 रु0 की कमी की गयी ।

जी हां ।

पंजीयन के समय 5000 रु0 की जमा-नत ली गयी थी ।

ठेका केवल एक वर्ष के लिये था । अतएव इस लिये पंजीयन भी एक वर्ष के लिये प्रभावी रहा ।

कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया ।

सालवेंसी प्रमाण-पत्र बिक्रीकर कार्यालय में जमा नहीं किया जाता । अत: उसकी जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

रु0 13,520 बकाया है। 780 रु0 जमा हो गया है ।

वसूली की कार्यवाही जारी है अतएव अभी यह नहीं कहा जा सकता कि राजस्व मारा गया है। अतएव इसके लिए जिम्मे-दारी का भी प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, हुसैनगंज में ताड़ी के ठेके का पंजीकरण तथा कर-निर्धारण

32–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 80-81 में लखनऊ हुसैनगंज ताड़ी का ठेका कौशल किशोर के नाम से रु0 6,75,000/- में हुआ, पंजी-यन खंड 4 में कराया और रु056,000/- कर लगाया गया ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि व्यापार स्थल खं0 8 में था तब पंजीयन खंड-4 में क्यों और कैसे कराया गया था और क्या इस संबंध में पूरी जांच कर ली गयी थी ? क्या सोलवेंसी प्रमाण-पत्र की भी जांच की गयी थी ? यदि नहीं, तो

क्यों ? कितना रुपया बकाया है, कितना वसूल हुआ और कितना राजस्व मारा गया और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? बकाया में से कितना वसूल होने की आशा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

पंजीयन व्यापार के मुख्यालय के आधार पर किया जाता है। पंजीयन प्रार्थना-पत्र (रूपपत्र 14) में व्यापार का मुख्य स्थान तिलकनगर दिखाया गया था जो खंड 4 में है। अत: उसी खंड में पंजीयन का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था। जांच के समय तिलकनगर में व्यापारी के संबंध में जानकारी नहीं मिली। अत: पंजीयन नहीं दिया गया।

सालवेंसी प्रमाण-पत्र बिक्रीकर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए जाते।

व्यापारी ने रु0 6,110.00 जमा किया है तथा 49, 890.00 अवशेष है । वसूली कार्यवाही जारी है । अभी कहना संभव नहीं कि "राजस्व मारा गया" है। अतएव उसके लिए जिम्मेदारी का भी प्रश्न नहीं उठता। बकाया में से कितनी राशि वसूल होने की आशा है इसका कोई अनुमान नहीं दिया जा सकता ।

लखनऊ, डालीगंज में ताड़ी के ठेके का पंजीयन हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र

33–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 80-81 में लखनऊ डालीगंज ताड़ी का ठेका राम लाल के नाम से रु0 5,01,000 का हुआ था? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस करदाता ने पंजीयन कराया? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ? क्या माहवारी फार्म-4 व भरकर जमा किये गये? यदि हां, तो कितना रुपया जमा किया और यदि नहीं, तो क्या अस्थायी कर आदेश पारित किये गये ? क्या सर्वेक्षण किया गया और सालवेंसी प्रमाण-पत्र की जांच की गयी तथा कितना कर निर्धारण किया गया ? कितने की मांग निकाली गयी कितना वसूल हुआ और कितना राजस्व मारा गया और कौन जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

व्यापारी ने पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र 28-1-81 को प्रस्तुत किया था किन्तु जांच हेतु बुलाए जाने पर वह अनुपस्थित रहे। अतएव प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 11-9-81 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया ।

पंजीयन न कराने के लिए 1300 रु0 अर्थदण्ड लगाया गया है। व्यापारी ने तीसरे त्रैमास का विवरण प्रस्तुत किया है तथा 2760/- बिक्रीकर जमा किया दिखाया है ।

अस्थाई कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किए गए ।

सर्वेक्षण नहीं किया गया।

सालवेंसी प्रमाण-पत्र बिक्रीकर विभाग में प्रस्तुत नहीं किया जाता।

अंतिम कर निर्धारण में 104, 000 रु0 कर आरोपित किया गया और इसी राशि की मांग निकाली गई। अभी कोई वसूली नहीं हुई है। कार्यवाही जारी है ।

अभी यह कहना संभव नहीं कि राजस्व "मारा गया" । अतएव उसके लिए जिम्मेदारी का भी प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, हुसैनगंज में श्रीकान्त मिश्रा के नाम से भांग के ठेके का पंजीकरण तथा कर-निर्धारण

34–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ हुसैनगंज भांग का ठेका श्रीकान्त मिश्रा के नाम से वर्ष 81-82 व 82-83 के लिए क्रमशः 90,000 व 1,70,000 रु0 का हुआ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस करदाता ने पंजीयन कराया? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गयी, तो क्यों? क्या माहवारी फार्म-4 ब कर जमा किये गये? यदि हां, तो कितना रुपया जमा किया? यदि नहीं, तो क्या अस्थायी कर आदेश पारित किये गये? क्या सर्वेक्षण किया गया और सोलवेंसी प्रमाण-पत्र की जांच की गयी है और यदि हां, तो कितना कर निर्धारण किया गया ? कितने की भांग निकाली गयी ? कितना वसूल हुआ और कितना राजस्व मारा गया और कौन जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

यह प्रमाण-पत्र बिक्रीकर विभाग में प्रस्तुत नहीं किया जाता।

वर्ष 1981-82 के लिए 25,800 रु0 तथा वर्ष 1982-83 के लिए 28,000 रु0 कर आरोपित किया गया। मांग भी इतनी ही राशि की निकाली गई। वसूली नहीं हुई है। कार्यवाही जारी है ।

अभी कहना संभव नहीं कि राजस्व "मारा गया"। अतएव उसके लिये जिम्मेदारी का भी प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती के डी0 सी0 यू0 प्रथम खण्ड तथा अस्थायी खण्ड प्रथम द्वारा मरम्मत में व्यय की गयी धनराशि

35–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी डी0 सी0 यू0 प्रथम में तथा अस्थायी खंड प्रथम सा0 नि0 विभाग बस्ती के प्रत्येक डिवीजन में कितना-कितना रोलर, जीप, ट्रक पर अलग-अलग वर्ष 83-84 व 84-85 तथा 85-86 (नवम्बर, 85) तक कितना रुपया डीजल, पेट्रोल, कोयला तथा मरम्मत में खर्चा किया गया? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती के डी0 सी0 यू0 प्रथम खण्ड तथा अस्थायी खण्ड प्रथम में वर्ष 83-84, 84-85 तथा 85-86 (नवम्बर 85 तक) में रोड रोलर, जीप, ट्रक के ईंधन तथा मरम्मत पर हुये व्यय का सुस्पष्ट विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 114-115 पर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ में अभियन्त्रण संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी जांच

36–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता

तथा अवर अभियंता सा0 नि0 वि0 लखनऊ में हैं जिनके विरुद्ध जांच चल रही है और उन्हें कार्यकारी खण्ड में 30 सितम्बर, 1985 तक नियुक्त किया गया है, कितने ऐसे अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता तथा अवर अभियंता हैं जिनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है लेकिन उन्हें अकार्यकारी खंड में नियुक्त की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सार्वजनिक निर्माण विभाग लखनऊ में तैनात अभियन्त्रण संवर्ग के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच चल रही है और उन्हें कार्यकारी खंड में 30 सितम्बर, 85 तक नियुक्त किया गया था, उनका विवरण निम्नवत् है:–

(क)–अधीक्षण अभियंता-शून्य
(ख)–अधिशासी अभियंता–एक
(ग)–सहायक अभियंता–दो
(घ)–अवर अभियंता-शून्य

लखनऊ स्थित वृतों/खंडों में 31 अधिशासी अभियंता, 118 सहायक अभियन्ता, तथा 98 अवर अभियन्ता अकार्यकारी खंडों में नियुक्त हैं, जिनके विरुद्ध कोई जांच नहीं चल रही है। ऐसे अभियन्ताओं की सूची माननीय राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, के कार्यालय में उपलब्ध है, तथा माननीय सदस्य महोदय उसे किसी कार्यकारी दिवस में उनके कक्ष में देख सकते हैं।

अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खण्ड कानपुर द्वारा निलम्बित किये गये आशुलिपिक के विरुद्ध कार्यवाही

37–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के 3रे मंगल को पूछे गये अता0 प्र0 सं0 58 के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 19-9-85, 12-9-85 तथा पत्र दि0 8-11-85 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत मामले में माननीय सदस्य के दिनांक 19-8-85 तथा दिनांक 12-9-85 के पत्र प्राप्त हुये हैं। इस संबंध में माननीय सदस्य द्वारा मांगी सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 116-

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा फर्म भोजराज सिंह बनाम आयुक्त बिक्री कर के फैसले पर लिया गया निर्णय

38–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन सं0 560 आफ 1980 संबंधित एस0 टी0 आर0 संख्या 561 व 562 आफ 1980 फर्म भोज राज सिंह बनाम आयुक्त बिक्री कर में निर्णय दिनांक 1-10-81 दिया है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 5 दि0 17-10-85 मा0 मुख्य मंत्री को दि0 17-10-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक दी जावेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जी नहीं। तथापि माननीय विधायक का पत्र सं0-5 लो0 द0/85 दिनांक 14-5-85 17 अक्टूबर, 85 को प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने पांच बिन्दुओं पर 11 प्रश्न पूछे हैं।

जी नहीं।

उच्च न्यायालय तथा बिक्रीकर अधिकरण द्वारा प्रति माह बिक्रीकर के बहुत से मामलों में निर्णय दिया जाता है, जिनमें से अनेक विभाग के पक्ष में होते हैं और अनेक विभाग के विपरीत। बिक्रीकर के विभिन्न जरनल्स द्वारा अपनी स्वेच्छानुसार दोनो प्रकार के निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। विभाग के विपरीत निर्णीत ऐसा ही एक प्रश्नगत निर्णय 1982 यू0 पी0 टी0 सी0 24 में प्रकाशित हुआ है, जिस पर मा0 विधायक का पत्र सं0-5/ली0 द0/85 आधारित है।

निर्णय से स्पष्ट है कि बिक्रीकर अधिकारी द्वारा वर्ष 70-71 के लिए धारा 21 में नोटिस जारी करने का और सावधानी के तौर पर उसकी तामीली दो प्रकार से कराने का आदेश भी दि0 12-3-75 को दिया गया :–

(1) रजिस्टर्ड डाक द्वारा (2) प्रोसेस सर्वर द्वारा । चूंकि नोटिस तामीली की अवधि (लिमिटेशन) दि0 31-3-75 को समाप्त हो रही थी, अधिकारी द्वारा समयाभाव को देखते हुए यह भी निदेश दिया गया कि व्यापारी द्वारा इन्कार करने या उनके न मिलने पर नोटिस को चस्पा कर दिया जाए । तिथि सुनवाई हेतु 29-3-75 निश्चित की गई थी । दि0 26-3-75 को प्रोसेस सर्वर ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि फर्म के स्वामी ने नोटिस लेने से इंकार किया । अतएव, नोटिस को चस्पा कर दिया गया । बाद में 29-3-75 को यह भी पाया गया कि रजिस्ट्री डाक से भेजी गई नोटिस वापस नहीं आई । इस प्रकार बिक्रीकर नियम–77 के खण्ड (ए) तथा (सी) में कार्यवाही की गई थी ।

नोटिस की इन्कारी भी एक तरह की तामीली मानी जाती है । जैसाकि ऊपर अंकित है, विशेष सावधानी के तौर पर नोटिस की तामीली का दो प्रकार से प्रयास करने के पश्चात् चस्पा का तरीका अपनाया गया । नोटिस की तामीली तत्समय नियुक्त पुनरीक्षण अधिकारी (जज रिवीजन) द्वारा विधिवत स्वीकार की गई । किन्तु उच्च न्यायालय ने भिन्न मत व्यक्त किया ।

यह तथ्य निर्विवाद है कि विधिक बिन्दु पर भिन्न-भिन्न मत हो सकते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा विभाग के विरुद्ध मत व्यक्त करने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि बिक्रीकर अधिकारी द्वारा तामीली विधिवत मानने को अर्धन्यायिक कर्तव्यों के अन्तर्गत निर्धारित मत कदाश्रयुक्त था अथवा मामले में कोई कदाशयता थी और उसमें विशेष जांच की आवश्यकता है । मामले के सम्पूर्ण तथ्यों के परिपेक्ष में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं प्रतीत होती ।

यह भी उल्लेखनीय है कि मामला वर्ष 1970-71 का है तथा 11 प्रश्नों में पूछी गई सूचना बहुत विस्तृत है, एक से अधिक विभाग से भी संबंधित है तथा बिक्रीकर अधिकारी के अर्धन्यायिक कर्तव्यों से संबंधित है । अतएव उसे उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है ।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आयुक्त बिक्रीकर बनाम फर्म आरगेमेटिक केमिकल्स के फैसले पर दिया गया निर्णय

39–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एस0 टी0 आर0 संख्या 415 आफ 1982 आयुक्त बिक्रीकर बनाम फर्म आरगेमेटिक केमिकल्स में निर्णय दि0 23-12-82 दिया है और करदाता को हरजा खर्चा के रु0 200 रु0 दिलाए हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 386 दि0 20-11-85 इस संबंध में मा0 मुख्य मंत्री को दि0 20-11-85 को प्राप्त हुआ है?

यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है वह क्या उपलब्ध करा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । तथापि फर्म का नाम आरगेमेंटिक केमिकल्स है ।

जी हां ।

जी नहीं । तथापि पत्र सं0 386/लो0द0/85, दि0 9-11-85 प्राप्त हुआ है ।

जी नहीं । तथापि पत्र का उत्तर शासन से भेजे गए पत्रांक–बि0क0-2-4703/दस–86–9 (233) 85, दि0 18-7-86 द्वारा दे दिया गया है ।

उच्च न्यायालय तथा बिक्रीकर अधिकरण द्वारा प्रति माह बिक्रीकर के बहुत से मामलों में निर्णय दिया जाता है । इनमें से अनेक विभाग के पक्ष में तथा अनेक विपरीत होते हैं । बिक्रीकर के विभिन्न जरनल्स अपनी स्वेच्छानुसार इन निर्णयों को प्रकाशित करते हैं । ऐसा ही एक निर्णय 1983 ए0 टी0 जे0 116 में प्रकाशित हुआ है, जिस पर माननीय विधायक द्वारा उपरोक्त पत्र भेजा गया है ।

पत्र में कुछ अवधारणा की गई है तथा कुछ तर्क किए गए हैं । उनके आधार पर 4 बिन्दुओं के समक्ष 11 प्रश्न पूछे गए हैं जो अनुमान पर आधारित, अधिकारी के अर्ध न्यायिक कृत्य से संबंधित तथा सीमित महत्व के हैं ।

मात्र इस कारण कि कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा पारित आदेश उच्च न्यायिक प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया, उस अधिकारी की सदाशयता के बारे में कोई अवधारणा नहीं बनाई जा सकती । इस मामले में कोई कदाशयता पाई भी नहीं गई ।

40–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

ए0 एस0 आई0 तथा एस0 आई0 के पदों पर की गयी पदोन्नतियां

41–श्री अकबर हुसैन बाबर तथा

श्री अम्बिका सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस आफिस के प्रस्तर (191) के अन्तर्गत अप्रैल, 1979 से जून, 1982 के बीच कितने लोगों को ए0 एस0 आई0 की पदोन्नतियां तथा कितने लोगों को एस0 आई0 (उप निरीक्षक) के पदों की पदोन्नतियां दी गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आलोच्च अवधि में 392 हेड कान्सटेबिलों को स्थानापन्न सहायक उप निरीक्षक तथा 1039 हेड कान्सटेबिलों को स्थानापन्न उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नतियां प्रदान की गई ।

लखनऊ जिले के रहीमाबाद थानान्तर्गत मुकदमों की दर्ज रिपोर्ट तथा कृत कार्यवाही

42–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के 1ले मंगल के तारां0 प्रश्न संख्या 4 (दिनांक 16-7-85) के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा किस अपराध संख्या द्वारा एवं किस दिनांक को दर्ज किया गया तथा किस तिथि को आरोप पत्र किस न्यायालय में भेजा गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मु0अ0सं0 141 धारा 25 आर्म्स एक्ट/323 भा0दं0वि0 के अंतर्गत थाना मलीहाबाद पर दिनांक 6-6-1984 को पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त विनोद

कुमार के विरुद्ध उक्त धारा 25 आर्म्स एक्ट में विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र दिनांक 31-8-84 को चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रेषित किया गया था जो अब प्रथम अतिरिक्त मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट लखनऊ के न्यायालय में विचाराधीन है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 323 भा0 दं0 वि0 का अपराध अहस्तक्षेपीय होने के कारण पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

43—श्री राम आसरे वर्मा—

उक्त संदर्भ में क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मामले की रिपोर्ट किस व्यक्ति ने संबंधित थाने में कब दर्ज करायी तथा संबंधित व्यक्ति द्वारा दी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस द्वारा दर्ज की गयी प्रथम रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उपर्युक्त मामले की रिपोर्ट श्री राम औतार पुत्र श्री मूल चन्द ने दिनांक 6-6-1984 को अंकित कराई थी। श्री राम औतार द्वारा दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका हरदोई में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में सूचना

44—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा में 6ठे मंगलवार (दिनांक 18-3-86) के अता0 प्र0 सं0 139 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नोत्तर में नगर-पालिका, हरदोई में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में सूचना अस्पष्ट होने की सूचना सदन में देने हेतु कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? क्या मंत्री जी विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्य-वाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माह दिसम्बर, 1983 से 30-6-85 तक की अवधि का लेखा-जोखा तैयार करने में नगरपालिका, हरदोई के प्रधान सहायक उत्तरदायी है।

चूंकि सूचना दिसम्बर, 1983 से जून 1985 तक की अवधि की थी तथा जिसका क्षेत्र बहुत विस्तृत था। अतः विलम्ब के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराना संभव नहीं है।

45—श्री राम आसरे वर्मा—

उक्त संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर 83 से 30-6-85 तक की अवधि में नगरपालिका हरदोई में की गयी नियुक्तियों की स्पष्ट सूची तथा उक्त प्रश्न में वांछित समस्त सूचना सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 118-123 पर)

श्री जयचन्द्र सिंह, भू0पू0 सब इंसपेक्टर, हरदोई के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा उसकी जांच

46—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जयचन्द्र सिंह भू0 पू0 सब इंसपेक्टर हरदोई (अब लखीमपुर खीरी स्थानान्तरित) के विरुद्ध श्री अमृत लाल वर्मा जुडीशियल

रिकार्ड कीपर कलक्ट्रेट हरदोई ने दिनांक 28-2-86 को पुलिस अधीक्षक खीरी को तार तथा एक प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड नं0 814 एवं 815 दिनांक 3-3-86 पुलिस अधीक्षक खीरी तथा उसकी प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

मामले में क्षेत्राधिकारी द्वारा कराई गई जांच से पाया गया कि हरदोई में तैनाती के दौरान उपनिरीक्षक श्री जयचन्द्र सिंह किरायेदार के रूप में श्री अमृत लाल वर्मा के मकान में रहते थे । उक्त मकान मालिक तथा उप निरीक्षक के मध्य मकान के किराये की दर के बारे में विवाद है तथा उप निरीक्षक के अनुसार केवल एक माह के किराये का भुगतान शेष है जबकि मकान मालिक के अनुसार आठ माह का किराया अवशेष है । उप निरीक्षक को किराये की अवशेष धनराशि का भुगतान करने हेतु निर्देशित करने के साथ उन्हें सचेत कर दिया गया है ।

47–श्री राम आसरे वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नागरिक सुरक्षा, नगरों को आवंटित जीप तथा उस पर व्यय

48–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि नागरिक सुरक्षा (नगर) को आवंटित जीप, निदेशालय के अधिकारियों के प्रयोग हेतु नागरिक सुरक्षा निदेशालय से सम्बद्ध करने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो नागरिक सुरक्षा, जनपद सहारनपुर की जीप नागरिक सुरक्षा निदेशालय में क्यों और कब से सम्बद्ध की गई है ? उक्त जीप पर होने वाला व्यय किस मद से वहन किया जा रहा है ? क्या उक्त अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नागरिक सुरक्षा नगरों को आवंटित जीप नागरिक सुरक्षा निदेशालय के अधिकारियों के प्रयोग हेतु निदेशालय से सम्बन्ध करने का प्राविधान नहीं है।

नागरिक सुरक्षा जनपद सहारनपुर को आवंटित जीप निदेशालय से कभी सम्बद्ध नहीं की गई। अतः इस सम्बन्ध में किसी अनियमितता के होने अथवा किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उक्त जीप पर होने वाला व्यय आय-व्ययक की उपयुक्त मद से किया जा रहा है।

श्री भगत सिंह वर्मा, संयुक्त विकास आयुक्त, मेरठ के विरुद्ध शिकायती पत्र

49–श्री कनक सिंह–

क्या ग्राम्य विकास एवं पचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भगत सिंह वर्मा, संयुक्त विकास आयुक्त, मेरठ के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के मुख्य सचिव को सम्बोधित शिकायती पत्र दि0 21-9-85 जिसमें अनेकों गम्भीर आरोप थे, पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शिकायती पत्र में वर्णित आरोपों की जांच आयुक्त, मेरठ द्वारा की जा रही है। जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है।

श्री महन्तू सिंह, निवासी शाहपुर (सुल्तानपुर) की समाप्त सेवायें

50–श्री शिव नारायण मिश्रा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे निवासी शाहपुर, थाना चांदा-सुल्तानपुर को मई, 1980 में चौकीदार के पद पर वन प्रभाग कादीपुर रेंज-शाहपुर में नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो उसका चरित्र प्रमाण-पत्र, मेडिकल आफिसर प्रतापपुर कमैचा, खण्ड विकास अधिकारी प्रतापपुर कमैचा, अपर जिला अधिकारी विकास-सुल्तानपुर ने जो दिये हैं उनका नाम क्या है तथा किस वर्ष में चरित्र प्रमाण पत्र दिये हैं ? महन्तू सिंह की सेवायें समाप्त करने का कारण क्या था ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री महन्तू सिंह निवासी शाहपुर, थाना चांदा सुल्तानपुर का चरित्र प्रमाण-पत्र तत्कालीन मेडिकल आफिसर, प्रतापपुर कमैचा डा0 सभाजीत सिंह, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी प्रतापपुर कमैचा श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता एवं तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (विकास) सुल्तानपुर श्री एस0 एन0 पाण्डेय द्वारा वर्ष 1982 में दिया गया था ।

श्री सिंह के सजायाफ्ता होने के कारण इनकी सेवायें तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दी गयीं ।

जनपद सुल्तानपुर, थाना लम्भुआ में नामजद अभियुक्तों की संख्या

51–श्री शिव नारायण मिश्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत थाना लम्भुआ में दिनांक 26-4-86 को अपराध संख्या 105/86 धारा 307 के अन्तर्गत कितने अभियुक्त नामजद हैं ? क्या इस घटना में किसी को प्राणघातक आपस में शराब पी कर अवैध शस्त्रों से चोटें आयीं ? क्या अराजक तत्वों, ने गोली चला कर किसी व्यक्ति को घायल किया ? यदि हां, तो यह कांड कहां हुआ और कितने अभियुक्त इस काण्ड में वांछित हैं ? क्या यह भी सही है कि पुलिस राजनैतिक हस्तक्षेप से अवैध शस्त्र रखने वालों को बचा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सुल्तानपुर, थाना कोतवाली में नामजद अभियुक्तों की संख्या तथा उनके आपराधिक चरित्र के सम्बन्ध में जानकारी

52–श्री शिव नारायण मिश्रा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 269/85 राज्य बनाम रमेश सिंह आदि थाना कोतवाली, शहर सुल्तानपुर में जितने अभियुक्त नामजद हैं क्या उनका अपराधिक चरित्र है, क्या उसके अतिरिक्त अन्य किसी वाद में इन लोगों के ऊपर थाना-चांदा, लम्भुआ, कोतवाली शहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित है ? यदि हां, तो उन वादों में क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद हरदोई, थाना कछौना में श्री मुन्नीलाल द्वारा दर्ज मुकदमा एवं कृत कार्यवाही

53–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना कछौना, जनपद हरदोई में नवम्बर, 1985 में एक मुकदमा अपराध संख्या 174 धारा 324/353/379

दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13-11-85 को वादी श्री मुन्नी लाल, ग्राम चौकीदार, ग्राम अटवा, थाना संडीला, हरदोई की सूचना पर मु0 अ0 सं0 174 धारा 342/353/379 भा0 दं0 वि0 थाना कछौना में 18 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अंकीकृत हुआ। उक्त मुकदमें में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियोग विचाराधीन न्यायालय है।

जनपद लखनऊ, थाना मड़ियांव में पुलिस व ग्राम प्रधान के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

54–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि थाना मड़ियांव, जनपद लखनऊ की पुलिस व ग्राम प्रधान के आतंक के विरुद्ध तथा पल्टन गांव में खुले आम ग्राम प्रधान की सहमति व रुचि के तहत वेश्यावृत्ति के धंधे चलाने तथा पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने के विरुद्ध जुलाई, 1985 के अन्तिम सप्ताह में ग्रामवासियों द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निवास पर कोई प्रदर्शन किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदर्शनकारियों द्वारा दिये गये ज्ञापन की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा कराई गई। जांच से पुलिस एवं ग्राम प्रधान के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाए गए।

55–श्री राम आसरे वर्मा–

[दिनांक 17-3-86 को सदन में वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

जल निगम शाखा, गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

56–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम जल निगम शाखा (विकास प्राधिकरण) उत्तर प्रदेश जल निगम शाखा गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा पिछले वर्ष से कोई कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि जल निगम शाखा में कार्यरत श्री राज कुमार शर्मा अधिशासी अभियन्ता अपनी योग्यता के कारण कार्य कराने में सक्षम नहीं है ? यदि हां, तो इन्हें वहां नियुक्त रखने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नवल किशोर हलवासिया रोड, लखनऊ के फुटपाथ पर बने बुछत्ती के अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्यवाही

57–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विजय मलिक व श्री केवल कृष्ण निवासी 6–डी श्रृंगार नगर, लखनऊ की निगरानी संख्या–59 पुन/83 पर राज्य सरकार ने 15-5-85 को यह आदेश दिया था कि उन्होंने 34 लालबाग, नवल किशोर हलवासिया रोड, लखनऊ पर स्थित दुकान के सामने फुटपाथ पर आर्केड और दुछत्ती का जो निर्माण किया है उसके बारे में यह देखा जाय कि यदि पुराने नक्शे व खसरे

के अनुसार वह भूमि निगरानी कर्ताओं की है तो उसे शमन कर दिया जाय और यदि वह भूमि उनकी नहीं है तो दुछत्ती को ध्वस्त करने की कार्यवाही की जाय व शेष अनधिकृत निर्माण को शमन कर दिया जाए ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी और कितना शमन शुल्क वसूल किया गया ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 17-5-85 में यह कहा था कि यदि भूमि निगरानी कर्ताओं की नहीं है तो दुछत्ती को ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है ।

निगरानी कर्ताओं ने अनधिकृत निर्माणों के शमन हेतु नक्शा दाखिल कर दिया है जिसमें उन्होंने अनधिकृत रूप से निर्मित की गयी दुछत्ती के शमन हेतु भी प्रार्थना की है। दुछत्ती के शमन हेतु प्रार्थी को सलाह दी गयी है कि वह उक्त भूमि का पट्टा नगरमहापालिका से प्राप्त कर ले तभी उनकी शमन की प्रार्थना पर विचार किया जा सकता है । पट्टा प्राप्त न कर सकने की दशा में अनधिकृत रूप से निर्मित की गयी दुछत्ती को ध्वस्त करने की कार्यवाई की जावेगी ।

अन्य अनाधिकृत निर्माणों के शमन की कार्यवाही अभी चल रही है।

जनपद हरदोई की नव निर्मित टाउन एरिया कुरसठ एवं टाउन एरिया मल्लावां के निर्माण हेतु विशेष सड़क अनुदान का प्रस्ताव

58–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की नव निर्मित टाउन कुरसठ एवं ऐतिहासिक महत्व रखने वाली टाउन एरिया मल्लावां की जीर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष सड़क अनुदान देने पर शासन विचार करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

विशेष सड़क अनुदान का प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा ।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवा निवृत्त मुख्य आरक्षी श्री रामेश्वर प्रसाद का पेंशन सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

59–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र सेवा निवृत्त मुख्य आरक्षी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी नं0 44120/33 कार्यालय पी0 ए0 सी0 के पेंशन आदि दिलाये जाने के सम्बन्ध में सितम्बर, 1985 के दूसरे सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

सेवा निवृत्त मुख्य आरक्षी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी के पक्ष में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक पी0ए0-3/1599 दिनांक 8-5-86 द्वारा पी0पी0ओ0 संख्या एस0एल0टी0/5643 रुपया 200 प्रति माह पेंशन दिनांक 28-4-80 से तथा जी0पी0ओ0 सं0 एस0एल0टी0/ए-5548 रु01232-80 निर्गत कर दिया है।

सैयद मोहम्मद रिजवी, अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ के विरुद्ध अनियमितता तथा आरोपों की जांच

60—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सैयद मोहम्मद रिजवी, अधीक्षण अभियन्ता, जब अधिशासी अभियन्ता के पद पर विद्युत खण्ड नं0-1 लखनऊ में नियुक्त थे उस समय श्री सुरेश बाजपेयी, लेखाकार द्वारा रु08.00 लाख के गबन का मामला प्रकाश में लाने पर श्री रिजवी ने लेखाकार की हत्या करवा दी थी? क्या इस आरोप में श्री रिजवी को कोई दण्ड दिया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री सैयद मुहम्मद रिजवी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खंड नं0-1 के विरुद्ध श्री सुरेश कुमार बाजपेई, तत्कालीन मण्डलीय लेखाकार का एक शिकायती पत्र भारत सरकार के माध्यम से दिनांक 17-5-75 को प्राप्त हुआ था जिसमें 9.00 लाख रु0 के गबन का आरोप लगाया गया था। श्री बाजपेई की हत्या किये जाने की कोई सूचना नहीं है। श्री सुरेश कुमार बाजपेई के गायब होने की सूचना उनके पिता द्वारा दिनांक 21-4-75 को थाना नाका हिंडोला, लखनऊ में जी0डी0सं0 52 पर दर्ज करायी गयी थी और प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 7-5-77 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को लिखा गया था। शासन द्वारा भी दिनांक 24-11-80 को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ को लिखा गया।

प्रश्नगत मामले की जांच करायी गयी तथा जांच के उपरान्त श्री रिजवी के विरुद्ध लगाये गये अनियमितता संबंधी आरोप निराधार पाये गये। अतः उन्हें इस मामले में कोई दण्ड नहीं दिया गया।

श्री आर0 के0 शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता की मुख्य अभियन्ता (वि0/यां) पद पर की गयी पदोन्नति पर कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश

61—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 के0 शर्मा अधीक्षण अभियन्ता की प्रोन्नति मुख्य अभियन्ता (वि/यां) पद पर की गयी थी जिस पर श्री रिजवी ने कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त किये थे जिससे श्री आर0 के0 शर्मा की नियुक्ति नहीं हो पायी, लेकिन श्री रिजवी को बनारस से लखनऊ लाकर मुख्य अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) का कार्य देखने के आदेश निर्गत किये गये हैं तथा साथ-साथ बनारस के 44वां वृत्त का भी कार्य देखने के आदेश दिये गये हैं? क्या स्थगन आदेश पर निर्णय हो चुका है? यदि नहीं, तो क्या लखनऊ में ही कोई अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) नहीं था जो लखनऊ में ही अपने कार्य के साथ-साथ मुख्य अभियन्ता का कार्य भी देखता जिससे लखनऊ व बनारस आने जाने में होने वाले धन और समय का दुरुपयोग न होता?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री आर0 के0 शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां) को मुख्य अभियन्ता (वि0/यां) पद पर चयनित किया गया था जिस पर श्री एस0एम0 रिजवी ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए थे जिसके फलस्वरूप श्री शर्मा की मुख्य अभियन्ता पद पर प्रोन्नति/नियुक्ति नहीं हो सकी। विभागीय कार्य के हित में श्री एस0एम0 रिजवी, वरिष्ठतम अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां) 44वां वृत्त

सा0 नि0वि0, वाराणसी को मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (नि0/यां) के पद के लिए चयनित अधिकारी की तैनाती होने तक उक्त पद का कार्य अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत अपने पदभार के अतिरिक्त देखने के आदेश जारी किए गये।

नहीं।

लखनऊ में विद्युत/यांत्रिक संवर्ग में दो अधीक्षण अभियन्ता कार्यरत हैं किन्तु वे दोनों ही श्री एस0एम0 रिजवी से कनिष्ठ हैं। अतः उन्हें मुख्य अभियन्ता का कार्य देखने के लिए अधिकृत करना प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं होता।

ग्राम तिन्दौला, जनपद बाराबंकी में जल निगम द्वारा लगाये गये हैण्ड पम्प

62—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तिन्दौला जनपद बाराबंकी में जल निगम से 8 सरकारी हैण्ड पाइप स्वीकृत हुए थे? क्या सभी नल विधिवत चल रहे हैं? यदि हां, तो क्या लोनियन टिकुरी तथा श्रीनगर के नलों में मशीनें नहीं लगायी गयी हैं जबकि पूरा पैसा ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम तिंदौला, जनपद बाराबंकी में जल निगम द्वारा 10 हैण्ड पम्प लगाए गए हैं।

जी हां।

लोनियन टिकुरी तथा श्रीनगर के नल मशीन लगाकर चालू कर दिए गए हैं। श्रीनगर में लगे हैण्ड पम्प के कार्यों का भुगतान कार्य पूर्ण होने के उपरान्त किया गया था तथा लोनियन टिकुरी के हैण्ड-पम्प जो कि विभागीय रूप से लगाया गया है, के कार्यों का भुगतान अभी किया जाना शेष है।

जनपद सीतापुर के श्री ओम प्रकाश गुप्ता के विरुद्ध अवांछनीय तत्वों द्वारा दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों की जांच, सुरक्षा गार्ड की मांग

63—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 18/101 (1976-77) दिनांक 20-12-77 द्वारा उ0 प्र0 शासन गृह अनुभाग-4 के उप सचिव श्री प्रमोद चन्द्र रावल को लिखा गया था, जिसमें सीतापुर के श्री ओम प्रकाश गुप्ता के विरुद्ध अवांछनीय तत्वों से सांठ-गांठ रखने वाले एक गुट द्वारा पुलिस की सांठ-गांठ से विभिन्न मुकदमें लिखवाये जाने का रहस्योद्घाटन किया गया और श्री गुप्ता की असुरक्षा को देखते हुए आर्म्स गार्ड की व्यवस्था के सिलसिले में शासन से निर्देश मांगे गए थे ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस संबंध में क्या निर्देश दिए गए थे तथा अवांछनीय तत्वों से सांठ-गांठ रखने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रश्न में सन्दर्भित पत्र में जनपद सीतापुर के श्री ओम प्रकाश गुप्ता के विरुद्ध अवांछनीय तत्वों से सांठ-गांठ रखने वाले एक गुट द्वारा विभिन्न मुकदमें पंजीकृत कराने आदि का उल्लेख करते हुए श्री ओम प्रकाश गुप्ता की सुरक्षा हेतु उनकी अनुज्ञप्ति बहाली अथवा उनके लिए आर्म्स गार्ड्स की व्यवस्था के संबंध में शासन के निर्देश मांगे गए थे ।

शासन ने जिला मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दिए थे कि इस मामले में निर्णय लेने के लिए वह स्वयं सक्षम है ।

जिला मजिस्ट्रेट के उपरोक्त पत्र में अवांछनीय तत्वों से सांठ-गांठ रखने वाले किसी पुलिस कर्मचारी का उल्लेख नहीं किया गया था।

64—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23-2-82 को श्री ओम प्रकाश गुप्ता के घर पर अवांछनीय तत्वों द्वारा 7.15 अपराह्न पर धुआंधार गोली वर्षा की गई जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु, दो व्यक्ति जख्मी हुए थे तथा तीन लाइसेंसी बन्दूकें उठा ली गई थीं? यदि हां, तो बन्दूक बरामद करने के लिए पुलिस द्वारा क्या-क्या और कब-कब कदम उठाए गए ? क्या यह भी सही है कि उक्त घटना के तत्काल बाद श्री गुप्ता की सुरक्षा हेतु दो गार्ड नियुक्त कर दिए गए थे जिन्हें 18-3-82 को अचानक हटा लिया गया था और निजी खर्चे पर गार्ड के लिए श्री गुप्ता की मांग को अमान्य कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार बंदूकों की बरामदगी हेतु पुलिस द्वारा भरसक प्रयास किए गए परन्तु अभियुक्त नत्थू और घूसा-दीन के मारे जाने से अभियोग में लूटी गई बंदूकों के बरामद होने के सारे सूत्र समाप्त हो गए जिसके कारण बंदूकें बरामद नहीं की जा सकी हैं।

प्रश्नगत घटना को दृष्टिगत रखते हुए श्री ओम प्रकाश गुप्ता को सुरक्षा गार्ड तत्काल प्रदान किया गया था। ताकि अन्य कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाए परन्तु श्री गुप्ता द्वारा सुरक्षा गार्ड का दुरुपयोग किए जाने के कारण उक्त सुरक्षा गार्ड को तुरन्त हटा लिया गया था। श्री गुप्ता की आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए उनके द्वारा पुनः गार्ड की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था।

जनपद देवरिया के सब-इन्सपेक्टरों के विरुद्ध श्री रामानन्द श्रीवास्तव का शिकायती पत्र तथा उसकी जांच

65—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 रामानन्द श्रीवास्तव देवरिया का अप्रैल, 86 में जनपद देवरिया के तुर्कपट्टी थाना के दो सब इन्सपेक्टरों के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक, देवरिया को श्री रामानन्द को मारने व रुपये आदि छीनकर दवाइयां आदि नष्ट कर देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

शिकायती पत्र के सम्बन्ध में जांच के फलस्वरूप थाना तुर्कपट्टी, देवरिया के दो उपनिरीक्षकों द्वारा श्री रामानन्द श्रीवास्तव के प्रति दुर्व्यवहार किये जाने का आरोप सही पाया गया। उनको दुश्चरित्र लेख प्रदान किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

66—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक 6-8-85 को अता0 प्र0 सं0 71 द्वारा उत्तरित होने के कारण निरस्त]

67—श्री राम आसरे वर्मा—

[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

जिला बलिया, ग्राम रुस्तमपुर, थानाध्यक्ष बांसडीह के विरुद्ध लगाये गये आरोप

68–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सत्य नारायण सिंह वगैरह ग्राम रुस्तमपुर, थाना बांसडीह रोड परगना/जिला बलिया से सांठ-गांठ कर जप्तशुदा भूमि की जुताई बुआई के लिए जिम्मेदार थानाध्यक्ष बांसडीह रोड, बलिया के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद बलिया के ग्राम रुस्तमपुर, थाना बांसडीह रोड पर जप्तशुदा भूमि की जुताई बुआई का कार्य दिनाक 20-10-84 से परगनाधिकारी (सदर) बलिया द्वारा नियुक्त किये गये रिसीवर (श्री तारकेश्वर चौरसिया एडवोकेट) द्वारा कराया जा रहा है। जहां तक थाना बांसडीह रोड के थानाध्यक्ष द्वारा श्री सत्य नारायण सिंह आदि से सांठ गांठ करके जो जुताई बुआई कराने की बात कही गई है वह सही नहीं है तथा इस स्थिति में थानाध्यक्ष बांसडीह के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वन प्रभाग, हरदोई द्वारा माली के रिक्त पदों हेतु मांगे गये नाम

69–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, हरदोई द्वारा माली के 18 रिक्त पदों हेतु नाम मांगे गये थे जो शासनादेश सं0 20-3-82-1/कार्मिक-2-85 दिनांक 16-3-85 के अन्तर्गत अध्यक्ष जिला चयन समिति, हरदोई द्वारा दिनांक 14-8-85 को चुनाव किया गया था जिसमें 20 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया, जिसमें से 18 आदमियों को माली पद पर नियुक्ति हेतु आदेश जिला चयन समिति द्वारा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, हरदोई को भेज दिये गये थे, परन्तु सा0 वा0 वन प्रभाग द्वारा इन बेरोजगार अभ्यर्थियों को लगभग 8 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

माली पद पर चयनित अभ्यर्थियों को चुने जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, हरदोई ने दिनांक 12 मई, 1986 को शासन से आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया था। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा प्रमुख वन संरक्षक को सूचना भेजने हेतु लिखा गया था परन्तु सूचना प्राप्त न होने के कारण इसका परीक्षण प्रतीक्षित ही था कि इसी बीच कार्मिक अनुभाग के शासकीय पत्र संख्या 20/7/1986-कार्मिक-2, दिनांक 24 जून, 1986 द्वारा जिला चयन समितियों को समाप्त कर दिया गया। अब उक्त चयन समिति की संस्तुति के आधार पर नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि दिनांक 30 जून, 1986 के पश्चात् यह चयन सूचियां निष्प्रभावी हो गयी।

आर0 एम0 पी0 डिग्री कालेज, सीतापुर के प्रबन्धक श्री ओम प्रकाश गुप्ता व उनके परिवार को उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

70–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10-5-86 को आर0 एम0 पी0 डिग्री कालेज, सीतापुर के शिक्षकों का एक आवेदन पत्र प्राचार्य द्वारा अग्र-

सारित विद्यालय के प्रबन्धक श्री ओम प्रकाश गुप्ता व उनके परिवार को पुलिस द्वारा अनावश्यक उत्पीड़न किये जाने तथा उनके निजी खर्च पर सुरक्षा गार्ड दिये जाने के सिलसिले में पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

संदर्भित प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा करायी गयी । जांच से पुलिस के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि नहीं हुई । श्री ओम प्रकाश गुप्ता एक अपराधिक प्रकृति के व्यक्ति है, अतः उन्हें सुरक्षा गार्ड नहीं प्रदान किया गया है ।

जिला कारागार, बाराबंकी के निर्माण कार्यों में उपयोग की गयी सीमेन्ट का परमिट

71–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22-11-84 को जिला कारागार, बाराबंकी में फैजाबाद से परमिट द्वारा नगद खरीद पर 300 बोरी सीमेण्ट आयी थी ? यदि हां, तो उस सीमेण्ट का उपयोग कहां हुआ ? यदि उपयोग नहीं हुआ तो सीमेण्ट कहां गयी ? क्या उक्त सीमेण्ट की जिला कारागार, बाराबंकी में प्रवेश सम्बन्धी सूचना गेट रजिस्टर पर दर्ज है ? यदि हां, तो सीमेन्ट का ट्रक कितने बजे अन्दर प्रवेश किया तथा कितने बजे कारागार से बाहर आया ? क्या उस समय 300 बोरी सीमेण्ट कारागार में उतारी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

इसका उपयोग कारागार में विशेष मरम्मत के कार्यों को समय से पूर्ण कराने के लिए ठेकेदार द्वारा अपने साधनों से इस्तेमाल की गई सीमेण्ट को प्रतिपूर्ति में किया गया ।

जी हां । 12 बजकर 5 मिनट पर सीमेण्ट सहित ट्रक का कारागार में प्रवेश तथा 12 बजकर 20 मिनट पर सीमेण्ट सहित बाहर होना गेट बुक में अंकित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नन्हेलाल अभियुक्त की निर्धारित अवधि से पूर्व जेल से मुक्त किए जाने की जांच

72–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन जेलर द्वारा नन्हेलाल पुत्र श्री दर्शन निवासी ग्राम निरुमऊ (सेखापुर) परिवर्तित थाना सतरिख को जो 14-2-83 को ढाई वर्ष की सजा के हिसाब से 13-8-85 को जेल से छूटना चाहिए था, को 18-6-83 को ही छोड़ दिया गया? यदि हां, तो जेलर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच जेल अधीक्षक के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मामले की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है । परिणाम आने पर इस संबंध में दोषी पाए गए जेल कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने पर विचार किया जायगा ।

जनपद बाराबंकी के बाग लखपेड़ा में, आम के पेड़ों के अवैध कटान की जांच

73–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1985 में जनपद बाराबंकी के प्रसिद्ध बाग लखपेड़ा में लगभग 1500 हरे फल-

दार आम के पेड़ों को कटाये जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो क्या इस सिलसिले में सरकार सम्पूर्ण विवरण एवं की गई कार्यवाही से सदन को अवगत करायेगी ?

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)–

जी नहीं, केवल 612 वृक्षों के कटान की अनुमति दी गई है । यह बाग दो वन प्रभागों के अन्तर्गत आता है । अवध वन प्रभाग ने 412 आम के फलहीन वृक्षों के कटान के लिए अनुज्ञा पत्र जारी किया था तथा सीतापुर वन प्रभाग ने 212 वृक्षों के कटान की अनुमति दी थी । इस प्रकार कुल 612 वृक्षों के पातन की अनुज्ञा दी गई है । इस बाग में कोई अवैध कटान नहीं हुआ है ।

उ0 प्र0 जिला पुलिस संवर्ग एवं पुलिस मुख्यालय संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति में असमानता, कमेटी का गठन तथा संस्तुतियों का परीक्षण एवं हेड कांपिस्ट की पदोन्नति

74–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पुलिस में पुलिस मुख्यालय तथा जिला संवर्ग के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति जो मिनिस्टीरियल संवर्ग में आते हैं, की नियुक्ति की परीक्षा एक ही होती है और सेवा शर्तें भी एक ही हैं ? यदि हां, तो पुलिस मुख्यालय संवर्ग में नियुक्त ए0 एस0 आई0 (एम0) को केवल 7 या 8 वर्ष बाद ही सब इन्सपेक्टर (एम0) की पदोन्नति मिल जाती है और जिला संवर्ग के ही दो अलग-अलग शाखाओं (पत्र व्यवहार शाखा एवं सांख्यिक शाखा) में बैठने वाले ए0 एस0 आई0 (एम0) की पदोन्नति में भी जमीन आसमान का अन्तर है? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जिला पुलिस संवर्ग की अपेक्षा पुलिस मुख्यालय संवर्ग में उच्च पदों की स्वीकृति अधिक है और ए0एस0आई0 (एम0) संवर्ग का नियतन भी जिला पुलिस संवर्ग से कम है, इसलिए जिला पुलिस संवर्ग में प्रोन्नति मिलने में विलम्ब होता है ।

75–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या उपरोक्त संदर्भ में पुलिस महानिदेशक ने दिनांक 17-10-84 को पुलिस रेडियो मुख्यालय में सभी लिपिक वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की मीटिंग भी की थी और उनके द्वारा परेशानियां प्रकट करने पर उन्होंने अपने अ0श0 पत्र संख्या कान-73 (13)84 दिनांक 17-11-84 द्वारा पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक को सुधार हेतु आदेश दिए थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इसमें सुधार के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी जिसकी संस्तुतियां प्राप्त हो गई हैं । संस्तुतियों का परीक्षण किया जा रहा है ।

76–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या वर्ष 1980 में हेड कांपिस्ट (एस0 आई0 एम0 ग्रेड–4) के पदों को पुलिस विभाग में समाप्त करके उन्हें जिला जज के कार्यालयों में स्थानान्तरित किया गया तत्पश्चात् उन्हें पुनः एस0 आई0 (एम0) ग्रेड–3 (प्रधान लिपिक) के पद पर पदोन्नति दी जा रही है जिसके फलस्वरूप जो ए0 एस0 आई0 (एम0) पहले से ही विलम्ब से 29–30 वर्ष में पदोन्नति की आशा करते थे उन्हें ही अब और भी पदोन्नति की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 207/208 सपठित शासनादेश सं0 4000/सात-अ0 न्यायालय-12/74 दिनांक 5-10-79 द्वारा हेड क्रापिस्टों के जिला जज कार्यालय में प्रति नियुक्ति पर जाने से ए0 एस0 आई0 (एम0) के प्रोन्नति के अवसर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।

चूंकि जब प्रतिनियुक्ति के आदेश किए गए उसी समय जिला पुलिस मिनिस्टीरियल संवर्ग की पारस्परिक वरिष्ठता सूची बना दी गई तथा प्रति नियुक्ति पर गए कर्मचारियों की प्रोन्नति संवर्ग में रिक्ति होने पर किए जाने के प्राविधान रखे गए थे, अतः उनके प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप ए0 एस0 आई0 (एम0) के प्रोन्नति के **अफसरों पर विपरीत प्रभाव पड़ने का प्रश्न** ही नहीं उठता।

वैसे भी हेड कापिस्ट की वरिष्ठता एस0 आई0 (एम) के समतुल्य होती है अतः उसकी प्रोन्नति से ए0 एस0 आई0 (एम) के अवसर कम होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई के श्री छेद्दू द्वारा राइफल दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

77–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के श्री छेद्दू पुत्र देवशंकर निवासी ग्राम शिवपुरी, थाना व पोस्ट अतरौली, तहसील सण्डीला दफा 302 के सजायाफ्ता मुल्जिम ने स्वयं को राइफल दिये जाने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, हरदोई को दिया था ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या श्री छेद्दू पुत्र देवशंकर ने जालसाजी करके जिला सीतापुर से राइफल नम्बर 80039 लाइसेन्स संख्या 54 पी0 एस0 कोतवाली सीतापुर से प्राप्त कर लिया है? यदि हां, तो क्या जालसाजी करने वाले श्री छेद्दू पुत्र देवशंकर **का लाइसेंस निरस्त कर उनके एवं जिलाधिकारी, सीतापुर के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?** यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित श्री छेद्दू पुत्र देव शंकर ने आयुध लाइसेंस हेतु जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई को कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया था।

उपर्युक्त श्री छेद्दू ने अपना निवास स्थान आर्यनगर, थाना कोतवाली, जिला सीतापुर अंकित कर आयुध लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर को वर्ष 1980 में दिया था, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा आयुध लाइसेंस 22-8-80 को स्वीकृत कर दिया गया। श्री छेद्दू द्वारा जनपद सीतापुर से गलत तथ्यों के आधार पर लाइसेंस प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री छेद्दू द्वारा की गई अपील आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के न्यायालय में विचाराधीन है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

सा0 शि0 वि0 के छटनी शुदा कर्मचारियों को खपाये जाने की मांग, वर्क चार्ज वर्ग में विभिन्न जनपदों व मुख्यालय पर की गयी नियुक्तियां

78–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 शासन के कार्मिक

अनुभाग-2 से जारी शासनादेश संख्या 41/2/1967-कार्मिक-2 दिनांक 21 जुलाई, 1984 के अन्तर्गत वर्ष 1984 एवं 1985 में कितने छटनी शुदा कर्मचारियों को प्रादेशिक मुख्यालय पर खपाया गया ? यदि नहीं खपाया गया, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग–2 से जारी शासनादेश संख्या-41/2/1967-कार्मिक-2, दिनांक 21 जुलाई, 1984 के अन्तर्गत कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 लखनऊ में वर्ष 1984 एवं वर्ष 1985 में कोई नियुक्ति नहीं की गयी है ।

मितव्ययता के दृष्टिकोण से नियुक्तियों पर शासकीय प्रतिबन्ध होने के कारण छटनीशुदा कर्मचारियों को खपाने का प्रश्न नहीं उठता ।

79–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1984 एवं 1985 में वर्क चार्ज में विभिन्न जनपदों एवं मुख्यालय पर कितनी नियुक्तियां की गईं? क्या इन नियुक्तियों में मुख्य अभियन्ता उ0 प्र0 द्वारा जारी पत्र सं0 1729/डब्लू0 सी0 दिनांक 13 मई, 1977 का अनुपालन किया गया ? यदि हां, तो छटनी शुदा कितने कर्मचारियों की नियुक्तियां हुईं ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मथुरा में कारब राजबाहे तथा सिहोरा माइनर के ध्वस्त पुल को पुर्ननिर्माण की मांग

80–श्री सरदार सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में सिहोरा कारब मार्ग पर कारब राजबाहे तथा सिहोरा माइनर के पुल ध्वस्त हो गये हैं, जिससे सारा आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो विभाग इन पुलों का निर्माण कब तक करा देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

कारब राजबाहे तथा सिहोरा माइनर की पुलिया क्रमशः क्षतिग्रस्त एवं ध्वस्त हो गई है।

यातायात बिना पुलिया के ही माइनर में होकर जहां पर रैम्प बना दिये गये हैं, गुजर रहा है। उक्त दोनों पुलिया सिंचाई विभाग के अधीन है।

वृन्दावन नगर, जनपद मथुरा में जलापूर्ति

81–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वृन्दावन, जनपद मथुरा निवासियों से पूर्ण जलकर लेने के उपरान्त भी पूर्ण जल आपूर्ति नहीं की जाती है ? यदि हां, तो कब तक आपूर्ति पूर्ण की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह सत्य नहीं है कि वृन्दावन नगर, जनपद मथुरा में पूर्ण जलकर लेने के उपरान्त भी पूर्ण जलापूर्ति नहीं की जाती है। नगर में जलापूर्ति की व्यवस्था सन्तोषजनक है परन्तु यदा कदा विद्युत आपूर्ति में व्यवधान हो जाने पर जलापूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है । जलापूर्ति को अपेक्षाकृत और बेहतर बनाने के उद्देश्य से नगर क्षेत्र में इण्डिया मार्क-2 के 98 हैण्ड पम्प और लगाये जा चुके हैं और 10 हैण्ड पम्प और लगाये जाने का कार्य प्रगति पर है।

जनपद मथुरा में कुरसन्डा राजवाहे मार्ग एवं दघैटा राजवाहे पर ध्वस्त पुल के पुनर्निर्माण की मांग

82–श्री सरदार सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में नगौडा, सौंख खेड़ा, पचावर मार्ग पर कुरसन्डा राजवाहे मार्ग पर बना पुल ध्वस्त हो गया है, जिससे सारा आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो विभाग इस पुल का निर्माण कब तक करा देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

बाईपास द्वारा यातायात निकल रहा है ।

प्रश्नगत पुल सिंचाई विभाग के अधीन है ।

83–श्री सरदार सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में अबरैनी, जुग्सना मार्ग पर दघैटा राजवाहे का पुल ध्वस्त हो गया है, जिससे सारा आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो विभाग इस पुल का निर्माण कब तक करा देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

केवल हल्के वाहन गुजर रहे हैं ।

यह पुल सिंचाई विभाग के अधीन है।

84–श्री सरदार सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अभिसूचना इकाई में आरक्षी के वर्दी भत्ते में बढ़ोत्तरी

85–श्री सरदार सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि अभिसूचना इकाई में आरक्षी को वर्दी-भत्ता 10 रु0 प्रतिमाह दिया जाता है ? यदि हां, तो महंगाई को देखते हुए क्या शासन इसे बढ़ाकर 50 रु0 प्रतिमाह करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अभिसूचना विभाग, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग तथा राजकीय रेलवे पुलिस (सी0 आई0 ए0) में कार्यरत कान्स0 तथा हेड कान्स0 को रु0 10/- प्रतिमाह की दर से वर्दी भत्ता दिनांक 1-11-85 के पूर्व दिया जाता था ।

दिनांक 1-11-85 से इन कर्मचारियों का वर्दी भत्ता रु0 10/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 25/- प्रति माह स्वीकृत कर दिया गया है ।

उपनिरीक्षक पुलिस को दिए जाने वाले मोटर साइकिल भत्ते में बढ़ोत्तरी की मांग

86–श्री सरदार सिंह–

क्या गृह मंत्री की जानकारी में है कि उपनिरीक्षक पुलिस को मोटर साइकिल भत्ता 75/- प्रतिमाह दिया जाता है ? यदि हां, तो पेट्रोल की महंगाई को देखते हुए क्या शासन इसे बढ़ाकर 150/- रु0 प्रतिमाह करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

मोटर साइकिल भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

जिला मथुरा, ग्राम पचावर में पेयजल सुविधा हेतु टंकी का निर्माण

87–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पचावर, ब्लाक बल्देव, जिला मथुरा में जल निगम ने पानी की समस्या को दूर करने के लिए दो साल पहले पानी की टंकी का निर्माण कराया था ? टंकी का निर्माण होने तथा निकटवर्ती 12 गांवों में पाइप लाइन बिछाने के उपरान्त भी पानी की सप्लाई नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों? और पानी की सप्लाई कब तक दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, टंकी का निर्माण अभी पूर्ण नहीं है। एक नलकूप पूर्ण हो जाने पर मुख्य ग्राम पचावर तथा 8 नगलों में सीधे पम्पिंग द्वारा पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। शेष 4 नगलों में पाइप लाइन की टैस्टिंग पूर्ण हो जाने पर एक माह में पेयजल सुविधा प्रदान होने की आशा है टंकी का निर्माण पूर्ण हो जाने पर उसके माध्यम से पेयजल सुविधा अक्टूबर, 1986 तक उपलब्ध करा दी जायेगी ।

नेशनल हाइवे डिवीजन, मथुरा द्वारा आगरा-दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग पर व्यय की धनराशि

88–श्री सरदार सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल हाईवे डिवीजन, मथुरा ने आगरा दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग पर अपनी अधिकार सीमा में वित्तीय वर्ष 1985-86 में कितना व्यय किया ? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण उपखण्ड वाइज सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नेशनल हाइवे डिवीजन, मथुरा ने अपने अधिकार सीमा में आगरा–दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग–2 पर वित्तीय वर्ष 1985-86 में कुल रु0 162.07 लाख व्यय किया ।

व्यय विवरण संलग्न है । इस खण्ड के अन्तर्गत कोई उपखण्ड नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 124 पर)

वन विभाग, डिवीजन मथुरा में वृक्षारोपण तथा व्यय की धनराशि

89–श्री सरदार सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग, डिवीजन मथुरा ने वर्ष 1983-84, 1984-85 व 1985-86 में कहां-कहां वृक्षारोपण किया और प्रत्येक स्थान पर कितना-कितना व्यय हुआ ? कितने वृक्ष जिन्दा हैं ? तथा वर्ष 1986-87 में कहां-कहां वृक्षारोपण प्रस्तावित है ? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जफर अली नकवी–

अपेक्षित सूचना संलग्न† है।

†छापी नहीं गयी ।

नगरपालिका वृन्दावन में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों का कोटा

90–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि नगर पालिका वृन्दावन में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (सफाई मजदूरों को छोड़कर) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों का कोटा अभी

तक पूरा नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों? वर्तमान में यह कोटा कितना है और कब तक पूरा कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मथुरा स्थित अस्थाई खण्ड द्वारा मार्गों की मरम्मत तथा व्यय की धनराशि

91–श्री सरदार सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा स्थित अस्थाई खण्ड ने वित्तीय वर्ष 1985-86 में कौन-कौन से नये कार्य किये तथा किन-किन मार्गों की मरम्मत की और उन पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय हुई ? पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत खण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 1985-86 में जो नये कार्य किये गये तथा जिन मार्गों की मरम्मत की गयी उन पर क्रमशः रु0 123.54 लाख तथा 54.72 लाख व्यय हुआ ।

पूर्ण विवरण की सूची माननीय राज्य मंत्री सा0 नि0 विभाग के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जिसे मा0 सदस्य कृपया देख सकते हैं ।

जनपद मथुरा में गन्ना विकास विभाग द्वारा किये गये विकास कार्य तथा व्यय का विवरण

92–श्री सरदार सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गन्ना अधिकारी, मथुरा ने वित्तीय वर्ष 1985-86 में कौन-कौन से विकास कार्य किये और उन पर क्रमशः कितना-कितना व्यय हुआ ? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1985-86 में जनपद मथुरा में गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत किये गये विकास कार्यक्रमों एवं उन पर हुए व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

	रु0 में
1–आधार गन्ना बीज उत्पादन की योजना	11,124
2–गन्ने बीज यातायात पर अनुदान देने की योजना–	3,500
3–चीनी मिलों के 16 कि0मी0 परिधि क्षेत्र में सघन गन्ना विकास की योजना के अन्तर्गत शासकीय अनुदान–	41,265
4–गन्ना उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रदर्शन की योजना–	35,000
5–सस्ते दर पर फसल रक्षा यंत्र उपलब्ध कराने की योजना–	5,500
6–स्थलीय एवं हवाई विधि द्वारा गन्ना कीट नियंत्रण की योजना के अन्तर्गत शासकीय अनुदान–	39,810
कुल योग :	1,36,199

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त जनपद में वर्ष 1985-86 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एवं बाढ़ राहत के अन्तर्गत मिट्टी तथा खड़जा एवं पुलियों के निर्माण में कुल 13,38,400 रु0 का व्यय हुआ तथा मजदूरी/राहत के रूप में 108888 कि0ग्रा0 गेहूं वितरित किया गया। गन्ना विकास परिषद् छाता, मथुरा के बजट से भी खड़ंजा एवं पुलियों के निर्माण में 1,18,000 रु0 का व्यय किया गया ।

वृन्दावन एवं मथुरा में, यमुना नदी के प्रदूषण की रोकथाम हेतु योजनाओं पर व्यय

93–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी में है कि वृन्दावन एवं मथुरा नगर पालिकाओं के कुछ नाले लगातार यमुना नदी में गिरकर नदी के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं ? यदि हां, तो इन नालों के नाम व संख्या क्या है ? शासन इनको रोकने के लिए कब से और क्या-क्या प्रयास कर रहा है तथा कौन-कौन से नाले अब तक नदी में गिरने से रोक दिये गये हैं? नालों को रोकने में अब तक कितना व्यय किया जा चुका है और नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए भावी क्या योजना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

वृन्दावन में 18 छोटे बड़े नाले तथा मथुरा में 17 छोटे-बड़े नाले यमुना नदी में गिर रहे हैं ।

वृन्दावन में गिरने वाले नालों के नाम इस प्रकार हैं :–

1–कालीदह
2–सूरज घाट
3–जंगल घाट
4–जंगल कुटी
5–विहार घाट
6–रनपत घाट
7–गोविन्द घाट
8–चीर घाट
9–मौराघाट
10–बाजर घाट
11–के सी घाट
12–घेरा कमरिया नाला
13–छावनी रंगजी नाला
14–वंशीवट नाला
15–टेथमपट नाला
16–ज्ञान गुदड़ी नाला
17–म्यूनिसिपल बोर्ड नाला (राधा बाग)
18–सी0 एफ0 सी0 नाला ।

मथुरा नगर में गिरने वाले नालों के नाम निम्नलिखित हैं :–

1–शाहगंज दरवाजा
2–वृन्दावन गेट आक्ट्रम पोस्ट नाला
3–किशन गंगा
4–गऊघाट
5–दोला-मोला
6–रानी घाट
7–स्वामी घाट
8–मखदून शाह
9–असकुण्डा घाट
10–विश्राम घाट
11–कंसाखार घाट
12–बंगाली घाट
13–ध्रुव घाट
14–अम्बाखार नाला
15–सतरंगी नाला
16–महादेव नाला
17–मसानी नाला ।

वर्ष 83-84 में वृन्दावन एवं मथुरा नगर में यमुना नदी में जल के प्रदूषण की रोकथाम हेतु क्रमशः रु0 49.32 लाख एवं रु0 25.26 लाख की योजनायें विरचित की गयी थी जिसमें क्रमशः 12 एवं 13 नालों के ट्रेपिंग अरेन्जमेंट को ठीक कराकर पुराने कार्यों को पुनः उपयोगी करने का प्राविधान है।

वृन्दावन नगर में व मथुरा नगर में निम्नलिखित दो-दो नालों को यमुना नदी में गिरने से रोक दिया गया है :–

वृन्दावन नगर :

1–सी0 एफ0 सी0 नाला
2–राधाबाग नाला (म्यूनिसिपल बोर्ड नाला)

मथुरा नगर :

1—बंगाली घाट नाला

2—गऊघाट नाला ।

वृन्दावन नगर एवं मथुरा नगर की योजनाओं पर (अब तक) जुलाई, 1986 तक क्रमश: रु0 16-69 लाख व रु0 16.68 लाख (कुल रु0-33.37 लाख) व्यय किया जा चुका है।

वृन्दावन एवं मथुरा नगर पालिका के शेष नाले क्रमशः 6 व 3 नालों को यमुना नदी के जल में मिलने से रोकने के लिए दो योजनायें क्रमश: रु0 472.92 लाख व रु0 938.10 लाख की विरचित की जा रही है।

मथुरा नगर का एक (मसानी) नाला जिसमें मुख्यत: इण्डस्ट्रियल वेल्ट ही आता है, के रोकथाम की कार्यवाही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अलग से की जा रही है।

प्रान्तीय खण्ड, मथुरा के मार्गों की मरम्मत तथा व्यय का विवरण

94—श्री सरदार सिंह—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड, मथुरा ने वित्तीय वर्ष 1985-86 में कौन-कौन मार्गों की मरम्मत तथा कौन-कौन से नवीन कार्य किये तथा उन पर कितना व्यय हुआ ? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण व व्यय सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत खण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 1985-86 में जिन मार्गों की मरम्मत तथा जो नवीन कार्य किये गये उन पर क्रमश: रु0 80.42 लाख तथा रु0 138.09 लाख व्यय हुआ । इसके अतिरिक्त नगर पालिका मथुरा एवं वृन्दावन के 9.38 लाख रु0 निक्षेप व मरम्मत के भी कार्य किए गए।

पूर्ण व्यय के विवरण की सूची माननीय राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में उपलब्ध है जिसे माननीय सदस्य कृपया देख सकते हैं ।

भारतीय खाद्य निगम, मथुरा के गोदामों से चोरी गये गेहूं के बोरे की जांच

95—श्री सरदार सिंह—

क्या गृह मंत्री की जानकारी में है कि फरवरी/मार्च, 1986 में भारतीय खाद्य निगम के मथुरा स्थित गोदामों से सैकड़ों बोरा गेहूं चोरी चले जाने की रपट थाना नरहौली में हुई थी ? यदि हां, तो चोरी का पता लगाने हेतु इलाका पुलिस ने किस-किस के बयान लिये और किन-किन को गिरफ्तार कर जेल भेजा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12-2-86 को थाना-नरहौली, जनपद-मथुरा में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से 730 बोरी गेहूं के चोरी हो जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रभारी के0 जी0 गोदाम भारतीय खाद्य निगम, मथुरा की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना-नरहौली पर मु0 अ0 सं0 24/86, धारा 380 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया ।

इस अभियोग की विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा जिन व्यक्तियों के बयान लिये गये हैं उनका विवरण संलग्न है।

विवेचक द्वारा काफी प्रयास करने पर भी चोरी का पता न चल सकने के कारण मामले की विवेच अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई तथा जुर्म खारिजा रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

इसके अतिरिक्त दिनांक 13-3-86 को वादी श्री आर0 पी0 श्रीवास्तव ने गोदाम से गेहूं की बोरियों के चोरी से ले जाने के सम्बन्ध में थाने पर एक तहरीरी सूचना दी जिस पर थाना नरहौली पर मुकदमा अप0 सं0 35/86, धारा 380 भा0 द0 वि0 बनाम सुरेन्द्र सिंह आदि पंजीकृत किया गया। इस अभियोग में विवेचना के दौरान जिन व्यक्तियों के बयान लिये गये हैं उनका विवरण संलग्न है।

इस अभियोग में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने एवं चोरी का पता न चलने के कारण विवेचना, अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई थी तथा जुर्म खारिजा रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

विवेचना के दौरान गेहूं की बोरियों की चोरी में एस0 सी0 आई0 विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों का हाथ होने का आभास पाया गया जिसके सम्बन्ध में इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने हेतु जिला प्रबन्धक, आगरा फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया, को लिखा जा चुका है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 125-126 पर)

नगर पालिका कोसी कला (मथुरा) में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों का कोटा

96–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री जी की जानकारी में है कि नगर पालिका कोसी कला (मथुरा में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (सफाई मजदूरों को छोड़कर) अनुसूचित जाति एव जनजाति के कर्मचारियों का कोटा अभी तक पूरा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों? वर्तमान में यह कोटा कितना है और कब तक पूरा कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगरपालिका मथुरा में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों का कोटा

97–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि नगरपालिका मथुरा में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग (सफाई मजदूरों को छोड़कर) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों का कोटा अभी तक पूरा नहीं किया है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों का वर्तमान कोटा निर्धारित कोटे से कितना कम है और इस कमी के क्या कारण हैं तथा कोटा कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का तृतीय श्रेणी में 5.37 प्रतिशत, चतुर्थ श्रेणी में 6.71 प्रतिशत कम है । अनुसूचित जनजाति का तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी में कोई कर्मचारी नहीं है । कमी का कारण यह है कि निर्वाचित गाडों के कार्यकाल में की गई नियुक्तियों के समय अनुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की यथोचित जानकारी नियुक्तिकर्ताओं को न होना था ।

नई नियुक्तियां किए जाने पर लागू शासकीय प्रतिबन्ध के समाप्त होने के उपरांत तथा सेवा निवृत्ति या अन्यथा रिक्तियां होने पर नई नियुक्तियां करते समय नियमानुसार आरक्षण कोटा पूर्ण कर दिया जायेगा ।

जनपद मथुरा के शहरी एवं देहात क्षेत्रों के जल निगम द्वारा पेयजल कार्यों का विवरण

98–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1985–86 में मथुरा शहर एवं देहात में जल निगम ने पानी की समस्या को दूर करने के लिए कौन-कौन से कार्य किए और उन पर कितना-कितना व्यय आया ? क्या मंत्री जी डिवीजन एवं विधान सभाई क्षेत्र वाइज सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1985-86 में जनपद मथुरा के शहरी एवं देहात क्षेत्रों में जल निगम ने पानी की समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए :–

शहर क्षेत्र :

चार नगरों (मथुरा, वृन्दावन, सादाबाद एवं बल्देव नगर) में 3 जलाशयों के आंशिक कार्य 3 नलकूप एवं पाइप लाइन के कार्य कराए गए तथा 2 नगरों में 70 इण्डिया मार्क–11 हैण्डपम्प लगाकर जल सम्पूर्ति की गई ।

देहात क्षेत्र :

69 ग्रामों को पाइप लाइन एवं 69 ग्रामों को 121 इण्डिया मार्क-11 हैण्डपम्प लगाकर पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी गयी ।

शहर व देहात क्षेत्र में कराये गये कार्यों पर क्रमशः 28.79 लाख एवं 160.17 लाख रुपया व्यय आया ।

डिवीजन एवं विधान सभाई क्षेत्र वाइज विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 127-128 पर।)

99–श्री सरदार सिंह–

[दिनांक 2-4-86 को सदन में वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

जनपद मथुरा में गन्ना विकास विभाग द्वारा मार्गों का निर्माण

100–श्री सरदार सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री की जानकारी में है कि गन्ना विकास अधिकारी, मथुरा ने वर्ष 1985-86 में विभिन्न मार्गों का निर्माण कराया था ? यदि हां, तो ब्लाक वाइज पूर्ण विवरण क्या मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद मथुरा में गन्ना विकास विभाग द्वारा वर्ष 1985-86 में जिन मार्गों का निर्माण कराया गया उसका ब्लाक वाइज पूर्ण विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 129-130 पर)

जनपद मथुरा में स्थायी खण्ड द्वारा निर्मित मार्गों पर डामर करवाने की मांग

101–श्री सरदार सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद में स्थायी खण्ड द्वारा निर्मित सिहोरा कारबे पचावर मार्ग, राया सादाबाद मार्ग से ब्योंही जुगसना मार्ग नगाड़ा सौंख खेड़ा पचावर मार्ग पडोरा ततरोंला व मडोरा कजौली घाट मार्ग एवं पानी गांव से राधा रानी मार्ग जर्जरित व्यवस्था में पड़े हैं और वाहन चलाने योग्य नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन उक्त मार्गों पर अविलम्ब डामर कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

वाहन चल रहे हैं।

राया सदाबाद मार्ग से व्योही जुगसना मार्ग लम्बाई 3 किमी0 (किमी0 1.50 से 4.50 तक) को छोड़कर शेष मार्गों को खड़ंजा स्तर से ऊपर कार्य कराने की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं है। उक्त 3 किमी0 मार्ग लेपन स्तर तक स्वीकृत है। इसके कुछ भाग में भूमि एवं संरेखण का विवाद होने के कारण लेपन स्तर तक निर्माण नहीं कराया जा सका है।

ग्राम इटौली, ब्लाक राया, जिला मथुरा को मार्ग से जोड़ने की मांग

102–श्री सरदार सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एक हजार अथवा इससे अधिक आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो पन्द्रह सौ की आबादी वाले गांव इटौली, ब्लाक राया, जिला मथुरा को अभी तक किसी मार्ग से न जोड़ने का क्या कारण है ? क्या शासन अविलम्ब इस गांव को सड़क से जोड़ने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अनुसार 1500 या उससे अधिक आबादी वाले समस्त गांव तथा 1000 से 1499 तक आबादी वाले 50 प्रतिशत गांवों को वर्ष 1990 तक सर्व-ऋतु योग्य मार्गों से जोड़ा जाना है। ग्राम इटौली, ब्लाक राया, जिला मथुरा की आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 1197 है, जो 1000 से 1500 आबादी वाले गांव में आता है। आवश्यक धन की उपलब्धता एवं जिला समिति के अनुमोदन पर निर्भर है।

वृन्दावन (मथुरा) के निवासियों द्वारा यमुना नदी पर नये पुल के निर्माण की मांग

103–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार की जानकारी में है कि मार्च, 86 में वृन्दावन (मथुरा) के निवासियों ने नगरपालिका कार्यालय के समक्ष यमुना नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर लम्बे समय तक अनशन किया था ? यदि हां, तो अनशनकारियों की मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं और शासन ने उन पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

मुख्य मांग वृन्दावन में यमुना नदी पर नये पुल निर्माण कराये जाने की थी। इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विचार किया गया। प्रश्नगत पुल प्रदेश में आवश्यक पुलों की प्राथमिकता सूची में नहीं आता है। अतः फिलहाल धनाभाव के कारण प्रस्तावित पुल की स्वीकृति देना सम्भव नहीं है।

आगरा–दिल्ली मार्ग के भाग को चौड़ा किये जाने का प्रस्ताव

104–श्री सरदार सिंह–

क्या रा0 नि0 मंत्री की जानकारी में है कि आगरा–दिल्ली मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है ? यदि हां, तो पूरी योजना का प्रारूप क्या है, योजना पर कितना व्यय होगा और मथुरा एवं आगरा जनपद के राष्ट्रीय मार्ग पर बसे गांवों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। इस मार्ग को सम्प्रति चौड़ा नहीं किया जा रहा है, किन्तु आगरा-दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग के कुछ भाग को चौड़ा करने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

योजना का प्रारूप मुख्य रूप से प्रश्नगत मार्ग को चार लेन में चौड़ा करने का है।

योजना पर होने वाला व्यय तथा योजना का प्रभाव भारत सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा।

105–श्री सरदार सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

106–श्री सरदार सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

टाउन एरिया कोयरीपुर (सुल्तानपुर) में सार्वजनिक शौचालय बनवाने की मांग

107–श्री शिव नारायण मिश्रा–

क्या नगर विकास मंत्री टाउन एरिया कोयरीपुर सुल्तानपुर की हरिजन बस्ती के लोगों की समस्याओं को देखते हुए वहां सार्वजनिक शौचालय बनवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

टाउन एरिया कोयरीपुर (सुल्तानपुर) की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण हरिजन बस्ती में सार्वजनिक शौचालय की सुविधा फिलहाल उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

धोपाप, जनपद सुल्तानपुर को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना

108–श्री शिव नारायण मिश्रा–

क्या मुख्य मंत्री अनुग्रह की कृपा करेंगे कि श्री श्रीपति मिश्र भूतपूर्व मुख्य मंत्री के शासन काल में धोपाप, सुल्तानपुर को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की कोई योजना शासन द्वारा बनायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या धोपाप को पर्यटन केन्द्र बनाने की योजना शासन के अन्तर्गत विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

वित्तीय वर्ष 1983-84 में जिला स्तरीय योजना के अन्तर्गत धोपाप, जनपद सुल्तानपुर के पर्यटन विकास की योजना सम्मिलित करायी गयी थी किन्तु चूंकि प्रश्नगत योजना जिला स्तरीय योजना थी और इसी वर्ष इसी जनपद से बिजेथुआ पर्यटन विकास की योजना भी सम्मिलित करायी गयी थी। अतः जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के निर्देशानुसार धोपाप के विकास की योजना को कार्यान्वित न करते हुए बिजेथुआ के पर्यटन विकास को ही कार्यान्वित कराया गया। अब, वर्तमान में धोपाप के पर्यटन विकास की कोई योजना पर्यटन विभाग के अधीन विचाराधीन नहीं है।

चांदा, जनपद सुल्तानपुर के बाजारों में मार्ग के किनारे पानी निकास हेतु पक्की नाली बनवाने की योजना

109–श्री शिव नारायण मिश्रा–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग 56 पर स्थित हनुमानगंज, कामतागंज, लम्भुआ, चांदा–जनपद सुल्तानपुर के बाजारों में मार्ग के किनारे पानी के निकास के लिए पक्की नाली वर्षों पूर्व से बनवाने की योजना है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही

110–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में आवास विकास भवन निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण में शासन के निर्देशों के पश्चात् कार्यवाही में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ? कृपया यह भी अवगत करायेंगे कि आवास विकास कालोनी के निर्माण के लिए कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है तथा इस पर कितना धन व्यय होने की सम्भावना है ? क्या निकट भविष्य में इस योजना को तत्काल लागू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद सुल्तानपुर में आवास एवं विकास परिषद् की लोहरामऊ योजना जिसका क्षेत्रफल 140.24 एकड़ है का धारा 28 के अन्तर्गत प्रथम प्रकाशन राजकीय गजट में दिनांक 24-9-83 को हुआ। आवश्यक वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् शासन से परिषद् अधिनियम की धारा-31-(2) के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु दिनांक 28-8-84 को अनुरोध किया गया था। श्री राम सिंह, भूतपूर्व विधायक, जिला सुल्तानपुर के मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र के क्रम में शासन ने मामले का परीक्षण करने का निर्देश दिया।

अत: परिषद् ने पुन: विचार करके योजना को परिष्कृत करके उक्त भूमि में से मात्र 50 एकड़ भूमि अर्जित करने का निर्णय लिया । शासन ने परिषद् अधिनियम की धारा-31(2) के अन्तर्गत दिनांक 21-2-86 को योजना का अनुमोदन किया है । परिषद् अधिनियम की धारा-32(1) के अन्तर्गत गजट में प्रकाशन हेतु कार्यवाही की जा रही है । भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही आवास कालोनी हेतु की जा रही है तथा भूमि अर्जन पर अनुमानत: रुपये 1.00 करोड़ व्यय होने की सम्भावना है । प्रकाशन की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-7 एवं धारा-17 के आदेश शासन से निर्गत होने के पश्चात कब्जा प्राप्त होते ही योजना तत्काल लागू कर दी जायेगी ।

चांदा-सुल्तानपुर के अन्तर्गत धोपाप ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन विभाग के अंतर्गत लेने की योजना

111–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चांदा-सुल्तानपुर के अन्तर्गत धोपाप ऐतिहासिक स्थल का सुन्दरीकरण, घाटों के निर्माण के लिए श्री श्रीपति मिश्र भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने अपने कार्यकाल में दो लाख पच्चास हजार रुपया स्वीकृत किये थे? यदि हां, तो उस रुपये का व्यय कहां किया गया, धोपाप पर क्यों नहीं किया गया ? क्या धोपाप को पर्यटन विभाग के अन्तर्गत लेने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा?

श्री प्रमोद कुमार–

वित्तीय वर्ष 1983-84 में जिला स्तरीय योजनान्तर्गत धोपाप जनपद सुल्तानपुर के पर्यटन विकास की योजना सम्मिलित करायी गयी थी जिसके लिये नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रुपया

3.00 लाख (तीन लाख) का परिव्यय आबंटित किया गया था । किन्तु चूंकि प्रश्नगत योजना जिला स्तरीय योजना थी और इसी वर्ष सुल्तानपुर की एक अन्य योजना बिजेथुआ का पर्यटन विकास भी सम्मिलित करायी गयी थी । अतः जिलाधिकारी सुल्तानपुर के निर्देशानुसार धोपाप के पर्यटन विकास की योजना को कार्यान्वित न करते हुए बिजेथुआ के पर्यटन विकास की योजना को कार्यान्वित कराया गया । अब वर्तमान में धोपाप के पर्यटन विकास की कोई योजना विचाराधीन नही है।

किसान सहकारी चीनी मिल, सुल्तानपुर द्वारा कृषकों का लिया गया गन्ना तथा चीनी का उत्पादन

112—श्री शिव नारायण मिश्रा—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल लि0 सुल्तानपुर ने इस वर्ष किसानों का कितना गन्ना लिया तथा कितनी मात्रा में चीनी बनायी गई? क्या अन्य चीनी मिलों के तुलना में इस चीनी मिल की चीनी की लागत बाजार भाव में अधिक पड़ रही है तथा चीनी मिल पर किसानों का कितना धन शेष देय है? चीनी मिल कब से कब तक चली? क्या यह चीनी मिल नुकसान में चल रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

किसान सहकारी चीनी मिल सुल्तानपुर ने वर्ष 1985-86 में किसानों का 7.03 लाख कुन्तल गन्ना लिया तथा 0.61 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया।

वर्ष 1985-86 में इस चीनी मिल की चीनी उत्पादन की लागत कुछ अन्य चीनी मिलों एवं औसत बाजार भाव की तुलना में अधिक है।

वर्ष 1985-86 में इस मिल पर किसानों का 160.10 लाख रुपये गन्ना मूल्य देय था, जिसमें से 16-8-86 तक किसानों को 159.73 लाख रुपये भुगतान कर दिया गया है। अब केवल 0.37 लाख रु0 गन्ना मूल्य भुगतान हेतु शेष है।

चीनी मिल ने सत्र 1985-86 में 27-11-85 को पेराई आरम्भ की तथा 3-3-86 को अन्तिम रूप से पेराई समाप्त की ।

किसान सहकारी चीनी मिल सुल्तानपुर नुकसान में चल रही है जिसका मुख्य कारण चीनी मिल को पर्याप्त मात्रा में पेराई हेतु गन्ना न मिलना तथा मिल पर अत्यधिक ब्याज का भार होना है।

ग्राम भदैया, थाना लम्भुआ पर बने पुल को चौड़ा किये जाने की मांग

113—श्री शिव नारायण मिश्रा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग 56 के लखनऊ से 156 किलोमीटर सुल्तानपुर से जौनपुर मार्ग पर 16 किलोमीटर ग्राम भदैया थाना-लम्भुआ पर एक सकरा पुल निर्मित है? आने जाने वालों वाहनों की सुरक्षा हेतु क्या उस पुल को और चौड़ा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, किन्तु यह पुल राष्ट्रीय मार्ग-56 के किमी0 152 में स्थित है।

जी नहीं, चौड़ा करने का कार्य भारत सरकार की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

मथुरा दीवानी न्यायालय में पंखा, टाइपराईटर आदि की चोरी की घटनायें

144—श्री सरदार सिंह—

क्या न्याय मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 84-85 में मथुरा दीवानी न्यायालयों में पंखा, टाइप राइटर आदि की चोरी की अनेक

घटनायें हुई थीं ? यदि हां, तो कुल कितनी चोरियां हुईं, कितना-कितना सामान चोरी गया,? पुलिस ने क्या-क्या कार्यवाहियां की तथा कौन-कौन कर्मचारी व अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाहियां हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1985 में मथुरा दीवानी न्यायालयों में नल की टोंटियां, हिन्दी टाइपराईटर, छत के बिजली के पंखे, घड़ी व मेजपोश की चोरी की चार घटनायें हुई, जिनके विवरण निम्नवत् हैं:–

(1) दिनांक 11 मार्च, 1985 को चार पीतल की नल की टोंटियों की चोरी ।

(2) दिनांक 21/22 अप्रैल, 1985 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से एक पुराने हिन्दी टाइपराईटर की चोरी ।

(3) 30/31 मई, 1985 को जिला जजी मथुरा के कार्यालय व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से दो छत के बिजली के पंखे, एक घड़ी व एक मेजपोश की चोरी ।

(4) दिनांक 13 अक्तूबर, 1985 को जिला न्यायाधीश के न्यायालय व कार्यालय से दो छत के बिजली के पंखे, दो दीवार घड़ी, एक मेजपोश तथा चार पीतल के नल की टोंटियों की चोरी ।

दिनांक 11 मार्च, 1985 को चार पीतल की नल की टोंटियों की चोरी हुई उसकी कोई रिपोर्ट पुलिस में नहीं की गई लेकिन शेष तीन चोरियों की रिपोर्ट पुलिस थाने में की गई, परन्तु पुलिस विभाग द्वारा जांच के दौरान या बाद में किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया और अन्त में शेष तीनों घटनाओं में अन्तिम रिपोर्ट लगा कर कार्यवाही समाप्त कर दी।

प्रथम चोरी में जो दिनांक 11 मार्च, 1985 को हुई विभागीय जांच की गई जिसके फलस्वरूप चौकीदारी को भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी गई तथा इस पद से उसका स्थानान्तरण भी किया गया ।

दूसरी चोरी जो दिनांक 21/22 अप्रैल, 1985 को हुई, इसमें भी विभागीय जांच की गई और चौकीदार राधा रमन को लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया गया । चोरी गये पुराने हिन्दी टाइपराइटर का हृषित मूल्य रुपये900 उससे किस्तों में वसूली करने के आदेश दिये गये तथा चौकीदार राधा रमन को 10 माह तक निलम्बित रखा गया और उसे केवल निलम्बन भत्ता ही दिया गया ।

तीसरी चोरी दिनांक 30/31 मई, 1985 को हुई, उसके लिए चौकीदार राम नारायन को दोषी पाया गया और उसे दिनांक 18 मार्च, 1986 को सेवा से अलग किया गया ।

चौथी चोरी जो दिनांक 13 अक्तूबर, 1985 को हुई उसमें चौकीदार कन्हैया लाल के विरुद्ध अभी विभागीय जांच चल रही है ।

सर्वश्री गोयनका पाली पैक प्रा0 लि0, कानपुर को बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत दी गयी छूट

115–श्री सरदार सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के गोयनका को बिक्रीकर अधिनियम की धारा 35 में 10 लाख रुपये वार्षिक की छूट दी गई ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । सर्वश्री गोयनका पाली पैक प्रा0 लि0 कानपुर का वर्ष 1985 में एक प्रश्न दिनांक 25-3-85 को धारा-35 के अन्तर्गत निर्णयार्थ प्राप्त हुआ था। उसे दिनांक 12-4-85 के आदेश द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि प्रश्न धारा-35 की परिधि में नहीं आता। उक्त फर्म का दूसरा प्रश्न वर्ष 1986 में दिनांक 8-5-86 को प्राप्त हुआ जिसमें बिक्रीकर अधिकारी खंड-12 कानपुर से रिपोर्ट मंगाई गई है। अभी इस मामले में निर्णय नहीं हुआ है । उपर्युक्त के अतिरिक्त कानपुर के गोयनका का अन्य कोई मामला 35 में निर्णीत नहीं हुआ है । यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 35 में कार्यवाही उसी प्रकार अर्धन्यायिक है जैसे धारा 7, 9, 10, 21 आदि में ।

न्याय पंचायत सोनाई (मथुरा) के ग्रामों में पेयजल टंकियों के निर्माण की मांग

116–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि न्याय पंचायत सोनाई (मथुरा) के प्रत्येक गांव में खारा पानी है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस न्याय पंचायत में अभी तक पानी पीने हेतु टंकी निर्माण न करने के क्या कारण है ? क्या शासन अविलम्ब खारा पानी की समस्या को देखते हुए उक्त न्याय पंचायत में टंकी/टंकियों का निर्माण कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

न्याय पंचायत सोनई (मथुरा) में अधिकतर ग्रामों के कुओं का पानी खारा है ।

शासन की नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प कार्य को प्राथमिकता दिये जाने तथा टंकी निर्माण को अन्तिम विकल्प के रूप में अपनाये जाने के कारण टंकी का निर्माण अब तक नहीं किया जा सका है ।

इस हेतु योजना के विचरन के आदेश दिये गये हैं

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा जनपद में पानी की व्यवस्था हेतु हैण्ड-पम्पों एवं टंकियों का निर्माण

117–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा में पानी की समस्या के निवारण हेतु कुछ टंकियों का निर्माण व नलों को लगवाया गया है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्रवार कितने नल लगवाये तथा कितनी टंकियों का निर्माण वर्ष 1985-86 में कराया गया और कितना-कितना व्यय निर्वाचन क्षेत्र वाइज किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

मथुरा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की टंकियों के निर्माण तथा इण्डिया मार्क–11 हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन में

सम्बन्धित सूचना, विधान सभा क्षेत्रवार निम्नानुसार है :-

वर्ष 1985-86

क्रम-सं0	विधान सभा क्षेत्र का नाम	भौतिक		व्यय (लाख रु0)	
		उच्च जलाशय के कार्य (निर्माणाधीन)	हैण्ड पम्प	उच्च जलाशय के कार्य पर	हैण्ड पम्प के अधिष्ठापन पर)
1	2	3	4	5	6
1	सादाबाद	3	55	3.33	5.914
2	गोकुल	7	15	6.98	1.603
3	मांट	5	21	5.90	2.140
4	गोवर्धन	2	12	3.26	1.361
5	छाता	..	16	..	1.815
6	मथुरा	1	72	3.54	7.537
	योग ..	18	191	23.19	20.37

मथुरा रिफायनरी के जहरीले प्रदूषण के शुद्धिकरण की मांग

118—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार की जानकारी में है कि मथुरा रिफायनरी के जहरीले प्रदूषण के कारण रिफायनरी के आस-पास के गांवों में रहने वाली जनसंख्या के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?

यदि हां, तो क्या सरकार सर्वेक्षण कराके ऐसे गांवों को अन्यत्र बसाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

इस उद्योग द्वारा उत्प्रवाह को पूर्ण शुद्धीकरण करने की व्यवस्था की गयी है । शुद्धिकरण उत्प्रवाह बेरारी कैनाल में निस्तारित किया जाता है । इस कैनाल का जल पीने या घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नागरिक सुरक्षा विभाग में प्रभारी अधिकारी का पदनाम बदला जाना

119—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने नागरिक सुरक्षा विभाग में प्रभारी अधिकारी का पद नाम बदल कर प्रशिक्षक कर दिया है ? यदि हां, तो दिनांक 22, 23 मार्च, 1986 को नागरिक सुरक्षा विभाग से प्रकाशित होने वाली पत्रिका में श्री एम0 एम0 एच0 जैदी, प्रशिक्षक एवं श्री आर0 एन0 ओझा, प्रशिक्षक के पद नाम क्रमशः वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी व

प्रभारी अधिकारी किसके आदेशों से प्रकाशित किये गये ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा संगठन की वर्ष 1962 में स्थापना से ही प्रभारी अधिकारी का पदनाम स्वीकृत था जो शासनादेश संख्या भा0 सं0 45/27-83-85 सीडी/81 दिनांक 23 अप्रैल, 1984 के जारी होने तक प्रचलित रहा। चूंकि प्रश्न में उल्लिखित दोनों नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक जनता में प्रभारी अधिकारी के पदनाम से जाने जाते थे और स्मारिका जनता में बंटनी थी इसलिए इन लोगों ने जनता की सहूलियत के लिए अपना पूर्व पदनाम प्रभारी अधिकारी ही लिखा था। इस कृत्य के लिये उक्त दोनों प्रशिक्षकों को चेतावनी दे दी गई है।

पुलिस कर्मियों की चरित्र-पंजिका में प्रवृष्टि देने हेतु अधिकृत आदेश का अनुपालन

120–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस इंसपेक्टर और उसके नीचे के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को चरित्र-पंजिका में प्रवृष्टि देने हेतु सन 1976 में पुलिस अनुभाग-1 द्वारा जिलाधीश और परगनाधिकारियों को भी अधिकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या इसका अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

कर निर्धारण वादों के निस्तारण में कमी

121–श्री सरदार सिंह–

क्या वित्त मंत्री की जानकारी में है कि कर निर्धारण के वादों के निस्तारण में वर्तमान आयुक्त के कार्यकाल में पहले की तुलना में कमी आयी है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्तमान आयुक्त बिक्रीकर ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 9-10-84 को ग्रहण किया। वर्ष 84-85 की द्वितीय छमाही में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 30,000 कर निर्धारण वादों का निस्तारण कम हुआ । इसके निम्न कारण रहे :—

1–पूर्वाधिकारी द्वारा कर निर्धारण कार्य में अधिकारियों की संख्या में कमी किया जाना ।

2–बिक्रीकर अधिकारियों के कर निर्धारण के मासिक निस्तारण के मानक में कमी किया जाना ।

3–पूर्वाधिकारी द्वारा फार्म-31 के पत्रावलियों में न लगाये जाने तक कर निर्धारण कार्य को न करने का निर्देश दिया जाना ।

4–विधान सभा/लोक सभा के सामान्य निर्वाचन द्वितीय छमाही में होने के कारण लगभग 15 दिन कर निर्धारण कार्य में व्यवधान होना।

5–प्रधान मंत्री स्व0 श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या कर दिये जाने के फलस्वरूप कई स्थानों पर दंगे फसाद होने एवं कर्फ्यू लगाये जाने के कारण कर निर्धारण कार्य का प्रभावित होना।

6–करापवंचन विरोधी कार्य को ओर वर्तमान आयुक्त का अधिक ध्यान दिया जाना ।

बिक्रीकर आयुक्त के ही कार्यकाल में वर्ष 85-86 में वर्ष 84-85 की तुलना में कर निर्धारण वादों के निस्तारण की संख्या 47,000 अधिक रही ।

बिक्रीकर आयुक्त के कार्यकाल में कर अपवंचन विरोधी अभियान के अन्तर्गत मामले

122–श्री सरदार सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान बिक्रीकर आयुक्त के कार्यकाल में कर अपवंचन विरोधी अभियान के अन्तर्गत जो मामले लिखाये गये हैं उसमें उतना ही कर लगाया गया है जितना प्रचार किया गया है ? यदि हां, तो प्रत्येक मामले का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या यह सही है कि अधिकतर पकड़ा गये मामले अपीलों में छूट गये ? यदि हां, तो कितने मामलों की अपील में पुष्टि हुई और कितने छूटे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

अपवंचन पकड़ने में पुरस्कार देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

122(अ)–श्री सरदार सिंह–

क्या यह भी सही है कि आगरा में एक अधिकारी को अपवंचन पकड़ने के उपलक्ष में एक घड़ी पुरस्कार स्वरूप दी गयी थी किन्तु अपील स्तर पर इस मामले को सत्य से परे पाया गया ? यदि हां, तो क्या पुरस्कार देने वाले अधिकारी व आयुक्त बिक्री कर के खिलाफ कोई कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रोन्नत सहायक आयुक्तों द्वारा किया गया कार्य

123–श्री सरदार सिंह–

क्या वित्त मंत्री की जानकारी में है कि शासन द्वारा प्रोन्नत 31 सहायक आयुक्तों को उनके पदों के अनुरूप कार्य न देकर बाहर के क्षेत्र एवं परिक्षेत्र में निरीक्षण कार्य पर लगाया गया था जबकि वहां पहले से ही उस कार्य के लिए सहायक आयुक्त एवं उप बिक्रीकर आयुक्त नियुक्त थे ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था और शासन का कितना धन इस पर व्यय हुआ तथा इसका कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या शासन, धन की फिजूलखर्ची करने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रशासन में अधिक चुस्ती लाने के उद्देश्य से प्रोन्नत सहायक आयुक्तों से उनके पदों के अनुरूप एक विस्तृत निरीक्षण कार्य कराया गया। उक्त कार्य पहले से नियुक्त सहायक आयुक्त एवं उपायुक्त से अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त लिया जाना सम्भव नहीं था।

शासन के हित में विस्तृत निरीक्षण कराया जाना आवश्यक था। इस पर शासन का कोई अतिरिक्त धन व्यय नहीं हुआ ।

किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बिक्रीकर आयुक्त द्वारा प्लाट क्रय किये जाने के सम्बन्ध में जांच

124–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान बिक्रीकर आयुक्त ने अपने गाजियाबाद के जिलाधिकारी कार्यकाल में

कुछ प्लाट अपने अथवा अपने परिवार के सदस्यों के नाम से क्रय किये थे ? यदि हां, तो प्लाट की संख्या कितनी थी तथा क्रय दर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर के अनुरूपप थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में कोई जांच हुई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्तमान बिक्रीकर आयुक्त द्वारा अपने गाजियाबाद के जिलाधिकारी कार्यकाल में कोई प्लाट अपने या अपने परिवार के सदस्यों के नाम से क्रय नहीं किया गया था। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

करापवंचन विरोधी अभियान से बिक्रीकर संग्रह में हुई वृद्धि

125–श्री सरदार सिंह–

क्या वित्त मंत्री की जानकारी में है कि वित्तीय वर्ष 1985-86 में माह अगस्त, 85 तक बिक्रीकर संग्रह में पच्चीस प्रतिशत के लगभग वृद्धि हुई थी और उसके पश्चात् कर वचन विरोधी अभियान चलाने पर संग्रह की यह वृद्धि घटनी शुरू हो गयी थी ? परन्तु बिक्रीकर मुख्यालय त्रुटिपूर्ण आंकड़े देकर संग्रह मे वृद्धि दर्शाता रहा है ? यदि हां, तो माह अगस्त के बाद कमी होने के क्या कारण थे ? क्या शासन चालू वित्तीय वर्ष में देय कर दस प्रतिशत अधिभार तथा इस वर्ष जो कर की दर में वृद्धि हुई जो इस वृद्धि में शामिल है, को घटाकर हुई वृद्धि का प्रतिशत बताने की कृपा करेंगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष प्राइस इण्डेक्स की वृद्धि क्या है तथा प्राइस इण्डेक्स वृद्धि की तुलना में बिक्रीकर संग्रह में वृद्धि क्या कमी हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वित्तीय वर्ष 1985-86 में माह अगस्त, 1985 तक बिक्रीकर संग्रह में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 20.4 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। वर्षा ऋतु के 3-4 महीनों में व्यापारिक गतिविधियों में मन्दी के कारण संग्रह में कुछ कमी रही। फिर भी कुल मिला कर वर्ष के अन्त में संग्रह वृद्धि का प्रतिशत 18.9 रहा।

करापवंचन विरोधी अभियान तो वर्ष 1984-85 से ही शुरू कर दिया गया था न कि अगस्त, 1985 से।

वर्ष 1985-86 में करापवंचन विरोधी अभियान चलाये जाने के कारण ही संग्रह में 18.9 प्रतिशत की वृद्धि हो सकी है। वर्ष 1985-86 में जहां एक-आध वस्तुओं जैसे सूखे मेवे आदि पर कर की दरों में मामूली सी वृद्धि की गई वहीं कुछ वस्तुओं पर कर की दरों में कमी भी हुई है। इस प्रकार दरों में परिवर्तन का कोई खास असर संग्रह पर नहीं पड़ा ।

वर्ष 1985-86 के मूल्य सूचकांक सांख्यिकीय संगठन द्वारा अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं इस कारण इसके बारे में जानकारी देना सम्भव नहीं है।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के निदेशक पद पर नियुक्ति

126–श्री सरदार सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के सीनियर आडिटर श्री डी0 एन0 उपाध्याय, बनाम उ0 प्र0 सरकार की रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक

27 सितम्बर, 85 में उच्चतम न्यायालय में बाई० बी० रंगिया बनाम श्री० एस० राव 1983 (1) एस० एल० आर० 789 (एस० सी०) ए० आई० आर० 1983 एस० सी० 852 को रूलिंग देते हुए निर्णय लिया था कि जिस तिथि को कोई पद रिक्त होगा उस तिथि को लागू सेवा नियमावली के अनुसार उस पद पर नियुक्ति की जा सकेगी ? यदि हां, तो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के निदेशक का पद रिक्त होने की तिथि 1 सितम्बर, 84 को लागू सेवा नियमावली के अनुसार अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है ? क्या शासन यह भी बताने का कष्ट करेगा कि उ० प्र० **स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा नियमावली**, 1979 के अनुसार उक्त पद पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा 8 जून, 85 की तिथि सुनिश्चित होने पर भी उस तिथि में शासन द्वारा चयन न कराये जाने के क्या कारण थे जबकि उस समय दूसरी नियमावली नहीं थी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, किन्तु यह निर्णय पदोन्नति के उन मामलों में लागू होगा जिनमें चयन के लिए निर्धारित अर्हना को बाद की नियमावली में परिवर्तित करके अभ्यर्थी को अपात्र कर दिया गया हो। प्रश्न नहीं उठता।

नई (दूसरी) नियमावली को अन्तिम रूप दिया जा चुका था और उसके अनुसार चयन कराने में कोई विधिक **बाधा नहीं थी तथा पुराना अधियाचन** वापस लिया जा चुका था।

आयुक्त बिक्रीकर के पद पर नियुक्ति

127–श्री सरदार सिंह–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि **आयुक्त बिक्री-कर का पद सुपरटाइम** स्केल का होता है परन्तु शासन ने नियमों का उल्लंघन करते हुए जूनियर स्केल के अधिकारी को उक्त पद पर आसीन कर रखा है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या शासन उक्त पद पर किसी उपयुक्त आयुक्त की **नियुक्ति करेगा ? यदि नहीं**, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, आयुक्त बिक्री कर का पद आई० ए० एस० के सुपर टाइम वेतनमान का है। इस पद पर सम्प्रति आई० ए० एस० के सेलेक्शन ग्रेड के अधिकारी को नियुक्ति की गयी है। आयुक्त स्तर के अधिकारी उपलब्ध होते **ही तद्नुसार नियुक्ति की जायेगी।**

बिक्रीकर मुख्यालय में लम्बित प्रत्यावेदन

128–श्री सरदार सिंह–

क्या वित्त मंत्री की जानकारी में है कि बिक्रीकर मुख्यालय में आयुक्त के स्तर पर दक्षता रोक अथवा प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध अनेक प्रत्यावेदन काफी समय से लम्बित पड़े हुए हैं **जिससे सम्बन्धित अधिकारियों में** असन्तोष है ? यदि हां, तो इन प्रत्यावेदनों की संख्या क्या है **और** कब तक इन पर निर्णय कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

129–श्री सरदार सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

बिक्री कर आयुक्त के कार्यकाल में विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा मारे गये छापे

130–श्री सरदार सिंह–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान बिक्री कर आयुक्त के कार्यकाल में कर अपवंचन विरोध मामले पकड़ने का प्रचार युद्ध स्तर पर करने के बावजूद भी विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा **छापों की संख्या में वर्तमान आयुक्त के** कार्यकाल से पहले की तुलना में कमी आयी है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

बिक्रीकर आयुक्त द्वारा करवंचन विरोधी सामग्रियों को छपाई पर किया गया व्यय

131–श्री सरदार सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान बिक्रीकर आयुक्त ने अपने **कार्यकाल में करवंचन विरोधी प्रचार** हेतु पोस्टर तथा अन्य प्रकार की सामग्री छपवायी थी ? यदि हां, तो इस पर **कितना व्यय आया और कितनी सूचनाएं** इस प्रचार से परिक्षेत्रीय उपायुक्तों को प्राप्त हुईं तथा पकड़े गये मामलों में कितनी राशि कर कितनी चोरियां पकड़ी गयीं ? क्या यह सही है कि पकड़ी गयी चोरी से छपवाई की धनराशि अधिक थी ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य था ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बिक्रीकर आयुक्त द्वारा निर्धारित सर्वेक्षण नीति

132–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि पूर्व आयुक्त बिक्रीकर ने जनहित में **अपने आदेश परिपत्र संख्या 5 एस0 एस0** ओ-1-1983 बिक्रीकर दिनांक 23-5-85 द्वारा सर्वेक्षण की नीति निर्धारित की थी जिसको वर्तमान आयुक्त बिक्रीकर ने अपने आदेश संख्या विधि 3-1-4 सं0 क0 नि0 85-86-2/2033 दिनांक 21-9-85 द्वारा निरस्त कर सर्वे बंद करा दिये थे ? यदि हां, तो क्यों और इससे शासन को कितने राजस्व की हानि हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

संदर्भित 5 एस0 एस0 ओ-1-1983 दिनांक 23-5-85 संख्यक कोई परिपत्र जारी नहीं हुआ है । अतएव प्रश्न में संदर्भित 21-9-85 के परिपत्र की पहले परिपत्र से तुलना का प्रश्न नहीं उठता ।

कतिपय व्यक्तियों के सम्बन्ध में की जा रही जांच

133–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने मंत्री जी को दिनांक 1-10-85 को श्री सियाराम दूबे, श्री मुख्तार आम, श्री तुलसी व मुल्लू निवासी सुभाषनगर, थाना कृष्णा नगर, जनपद लखनऊ के सम्बन्ध में पत्र दिया था जो संयुक्त सचिव श्री पी0 के0 सिन्हा ने अपने पत्र संख्या 454/8-4-984 बी/85-उ0 प्र0 शासन गृह पुलिस-4, दिनांक 19-10-85 को जिलाधिकारी, **लखनऊ को एवं जिलाधिकारी** लखनऊ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को जांच हेतु भेज दिया था ? **यदि हां,** तो प्रश्नकर्ता ने उक्त मामले की पुलिस द्वारा जांच न कराकर किसी मजिस्ट्रेट से जांच कराने हेतु श्री पी0 के0 सिन्हा संयुक्त सचिव को दिनांक 7-1-86 को व जिलाधिकारी लखनऊ को 6-2-86 को कोई पत्र लिखा था?

क्या उक्त सारे प्रकरण की जांच किसी मजिस्ट्रेट से कराई गई ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण की जांच अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय) लखनऊ द्वारा की जा रही है जो अभी प्रचलित है। जांच शीघ्र पूर्ण कराने हेतु जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर महापालिका द्वारा भवनों का सर्वे

134–श्री शारदा प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने नगर महापालिकाओं के चुनाव सम्पन्न होने तक शहरों के भवनों को सर्वे करने के कार्य रोकने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो लखनऊ नगर महापालिका द्वारा सर्वे कार्य क्यों किया जा रहा है ? क्या सरकार सर्वे कार्य को रोकने का आदेश देगी ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं,

नगर महापालिका की दयनीय आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि उसकी आय के संसाधनों में वृद्धि हो जिससे वह अपने निरन्तर बढ़ते हुए व्यय को वहन करने तथा अनिवार्य दायित्वों तथा समुचित स्तर पर नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने में समर्थ हो सके। इस निमित्त किये जा रहे प्रयासों में पंच वर्षीय कर निर्धारण की कार्यवाही जो विगत कई वर्षों से लम्बित है, भी सम्मिलित है। पंच वर्षीय कर निर्धारण हेतु सम्बन्धित अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

वैयक्तिक सहायक पद हेतु सफल अभ्यर्थी एवं उसकी ज्येष्ठता निर्धारण

135–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनु0–2 में वर्ष 1985 अथवा 86 में कुछ अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से वैयक्तिक सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है यदि हां, तो वे अभ्यर्थी कौन-कौन से हैं और उनकी ज्येष्ठता 1-5-1983 से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायकों के बाद निर्धारित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1984 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर एक मात्र सफल अभार्थी कु0 कंवल जीत कौर ने जुलाई 1986 में वैयक्तिक सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । 1 मई, 1983 से पूर्व तदर्थ नियुक्त वैयक्तिक सहायकों एवं कु0 कौर की ज्येष्ठता नियमानुसार यथासमय निर्धारित की जायगी ।

राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ मे अनुदेशकों को दिया गया सेलेक्शन ग्रेड

136–श्री शारदा प्रताप–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महिला पालीटेक्निक लखनऊ में वेतन आयोग की संस्तुति पर वर्ष 1975 से इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अन्तर्गत अनुदेशकों के 4 पदों

में से 2 पदों को उसी संस्था में सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पद धारकों को यह सेलेक्शन ग्रेड वर्ष 1975 से निरन्तर 10 वर्षों तक दिया गया ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत उपरोक्त सेलेक्शन ग्रेड वर्ष 1979 से निरस्त किया गया तथा पदधारकों से वसूली की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

पदधारकों को यह सेलेक्शन ग्रेड 1975 से लगभग 9 वर्षों तक दिया गया ।

दिनांक 1-7-79 से वेतनमानों का पुनरीक्षण मूल वेतनमान के आधार पर किया गया था परन्तु प्रश्नगत पदों में त्रुटिवश चयनित वेतनमान अंकित हो गया । त्रुटि के प्रकाश में आने पर इन पदों के वेतनमान मूल वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया । वेतन आयोग की सामान्य संस्तुति के आधार पर अब उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कतिपय इंजीनियरिंग अनुदेशकों को रु0 670–1100 का चयनित वेतनमान 1984 में स्वीकृत किया जा चुका है ।

मिनीस्टीरियल स्टाफ हेतु एक माह के वेतन के समतुल्य मानदेय की मांग

137–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस इक्जीक्यूटिव फोर्स के कर्मचारियों की भांति ही मिनिस्टीरियल स्टाफ के कर्मचारियों को भी आकस्मिकता पड़ने पर एक ही आदेश के अन्तर्गत अवकाश में कार्य पर उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसे अवकाशों का उपयोग न कर पाने की स्थिति में केवल एक्जीक्यूटिव फोर्स के ही कर्मचारियों को एक माह का वेतन मानदेय के रूप से स्वीकार किए जाने का क्या औचित्य है? क्या शासन इस विसंगति पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए एक्जीक्यूटिव फोर्स के कर्मचारियों की भांति मिनिस्टीरियल स्टाफ के कर्मचारियों को भी एक माह का वेतन उन्हीं परिस्थितियों में अनुमन्य किए जाने का शीघ्र निर्णय लेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । एक्जीक्यूटिव फोर्स के कर्मचारियों को सामान्यतः सभी अवकाशों में कार्य करना पड़ता है जबकि मिनिस्टीरियल स्टाफ के कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर यदा-कदा अवकाश में कार्यालय उपस्थित होना पड़ता है । इस अंतर के कारण ही जहां इक्जीक्यूटिव फोर्स के कर्मचारियों को उनकी कठिन सेवाओं के दृष्टिगत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के समतुल्य मानदेय दिया जाता है, वहीं मिनिस्टीरियल स्टाफ के कर्मचारियों को उनकी यदा-कदा सेवाओं के कारण विषयगत सुविधा उन्हें प्रदान नहीं की गई है । शासन के निर्णय में कोई विसंगति नहीं है अतः मिनिस्टीरियल स्टाफ के मामले में पुनर्विचार का प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनऊ में पदोन्नति का आधार

138–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनऊ के विभिन्न सहकारी चीनी मिलों में नियुक्त गन्ना विकास अधिकारियों/गन्ना क्रय अधिकारियों का वेतनमान रु0 550–1200 से मुख्य गन्ना अधिकारी वेतनमान रु0 1500–2000 में शैक्षिक अर्हता के प्रतिबंध के बिना केवल अनुभव के आधार पर प्रोन्नत कर दिया गया किन्तु उप मुख्य अधिकारियों (इंजीनियरिंग,

लेखा तथा शर्करा तकनीकी) वेतनमान रु0 1000–1500 से मुख्य विभागीय अधिकारियों वेतनमान रु0 1500–2000 में शैक्षिक योग्यता का प्रतिबंध लगाए जाने के कारण वैभागिक अभ्यर्थी पदोन्नति के लाभ से वंचित हो रहे हैं ? यदि हां, तो गन्ना क्रय अधिकारियों तथा उप मुख्य अधिकारियों की पदोन्नति के सिद्धांतों में यह भेद-भाव क्यों रखा गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सहकारी चीनी मिलों में गैर तकनीकी पदों की भर्ती के लिए पदोन्नति की नीति निर्धारित है । क्योंकि गन्ना विकास अधिकारी/गन्ना क्रय अधिकारी का पद गैर तकनीकी पद की श्रेणी में आता है । अतः इनकी पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाती है । तकनीकी श्रेणी के पद जिसमें इंजीनियरिंग, लेखा तथा शर्करा विभाग के पद सम्मिलित हैं, को सीधी भर्ती द्वारा खुली चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाता है ।

चूंकि तकनीकी अधिकारियों के पद पर भर्ती पदोन्नति द्वारा नहीं की जाती है, अतः तकनीकी एवं गैर तकनीकी संवर्गों में पदोन्नति के सिद्धांतों में भेदभाव होने का प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर जैतीपुर (उन्नाव) सम्पर्क मार्ग पर निर्माण कार्य

139–श्री शारदा प्रताप–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता तथा हड़हा (उन्नाव) क्षेत्र के विधायक श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-7-1985 पर तत्कालीन गा0 नि0 राज्य मंत्री श्री प्रवीण कुमार शर्मा ने प्रस्तावित मिर्जापुर जैतीपुर (उन्नाव) सम्पर्क मार्ग पर ही निर्माण करने के आदेश दिए थे ? क्या उक्त प्रस्तावित मार्ग को ग्राम नथईखेड़ा उन्नाव के बंडियाने टोला के उत्तरी किनारे से जैतीपुर के लिए निर्माण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा उक्त मार्ग के कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रस्तावित मार्ग पर मिट्टी का कार्य प्रगति पर है ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

श्री आर0 के0 श्रीवास्तव, अधि0 अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड कानपुर के विरुद्ध जांच की मांग

140–श्री शारदा प्रताप–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 के0 श्रीवास्तव, अधि0 अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड कानपुर के विरुद्ध उनके झांसी, बारबूला राष्ट्रीय मार्ग खण्ड सीतापुर, डी0 सी0 यू0 सीतापुर, प्रान्तीय खण्ड खीरी की पोस्टिंग के दौरान अनेकों भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें आरोप तथा जांच हैं ? यदि हां, तो इन पर इतना समय बीतने पर भी कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जांच की जा रही है ।

141–श्री शारदा प्रताप–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 के0 श्रीवास्तव का स्थानान्तरण प्रान्तीय खण्ड लखीमपुर खीरी वर्ष 85 में हुआ था तथा पुनः उन्हें राष्ट्रीय मार्ग कानपुर जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर पुनः पदस्थापित किया गया ? क्या शासन ऐसे गंभीर आरोपों पर कोई उच्च-स्तरीय विभागीय अथवा सतर्कता अधि0 द्वारा समयबद्ध जांच कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जांच की जा रही है ।

142–श्री शारदा प्रताप–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 के0 श्रीवास्तव अधि0 अभियन्ता के विरुद्ध श्री हसीन किदवई पत्रकार तथा अन्य कई लोगों के पत्र शासन तथा विभाग को वर्ष 1984 व 1985 में प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । जांच कराई गई आख्या विचाराधीन है ।

सहायक अभियोजन अधिकारी पद हेतु सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग

143–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या गृह मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा 1982 में सहायक अभियोजन अधिकारियों के लिए उत्तीर्ण और चयनित सूची में से अब तक कितने उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई ? नियुक्ति में हुए दो वर्ष से अधिक से विलम्ब के क्या कारण हैं ? और उनके लिए कौन-कौन उत्तरदायी है? क्या चयनित सूची के बाकी बचे बेरोजगार युवकों की नियुक्ति कब तक की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों तथा ऐसे लोगों को इस अवधि में हुए आर्थिक और मानसिक हानि के लिए सरकार क्या कोई अनुतोष देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

लोक सेवा आयोग आयोग, उ0 प्र0 को सहायक अभियोजन अधिकारी के 460 रिक्त पदों के चयन हेतु अधियाचन भेजा गया जिसमें उल्लेख था कि इन रिक्तियों की संख्या में शासन द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है। उक्त आयोग द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 1982 के लिए विज्ञापन में भी स्पष्ट उल्लेख था कि रिक्तियों की तथा आरक्षित रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घट बढ़ सकती है । इन 460 रिक्तियों में उन रिक्तियों को भी शामिल किया गया था जिन पर दिनांक 1-1-1977 के पश्चात् तदर्थ आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की गई थीं । शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 1-5-83 तक तदर्थ आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का विनियमितीकरण कर दिया जायेगा और इस आधार पर लोक सेवा आयोग को भेजे गए अधियाचन में आवश्यक संशोधन किया जाय । तद्नुसार लोक सेवा आयोग को पत्र भेजकर अनुरोध किया गया कि सहायक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगितात्मक परीक्षा 1982 के आधार पर केवल 253 रिक्तियों के लिए ही अभ्यर्थियों की लिस्ट उपलब्ध कराई जाय। किन्तु आयोग ने इस पत्र भेजने के बाद भी दिनांक 24-3-84 की विज्ञप्ति के द्वारा 446 अभ्यर्थियों के नाम प्रख्यापित किए और साथ ही प्रतीक्षा सूची के रूप में 113 और नाम भी प्रख्यापित किए । बाद में आयोग ने 11 मई, 1984 के पत्र द्वारा 5 और अभ्यर्थियों के परीक्षा-फल सूचित किए ।

चूंकि आयोग द्वारा शासन की संशोधित मांग के बावजूद 451 रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों की सूची भेजी गई, ऐसी स्थिति में शासन स्तर पर 257 उपलब्ध रिक्तियों को ही सूची से भरने का निर्णय लिया गया और तद्नुसार ज्येष्ठता क्रम और आरक्षण प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए 257 अभ्यर्थियों (150 सामान्य व 107 आरक्षित श्रेणी) को नियुक्ति आदेश प्रसारित किए गए । प्रश्न नहीं उठता ।

परीक्षा में सफल शेष अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्त करने के बारे में परीक्षण किया जा रहा है तथा मामला अभी शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

144–श्री काशी सिंह ऐरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्री जयकिशन तिवारी, कोषाध्यक्ष शिक्षा अनुभाग–4 के विरुद्ध शिकायतों की जांच

145–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा अनुभाग–4 के कोषाध्यक्ष श्री जय किशन तिवारी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग को माह फरवरी, मार्च 1986 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । शिकायती पत्र में मुख्य-मुख्य शिकायतें निम्नवत हैं :–

1–कर्मचारियों के वेतन, यात्रा भत्ता, वेतन वृद्धि, दक्षता रोक आदि को महीनों तक रोके रखना तथा सभी से चाय आदि की मांग करना ।

2–महिलाओं के विरुद्ध अशोभनीय व्यवहार ।

3–प्रत्येक अवकाश में कार्यालय आकर कन्टिजेंसी चार्ज करना ।

4–वेतन के साथ कैफेटेरिया के कूपन बांटना तथा लिफाफों में वेतन बांटकर सरकारी लिफाफों को बर्बाद करना ।

5–माह में अनेकों बार कानपुर तथा इलाहाबाद जाकर अपना टी0ए0 बनाना ।

6–सन् 1974 से शिक्षा विभाग में कार्यरत होना ।

शिकायतों की जांच कराई गई तथा उनमें बल नहीं पाया गया । यह सत्य है कि श्री जय किशन तिवारी सन् 1974 से शिक्षा बिभाग में कार्यरत हैं ।

146–श्री काशी सिंह ऐरी–

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

उत्तराखंड में आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व की प्रजातियां तथा तकनीकी समिति का गठन व बैठक

147–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड (पर्वतीय आठों जनपद) में आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व के लिए किन-किन पेड़ पौधों व वनस्पतियों (स्थानीय हिन्दी वानस्पति नाम समेत) का चयन किया गया है ? क्या इस हेतु पौध प्रजाति के निर्धारण के लिए कोई तकनीकी समिति का गठन किया जाता है ? यदि हां, तो इसकी विगत बैठक कब और कहां हुई ? इसमें कौन-कौन सदस्य थे ? यदि नहीं, तो उत्तराखण्ड के इस मूल विकास के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जाता ?

श्री जफर अली नकवी–

पर्वतीय जिलों में आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व के लिए मुख्यतया निम्न प्रजातियों का चयन किया जाता है :–

1–अखरोट (जुगलान्स रीजिया)
2–खड़िक (सैल्टिस इरियोकार्पा)
3–बाज (क्यूरकस ल्यूकोटाइसेफेरा)
4–तुन (तूना सिलिएटा)
5–चमखड़िक (कारपीनस विमिनिया)
6–अंगू (ग्रेक्सीनस माइक्रेन्था)

7–चीड़ (पाइनस रौक्सवर्घाइ)
8–कैल (पाइनस वालीचियाना)
9–देवदार (सीड्स देवदारा)
10–फर (एबीस पिन्ड्रो)
11–स्पूस (पीसिया मोरिन्डा)
12–सुरई (क्यूप्रीसस टोरुलोसा)
13–यूकेलिप्टस (यूकेलिप्टस हाईब्रिड)
14–शीशम (डलबरजिया सिसू)
15–टीक (टैक्टोना ग्रेन्डिस)
16–साल (शोरिया रोअस्टा)
17–खैर (एकेसिया कटेचू)
18–सेमल (बौम्बक्स सीबा)
19–पेपर मलबरी (बौ सोनेसिया पैपरीफेरी)
20–पोपलर (पौपलस स्पीसीज)

पौध प्रजातियों का चयन भूमि की उपयुक्तता एवं अन्य कारकों के आधार पर स्थानीय वनाधिकारियों, जो वानिकी तथा वन विज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं, द्वारा किया जाता है तथा वे क्षेत्र विशेष के लिए भी उचित प्रजातियों का चयन करने में स्वयं सक्षम हैं ।

प्रमुख वन संरक्षक द्वारा भी उन्हें इस बारे में समय-समय पर सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं ।

वृक्षारोपण तथा अन्य तकनीकी मामलों में प्रमुख वन संरक्षक के सहायतार्थ एक तकनीकी समिति गठित की गई है, जिसमें, उनके अतिरिक्त, निम्नलिखित सदस्य हैं :–

1–समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश ।

2–समस्त अपर मुख्य वन संरक्षक उत्तर प्रदेश ।

3–समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक तथा वन संरक्षक, कार्य योजना (प्रथम एवं द्वितीय)।

इस समिति की गत बैठक लखनऊ में दिनांक 30-7-1984 को हुई थी ।

श्री दलीप सिंह, तहसील डीडीहाट, पिथौरागढ़ की पेंशन स्वीकृत किये जाने की मांग

148–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि श्री दलीप सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ग्राम ख्वांछोट पत्रालय/तहसील डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़ (उ0 प्र0) को उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 7698 जेड 5/6-74-647 आर/74 दिनांक 13 दिसम्बर, 1974 के अनुसार 60 रु0 मासिक पेंशन स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो श्री दलीप सिंह को दिसम्बर, 1977 के बाद से नियमित पेंशन न मिलने के क्या कारण हैं ? सरकार ने इस विषय पर अब तक क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की है ? इस हेतु कथित पेंशन प्राप्ति कब तक निश्चित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)–

जी हां ,

बिहार सैनिक पुलिस में नौकरी मिलने के कारण श्री दलीप सिंह को बिहार प्रदेश के पते से पेंशन स्वीकृत की गयी थी । सेवा से निवृत होने के बाद प्रार्थी ने अपनी पेंशन कोषागार पिथौरागढ़ से लेना चाही । उन्होंने अपने पेंशन के कागजात मुंगेर कोषागार (बिहार प्रदेश) में जमा कर दिये थे । उनके पेंशन के कागजात महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद को स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में महालेखाकार रांची को दिनांक 26-3-81 को पत्र लिखा गया था, बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद उनसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । एक पत्र मुख्य सचिव, बिहार प्रदेश शासन को भी भेजा गया है ।

उपरोक्त कारणों से श्री दलीप सिंह की कथित नियमित पेंशन न मिल सकी । अतः वांछित कागजात की प्राप्ति के उपरान्त ही श्री दलीप सिंह की कथित पेंशन का भुगतान सम्भव हो सकेगा ।

149–श्री काशी सिंह ऐरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

150–श्री काशी सिंह ऐरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

कपकोट से पिण्डारी ग्लैशियर मार्ग हेतु अनुमानित व्यय एवं किए गये निर्माण कार्य

151–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि 1972 में पर्वतीय गोष्ठी, अल्मोड़ा में आयोजित की गयी थी जिसमें तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भाग लिया था ? क्या इस गोष्ठी में पिन्डारी प्रोजेक्ट को पर्यटन विकास के लिए स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो निर्णयानुसार बागेश्वर से पिन्डारी तक मोटर मार्ग कब स्वीकृत किया गया था ? इसमें कितना धन व्यय होना अनुमानित था ? इसमें से दिनांक 1 मई, 1986 तक कितनी धनराशि व्यय कर कितनी कि0 मी0 सड़क का निर्माण किया गया था और इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं बल्कि इस गोष्ठी में पिन्डारी ग्लैशियर के विकास हेतु कपकोट लोहारखेत तक मोटर मार्ग के निर्माण का निर्णय लिया गया था ।

बागेश्वर से पिण्डारी मोटर मार्ग नहीं स्वीकृत किया गया था बल्कि कपकोट से पिण्डारी ग्लैशियर मार्ग के निर्माण की योजना वर्ष 1975 में स्वीकृत की गयी थी ।

इस मार्ग की एक करोड़ रु0 की अनुमानित लागत पर व्यय होने की स्वीकृति दी गयी थी । दिनांक 1 मई, 1986 तक इस योजना पर रु0 101.27 लाख व्यय करके 23.5 कि0 मी0 मार्ग का निर्माण कराया जा चुका है । प्रश्नगत सड़क के अवशेष निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन सा0 नि0 वि0 द्वारा बनाये जा रहे हैं, जिसके स्वीकृत होने के तीन वर्ष के भीतर कार्य पूरा करने का लक्ष्य है ।

जनपद अल्मोड़ा में बागेश्वर से पिण्डारी मोटर मार्ग पर हुआ निर्माण कार्य एवं कुल व्यय

152–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अलमोड़ा में बागेश्वर से पिन्डारी तक जाने वाली मोटर मार्ग को सा0 नि0 वि0 के अस्थाई खण्ड बागेश्वर ने 23 कि0 मी0 पूरा निर्मित दिखाया है ? यदि हां, तो रिकार्डों में इस का अंकन कब किस अभियन्ता के द्वारा किया गया ? इस हेतु कितनी धनराशि व्यय दिखलायी गयी ? क्या प्रश्नकर्ता की इस सूचना को सच मानकर कि "अभिलेखों में पूरा किये गये मार्ग की लम्बाई की असत्य मापना की गयी है तथा भयंकर भ्रष्टाचार व गम्भीर अनियमितता बरती गयी है ?" सरकार तुरन्त इसके पुष्टिकरण की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी, हां ।

23 कि0 मी0 लम्बे प्रश्नगत मार्ग को मार्च, 1981 तक पूर्ण करने का अंकन तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री एस0 के0 जैन एवं सहायक अभियन्ता श्री एन0 के0 लोहानी द्वारा किया गया था इस हेतु मार्च, 1981 तक कुल 70.29 लाख रुपये व्यय दिखाया गया है ।

जी, नहीं ।

क्योंकि मार्ग कि0 मी0 23 तक पूर्ण किया गया था ।

बागेश्वर-पिण्डारी मोटर मार्ग, जनपद अल्मोड़ा, में पिण्डर नदी पर कथित पुल निर्माण

153—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में बागेश्वर-पिण्डारी निर्माणाधीन मोटर मार्ग में पिण्डर नदी पर पुल निर्माण का ठेका कब किस व्यक्ति संस्था को दिया गया था ? इस पुल को कब कितनी धन-राशि से पूर्ण रूपेण बनकर तैयार हो जाना चाहिए था ? इस पुल का 1 मई, 86 तक कितना भाग पूरा हो गया था व कितनी धनराशि का भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया था ? क्या इस पुल के निर्मित भाग और धनराशि भुगतान के समय विगत में गम्भीर अनि-यमितता अपनायी गयी ? यदि हां, तो क्या इस हेतु सरकार ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद अल्मोड़ा में निर्माणाधीन कपकोट—पिण्डारी (बागेश्वर-पिण्डारी मार्ग का भाग) मोटर मार्ग का कोई भी भाग पिण्डर नदी के ऊपर नहीं पड़ता है इसलिए उक्त मार्ग पर पिण्डर नदी के ऊपर कोई भी मोटर पुल न तो बनाया गया है और न ही बनाया जाना है । अतः पुल निर्माण का ठेका दिये जाने, ठेकेदार का भुगतान करने तथा उसमें अनियमितता आदि का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद अल्मोड़ा के कौसानी क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित किया जाना

154—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में कौसानी नामक मनोरम स्थल को 1974 में किन परिस्थितियों तथा उद्देश्यों के लिये विनियमित क्षेत्र घोषित किया था ? क्या स्थानीय जनता को इस कारण अपने आवास स्थलों की साधारण मरम्मत तक करने के कारण हो रही दुर्दशा का ज्ञान सरकार को है ? यदि हां, तो इस हेतु अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पदमा सेठ—

कौसानी मनोरम क्षेत्र की प्राकृतिक सुन्दरता को परिलक्षित करने, सुनि-योजित विकास, पर्यटकों की सुविधा उपलब्ध यातायात के साधनों को वर्तमान रूप में बनाये रखना और उनमें सुधार के प्रयासों, अव्यवस्थित वितरण तथा भवनों के अनियोजित निर्माण को रोकने और उपयुक्त योजना के अनुसार विकास तथा विस्तार के उद्देश्य से कौसानी ल्वेसाल नामक मनोरम स्थल को वर्ष 1973 में विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया ।

विनियमित क्षेत्र घोषित होने के कारण उस क्षेत्र की स्थानीय जनता को अपने आवास स्थलों की साधारण मरम्मत आदि करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है । इस संबंध में स्पष्ट आदेश

विज्ञापित है कि उस क्षेत्र में पुराने मकानों की मरम्मत तथा कतिपय नये निर्माण में पूर्वानुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। नये निर्माण के लिये जहां अनुमति की आवश्यकता है अनुमति यथासमय जनता को दी जा रही है।

155–श्री काशी सिंह ऐरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

156–श्री काशी सिंह ऐरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद अल्मोड़ा में कौसानी के निकट आरक्षित भूमि पर लक्ष्मी आश्रम द्वारा कथित कब्जा

157–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में कौसानी के निकट लक्ष्मी आश्रम के अधीन दिनांक 1 मई, 86 को कुल कितनी वन भूमि अवैध/अनधिकृत कब्जे में थी ? सरकार तथा स्थानीय वन कर्मियों को इसकी प्रथम सूचना कब प्राप्त हुई थी ? दिनांक 1 मई, 86 तक व इसके बाद इन कब्जों को हटाने के लिए शासन ने क्रमशः क्या-क्या कदम उठाए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद अल्मोड़ा में कौसानी के निकट कस्तूरबा महिला उत्थान मण्डल लक्ष्मी आश्रम, कौसानी के अधीन 1 मई, 1986 को कोई आरक्षित वन भूमि अवैध/अनधिकृत कब्जे में नहीं थी।

उपरोक्त स्थिति में प्रश्न के शेष भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता है।

158–श्री काशी सिंह ऐरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़ में बहुधंधीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की मांग

159–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के जनजाति बाहुल्य सुदूर क्षेत्र मुनस्यारी में महान स्वतंत्रता संग्रामी हरि सिंह जंगपांगी की स्मृति में वहां एक बहुधंधीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु ठोस कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ के लोहाघाट में बहुधंधी संस्था है तथा पिथौरागढ़ और अस्कोट में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं चम्पावत, गंगोलीहाट तथा मुन्स्यारी में शाखा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में मुन्स्यारी में इनके अतिरिक्त किसी अन्य बहुधंधी संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

160–श्री काशी सिंह ऐरी–

[1ले बुधवार के अता0 प्र0 सं0 103 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

धराट (पनचक्की) छोटवाल स्याल्दे की क्षतिपूर्ति की मांग

161–श्री काशी सिंह ऐरी–

द्वितीय सत्र 1985 के प्रथम मंगलवार में प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के संदर्भ में क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कथित धराट को विभाग द्वारा किस तिथि को ठीक कराया गया ? इस हेतु उचित प्रमाण-पत्र धराट मालिक श्री बचे सिंह से कब किस तिथि को प्राप्त किया

गया था ? कम से कम एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति करने या वैकल्पिक रोजगार के लिए किस अधिकारी को उत्तरदायित्व दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत धराट में जो थोड़ी सी क्षति हुई थी उसकी मरम्मत उसी समय 75-76 में करा दी गई थी । धराट के मालिक से मरम्मत किए जाने का कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था और न इस प्रकार की प्रथा विभाग में प्रचलित है ।

ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति करने अथवा वैकल्पिक रोजगार देने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ में थल जस्कोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कार्यवाही

162–श्री काशी सिंह ऐरी–

द्वितीय सत्र 1985 के प्रथम मंगलवार को प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 194 के संदर्भ में क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कथित भाग में प्रथम और अंतिम बार निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया ? इन दोनों बार इस कार्य में क्रमशः कितना खर्चा किया गया ? 1978-79 के बाद इस भाग को पूरा करने हेतु बजट आवंटित करने हेतु क्या प्रयत्न किए गए ? अब तक धन आवंटन न करा पाने का उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर निर्धारित है ? इस मार्ग को तुरन्त पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में प्रश्नगत मोटर मार्ग के थल जस्कोट प्रभाग में कि0मी0 311 में घाटी कटिंग कार्य पर केवल वर्ष 1978-79 में ही कार्य किया गया ।

इस कार्य पर उक्त वर्ष में कुल 53,000 रु0 व्यय किया गया । वर्ष 1978-79 के उपरान्त धनाभाव के कारण इस मार्ग पर कोई कार्य नहीं किया जा सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद पिथौरागढ़ में बेरीनाग खण्ड में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण की मांग

163–श्री काशी सिंह ऐरी–

द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 85 के संदर्भ में क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अस्थाई खण्ड बेरीनाग से अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त सा0 नि0 वि0 पिथौरागढ़ (उ0 प्र0) को भेजे गए अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 2590/5 एम0 जी0 दिनांक 31-7-85 के सन्दर्भ में श्री कृष्ण पाण्डेय (अमीन पद पर 15 रु0 वेतन दैनिक) श्री नरेन्द्र दत्त जोशी व श्री शंकर दत्त काण्डपाल (अमीन पद पर 15 रु0 दैनिक वेतन) के नाम सूची में रखने तथा इनके पदों की नियमित आवश्यकता होते हुए भी तथा इनके पूर्ण शिक्षित व अनुभवी होने पर भी नियमितीकरण न करने के क्या कारण हैं ? सरकार इस हेतु क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्न संख्या–85 के संदर्भ में मस्टररोल पर कार्यरत किसी व्यक्ति विशेष अथवा अमीन का कार्य कर रहे कर्मचारी के संबंध में सूचना नहीं मांगी गई थी । श्री श्रीकृष्ण मस्टररोल पर बेरीनाग खण्ड में कार्य कर रहे हैं । श्री नरेन्द्र दत्त जोशी व श्री शंकर

दत्त काण्डपाल माह सितम्बर, 1985 से बेरीनाग खण्ड में कार्यरत नहीं हैं । कार्य की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर अस्थाई रूप से मस्टररोल पर रखा जाता है तथा आवश्यकता न होने पर हटा दिया जाता है । नियमित नियुक्ति पद उपलब्ध होने तथा शासकीय आदेशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पद हेतु निर्धारित अर्हता/योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों में से की जाती है ।

पद की आवश्यकता होने पर तथा मुख्य अभियन्ता का प्रस्ताव प्राप्त होने पर पद की स्वीकृति के संबंध में शासन द्वारा विचार किया जाना सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ में तदर्थ रूप से कार्यरत अवर अभियन्ताओं का विनयमितीकरण

164—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 1983 से अप्रैल, 1985 के बीच पर्वतीय क्षेत्र के जनपद पिथौरागढ़ में तदर्थ रूप से कितने अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति की गई ? इनकी सेवा को दो वर्ष पूरे हो जाने के बाद इन्हें मिलने वाली वेतन वृद्धि को, मुख्य अभियन्ता (पर्वतीय) पौड़ी के पत्रांक 12947/3168 व्यय-पर्वतीय/82, दि0 27-12-85, द्वारा निरस्त किए जाने का क्या औचित्य था ? इन तदर्थ अवर अभियन्ताओं के विनियमितीकरण हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही सुनिश्चित की है तथा उन्हें नियम संगत वेतन वृद्धि कब तक दे दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पर्वतीय क्षेत्र के जनपद पिथौरागढ़ में अक्टूबर, 83 से अप्रैल, 85 के बीच तदर्थ रूप से 30 अवर अभियन्ताओं की नियुक्तियां की गयीं ।

इन तदर्थ अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति मात्र एक वर्ष के लिए की गयी थी। इनकी तदर्थ नियुक्ति की निरन्तरता का प्रश्न शासन के विचाराधीन होने के कारण नियमित अवर अभियन्ताओं की तरह इन्हें वेतनमान अनुमन्य नहीं करायी गयी ।

चूंकि अवर अभियन्ता का पद लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत है तथा विनियमितीकरण नियमावली 1979 यथा संशोधित के अन्तर्गत ये तदर्थ नियुक्त अवर अभियन्ता नियमितीकरण के पात्र नहीं हैं, अतः इनके विनियमितीकरण हेतु किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । चूंकि वेतनवृद्धि दिये जाने का प्रकरण शासन के विचारधीन है, इस सम्बन्ध में जो निर्णय होगा, तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट-जौरासी पैदल मार्ग के चर्मागाड़ नाले पर बनाया गया स्कपर

165—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ डीडीहाट स्थान से लगभग 1 कि0 मी0 दूर डीडीहाट—जौरासी पैदल मार्ग पर तीव्रगामी "चर्मागाड़" नाले पर फरवरी-मार्च, 1983 में रु0 10,000 की लागत से दो स्कवर बनाए गए थे और जिनके आठ माह बाद बह जाने से उनके निर्माता

ठेकेदार नन्दन सिंह विष्ट (पत्रालय डीडी-हाट से जिला पिथौरागढ़) की धरोहर राशि रु0 1,400 अभी भी रोकी गई है तथा वर्तमान में उन्हीं स्कवरों के स्थान पर रु0 75,000 की लागत से आर0 सी0 सी0 पुल का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो तकनीकी दृष्टि से आर0 सी0 सी0 पुल की आवश्यकता को नकारते हुए पूर्व में स्कवर बनाकर धन का दुरुपयोग करने का औचित्य क्या था और उसके लिए कौन तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार था? क्या सरकार इस अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने एवं श्री नन्दन सिंह विष्ट, ठेकेदार की धरोहर राशि (रु0 1,400) के शीघ्र भुगतान किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट से लगभग 1 कि0 मी0 दूरी पर डीडीहाट-जौरासी पैदल मार्ग पर चर्मागाड़ के निकट भूलाखेत नामक गधेरे में तथा कनैत रौली पर कुल 4,923 रु0 की लागत पर दो स्कपरों का निर्माण श्री नन्दन सिंह विष्ट, ठेकेदार द्वारा किया गया था। उक्त में से भूलाखेत नामक गधेरे पर बना स्कपर (लागत लगभग 2,000 रु0) अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ से बह गया था। ठेकेदार श्री विष्ट की जमामत की धनराशि, जो 10% के हिसाब से 490 रु0 जमा की गई थी, अभी वापस नहीं ली गई है ।

भूलाखेत नामक गधेरे में बने उक्त स्कपर, जो वर्षा एवं बाढ़ से बह गया था, के स्थान पर 6 मीटर स्पान का आर0 सी0 सी0 कलवर्ट बनाया गया जिसे 18,182 रु0 में पूरा कराया गया है । स्कपरों का निर्माण पूर्व में यातायात की तात्कालिक सुविधा हेतु कराया गया था । उक्त स्कपर के बह जाने का कारण दैवी आपदा था अतः इस हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं प्रतीत होता है । ठेकेदार की जमानत की धनराशि (रु0 490) ठेकेदार से प्रार्थना पत्र मिलने पर वापस की जायगी । ठेकेदार से तथ्य का पता नहीं लग पाया है कि पूर्व में कोई प्रार्थना-पत्र धरोहर राशि की वापस के लिये उनके द्वारा दिया गया ।

पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन की मांग

166–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पर्वतीय स्रोतों में, पेयजल के स्थानीय प्राकृतिक स्रोतों से पानी की मात्रा निरन्तर कम होती जा रही है? वर्तमान प्राकृतिक पेय जल स्रोतों को बचाये रखने, उन्हें और समृद्ध बनाने हेतु क्रमशः क्या-क्या कदम उठा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सामान्यतया पर्वतीय क्षेत्र में जिन स्रोतों के समीप सड़क निर्माण अथवा खुदान कार्य किया गया था अथवा किया जा रहा है, वहां प्राकृतिक स्रोतों के स्राव में कमी होने के दृष्टान्त प्राप्त हुए हैं।

पेयजल स्रोतों के संरक्षण का कार्य वन विभाग को सौंपा गया है जिसमें जल निगम द्वारा भी आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि व जल संरक्षण हेतु वृक्षारोपण

167—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में विशिष्ट प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले कौन-कौन से वृक्ष हैं जिनकी जड़ों में पानी रोकने की क्षमता होती है ? इन वृक्षों में पानी रोकने की क्षमता के अनुसार व आधार पर क्या उन्हें, पर्वतीय क्षेत्रों में आरोपित व संबर्धित किये जाने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जफर अली नकवी—

पर्वतीय क्षेत्र में विशिष्ट प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले सभी प्रजाति के वृक्षों की जड़ों में पानी रोकने की क्षमता होती है।

पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु पौध प्रजातियों का चयन भूमि की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं स्थानीय जनता तथा उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया जाता है और इस प्रकार के वृक्षारोपण जल संरक्षण में भी सहायक होते हैं। वृक्षारोपण की कई योजनायें पर्वतीय क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही हैं।

यहां यह भी अवगत कराना उपयुक्त होगा कि छठी पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि व जल संरक्षण की दृष्टि से 1,10,331 हे0 क्षेत्र में एवं 2,547 रो0 कि0मी0 सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया गया है। इसके अतिरिक्त 18,674 हे0 क्षेत्र में वनों के सघनीकरण एवं विकास हेतु भी कार्य किये गये।

इसी प्रकार सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985--90) में पर्वतीय क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित हैं :—

(1)	वृक्षारोपण	1,32,160 हे0
(2)	सड़कों के किनारे वृक्षारोपण	5,000 रो0 कि0 मी0
(3)	वनों का सघनीकरण	44,500 हे0

वर्ष 1985-86 में पर्वतीय क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं में भूमि एवं जल संरक्षण हेतु 21,628 हे0 क्षेत्र में एवं सड़कों के किनारे 523 रो0 कि0मी0 में वृक्षारोपण किया गया। 7,382 हे0 क्षेत्र में वनों के सघनीकरण एवं विकास हेतु भी कार्य किये गये।

वर्ष 1986-87 में पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित लक्ष्य रखे गये हैं :—

(1)	वृक्षारोपण	20,237 हे0
(2)	सड़कों के किनारे वृक्षारोपण	710 रो0 कि0मी0
(2)	वनों का सघनीकरण कार्य	9 400 हे0

विकास खण्ड बेरीनाग, जनपद पिथौरागढ़ के थल नामक स्थान पर मन्दिर समूहों का संरक्षण

168—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पुरातत्व विभाग व सांस्कृतिक मंत्री महोदय को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील डीडीहाट विकास खण्ड बेरीनाग के अन्तर्गत थल नामक प्राचीन स्थान पर पुरातन शिव मन्दिर समूहों का ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थापत्य कला का महत्व है ? यदि हां, तो इन मन्दिरों में से कुछ के मात्र भग्नावशेष ही बचे रहने और अन्य की दशा भी खराब होने पर भी उसे बचाने के लिए

दि0 31 मार्च, 86 तथा उसके बाद क्या-क्या कदम सुनिश्चित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

इन मन्दिर समूहों को संरक्षित रखने के लिए 31 मार्च, 86 से पूर्व ही पुरातत्व संगठन के अधिकारियों द्वारा इनका निरीक्षण किया गया। इन मन्दिर समूहों को "उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956" के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करके शीघ्र ही संरक्षित घोषित कर दिया जायेगा। इन के अनुरक्षण की दिशा में भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ में चिनार वृक्षारोपण की मांग

169–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि उत्तराखण्ड (पर्वतीय आठों जनपदों) में चिनार के वृक्षों को सफलता के साथ वृद्धि करने हेतु सभी आवश्यकताएं प्राकृतिक रूप से उपस्थित हैं ? यदि हां, तो सरकार ने जनपद पिथौरागढ़ में चिनार वृक्षारोपण हेतु क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जफर अली नकवी–

जी नहीं, यह कहना उपयुक्त नहीं है कि उत्तराखण्ड (पर्वतीय आठों जनपदों) में चिनार के वृक्षों को उगाने हेतु सभी आवश्यकतायें प्राकृतिक रूप से उपस्थित हैं।

चिनार प्रजाति का वृक्ष पूर्वी भू-मध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्र, जैसे साइप्रस, में प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है। इसके प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में थोड़ा-बहुत तथा जाड़ों में अधिक वर्षा होती है। वास्तव में इस वृक्ष को वर्ष भर नमी के साथ-साथ गहरी व अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसी कारण यह भारत के कश्मीर की "डल" व अन्य झीलों के किनारे पाया जाता है। इसके वृक्ष नैनीताल की झील के किनारे भी लगे हैं परन्तु उपयुक्त नमी एवं वर्षा के अभाव के कारण वहां पर लगे वृक्षों की मोटाई व ऊंचाई कश्मीर की तरह नहीं है। इस प्रजाति का वृक्षारोपण नैनीताल के समीप ज्योलीकोट में भी किया गया था परन्तु सफलता नहीं मिली। अतः जनपद पिथौरागढ़ भी चिनार प्रजाति के वृक्षों के सफलतापूर्वक रोपण हेतु उपयुक्त स्थान प्रतीत नहीं होता है। इसी कारण पिथौरागढ़ जनपद में चिनार वृक्षारोपण हेतु कोई कदम नहीं उठाये गये हैं।

170–श्री काशी सिंह ऐरी–

[2रे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अल्मोड़ा में भारत-जर्मन कृषि अनुसंधान/सहयोग अनुबन्ध

171–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में भारत-जर्मन कृषि अनुसंधान/सहयोग के लिए मूल अनुबन्ध कब तैयार किए गए? किस तिथि से इस परियोजना अन्तर्गत काम प्रारम्भ हुआ ? इस परियोजना में जर्मनी द्वारा कितनी धनराशि, किन-किन मदों में व्यय की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के नियमित स्राव की सांख्यकी एकत्र कराने की मांग

172–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल के स्थानीय प्राकृतिक स्रोतों से पानी की मात्रा में निरन्तर कमी होती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार विकास खण्ड/जनपदवार ऐसी सूचनाओं की नियमित सांख्यकी एकत्रित करती है ? यदि हां, तो किस विभाग/कोष्ठ के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो पेय जल जैसी आधार भूत सांख्यकीय के इस मूलभूत आंकड़ों को जमा न करने के क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पर्वतीय क्षेत्र में अवर्षण, सड़क निर्माण, खुदान आदि कारणों से प्राकृतिक स्रोतों के स्राव में कमी दृष्टिगोचर हुई है। ऐसा कोई अध्ययन जानकारी में नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि स्थानीय प्राकृतिक स्रोतों से पानी की मात्रा में निरन्तर कमी होती जा रही है।

सभी स्रोतों के नियमित स्राव की सांख्यकी जल निगम द्वारा एकत्रित नहीं की जाती है। योजना विरचन के पूर्व योजना के लिए निर्दिष्ट स्रोत का स्राव मापन जल निगम द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता ।

सामान्य स्टाफ से यह सम्भव नहीं है।

डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़ के थल स्थान पर सूचना केन्द्र की स्थापना, उद्देश्य एवं पुस्तकें

173–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत थल नामक स्थान में सूचना केन्द्र (पुस्तकालय समेत) की स्थापना कब किन उद्देश्यों के लिये की गयी थी ? इस केन्द्र में स्थापना के समय मूलरूप में कितनी पुस्तकें पाठकों के पढ़ने के लिये रक्खी गयी थीं ? विगत पांच वित्तीय वर्षों से इस केन्द्र में वर्षवार कितनी पुस्तकें हैं ? तथा कौन-कौन से दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक पत्र पत्रिकायें नियमित रूप से मंगायी जाती हैं ?

श्री प्रमोद कुमार–

सूचना केन्द्र थल की स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। इसका उद्देश्य सुदूर ग्रामीण अंचलों तक शासन की नीतियों एवं विकास कार्यों की प्रगति से जनता को लाभ पहुंचाना था । सूचना केन्द्र की स्थापना के समय 473 किताबें सूचना केन्द्र में थी । सूचना केन्द्र में 1 मई, 1980 को कुल 293 पुस्तकें थीं। वर्ष 1981, 1982 तथा 2 अगस्त, 1983 तक स्थिति पूर्ववत रही । दिनांक 3 अगस्त, 1983 को केन्द्र में 185 पुस्तकें शेष थीं। वर्ष 1984 व 1985 में भी पुस्तकों की संख्या 185 ही रही। सूचना केन्द्र में नियमित रूप से नवभारत टाइम्स, अमर उजाला तथा जनपद से प्रकाशित सभी समाचार पत्र (उत्तराखण्ड ज्योति), पर्वत पीयूष, जन नागर कुमायूं सर्वोदय, आज का पहाड़, मान-

सरोवर मंगाये जाते हैं। समाचार पत्रों के अतिरिक्त धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, रोजगार समाचार, इलेस्ट्रेटेड वीकली, दिनमान, पराग, नन्दन, कम्पटीशन मास्टर नियमित रूप से मंगाये जाते हैं।

उत्तरखण्ड में फलों के विकास हेतु विदेशी सहायता

174–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास मंत्रालय के अधीन 1980 से 1985 तक उत्तरा-खण्ड (पर्वतीय आठों जनपद) में फल उद्यान तथा फल उपयोग हेतु किन-किन विदेशी स्रोतों द्वारा किन-किन वर्षों में क्रमशः कितनी-कितनी धन-राशि प्राप्त हुई है ? इस धनराशि को पर्वतीय जनपदों में जनपदवार किन-किन मानकों के आधार पर क्रमशः कितना-कितना वितरित किया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1984-85 से पर्वतीय क्षेत्र में फलों के विकास हेतु एक परियोजना इटली सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत इटली सरकार द्वारा सहयोग के रूप में पौध सामग्री उर्वरक, उन्नत किस्म के यन्त्र तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है, इसके अलावा प्रसार कार्यकर्ताओं को फलों के उत्पादन में नवीनतम जानकारी हेतु इटली में प्रशिक्षण का भी प्राविधान रखा गया है। इस योजना में किसी प्रकार की नकद धनराशि की प्राप्ति नहीं होती है। लागू नहीं होता।

जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के जल निगम कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश

175–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा मण्डलों (जल निगम) से उन जनपदों में कार्यरत कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों को जनपद से बाहर स्थानान्तरित किये जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ को भेजे गये हैं? यदि हां, तो इन प्रस्तावों का आधार/औचित्य क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

लोहाघाट, पिथौरागढ़ स्थित पर्यटक आवास गृह का आवंटन

176–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोहाघाट (पिथौरागढ़) स्थित पर्यटक आवास गृह की सम्पूर्ण ऊपरी मंजिल राज सीमेन्ट कम्पनी को पूरे वर्ष के लिए कितने किराये पर किन नियमों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत आवंटित की गई और क्या यह सच है कि कम्पनी ने न केवल आवंटित कक्षों में बल्कि स्टाफ क्वाटर्स एवं किचन में भी कब्जा जमा लिया है तथा आवास गृह को खाली करने के विरुद्ध दि0 5-10-85 को सक्षम न्यायालय से स्टे भी प्राप्त कर लिया है ? यदि हां, तो एक सार्वजनिक उपयोग के पर्यटक आवास गृह को एक निजी कम्पनी को इतनी लम्बी अवधि के लिए आवंटित करने सम्बन्धी प्रकरण के लिए कौन उत्तर-दायी है और शासन ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल द्वारा लोहाघाट (पिथौरागढ़) के पर्यटक आवास गृह की ऊपरी मंजिल अक्यूपेन्सी अधिक न होने के कारण तथा राज सीमेन्ट कम्पनी निगम की भागीदार कम्पनी होने के कारण उक्त सीमेन्ट कम्पनी को 2-9-84 से 7500 रुपये वार्षिक (बिजली व्यय अतिरिक्त) की दर से किराये पर दी गयी थी।

जी हां ।

जी हां,

राज सीमेन्ट कम्पनी से आवास गृह दिनांक 30-11-85 को आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल के हस्तक्षेप से खाली करवा लिया गया है।

राज सीमेन्ट कम्पनी, लोहाघाट, पिथौरागढ़ को फैक्ट्री निर्माण हेतु भूमि आवंटन की शर्तें

177–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज सीमेन्ट कम्पनी लोहाघाट (पिथौरागढ़) को फैक्ट्री निर्माण हेतु जो भूमि आवंटित की गई है उसी भूमि के आवंटन का प्रकरण केन्द्र सरकार की सलाहकार समिति द्वारा इससे पूर्व एक बार अस्वीकृत किया जा चुका था ? यदि हां, तो उक्त कम्पनी को किस आधार पर व किन लीज शर्तों के साथ यह भूमि आवंटित की गई और क्या कम्पनी ने आवंटित भूमि में निर्माण कार्य संबंधी उपबंधों का परिपालन किया है ? यदि नहीं, तो शासन ने इस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

178–श्री काशी सिंह ऐरी–

[1ले शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पिथौरागढ़ में दूरकोट-धापा मोटर मार्ग का निर्माण एवं प्रतिकर भुगतान

179–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में दूरकोट धापा मोटर मार्ग का निर्माण कुल कितनी धनराशि से कब पूरा किया गया ? इस मार्ग के बनने से कृषकों को हुई क्षतिपूर्ति की कितने कृषकों को कितनी धनराशि दी जा चुकी है, कितनों को धनराशि देना अभी भी शेष है ? इस शेष धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में दूरकोट-धापा मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति 4·80 कि0 मी0 लम्बाई के लिए लागत 22·46 लाख रु0 पर जुलाई 1982 में दी गई थी । मार्च, 83 तक इस मार्ग पर 2 कि0 मी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण कर 8·17 लाख रु0 का व्यय किया गया है । 30 कृषकों को उनकी भूमि के लिए प्रतिकर के रूप में 12,580·94 रु0 का भुगतान भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा 4/86 तक कर दिया गया है और शेष 155 कृषकों को 29,794·42 के प्रतिकर का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा ।

180–श्री काशी सिंह ऐरी–

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

181–श्री काशी सिंह ऐरी–

[1ले सोमवार में अता0 प्र0 सं0 190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पिथौरागढ़ में पेयजल हेतु लगाये गये पम्प एवं उनकी क्षमता

182–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में किन-किन स्थानों पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पम्प लगाये गये हैं ? इन पम्पों की दैनिक क्षमता क्रमश: कितनी है ? इसमें से कितने पानी की दैनिक आपूर्ति की जाती है और इन मशीनों के रखरखाव व आपातकाल में प्रयोग हेतु क्या-क्या सहायक प्रबन्ध किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़, सुई एवं लोहाघाट में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पम्प लगाये गये हैं ।

इन पम्पों की क्षमता क्रमश: 6000, 200 व 800 किलो लीटर प्रतिदिन है ।

क्रमश: 3000, 75 व 300 किलो लीटर प्रतिदिन आपूर्ति की जाती है । पम्पों के खराब होने की दशा में पम्प गृह में अतिरिक्त पम्प स्थापित किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील रानी खेत, जनपद अल्मोड़ा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री महेन्द्र सिंह की विधवा को पेंशन

183–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में तहसील रानी खेत के अन्तर्गत पट्टी कक्लासों के गांव हऊली के श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री कालू सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को राज्य सरकार की ओर से स्वतंत्रता संग्राम पेंशन दी जाती थी ? यदि हां, तो श्री महेन्द्र सिंह की मृत्यु का प्रमाण पत्र दिये जाने पर भी उनकी विधवा श्रीमती अम्बिका देवी को राज्य सरकार की स्वतंत्रता संग्राम पेंशन अभी तक न दिये जाने का क्या कारण है जबकि श्रीमती अम्बिका देवी को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अथारिटी संख्या 3267 पोल/76-एफ एफ दिनांक 28-1-77/10-5-77 के अनुसार पोल/सेन्टरों/ एफ0 ओ0 21140 द्वारा नियमित पेंशन मिल रही है ? सरकार इस संबंध में तुरन्त कदम उठाते हुए पिछली सभी देय को समयबद्ध जमा मानते हुये, ब्याज सहित कब तक भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

जी नहीं ?

स्वर्गीय श्री महेन्द्र सिंह की विधवा श्रीमती अम्बिका देवी को पारिवारिक राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है ।

श्री परमचन्द्र को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन दिये जाने की मांग

184–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री परम चन्द्र पुत्र श्री हरि राम पीढ़ी गाड़ पत्रालय झूलाघाट को, गृह मंत्रालय अनुभाग–4 संख्या 445 जेड/6-वी-80-16 आर/72 लखनऊ दिनांक 15 मई, 1980 द्वारा भेजे पत्रांक के आधार पर नागरिकता एक्ट 1955 सेक्सन-5 (1) ई के अधीन "बाण्ड" भरने, ग्राम सभा भटेड़ी द्वारा सिफारिश करने पर भी अभी तक स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत न करने का क्या कारण है ?

दिवंगत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को ताम्र पत्र

185–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में नामी स्वतंत्रता संग्रामी स्व0 श्री लाल सिंह ग्राम जाख (गुमदेश) पत्रालय धौनी शिलंगा जनपद पिथौरागढ़, की पत्नी विधवा मांगू देवी उर्फ गांगू देवी को उत्तर प्रदेश शासन गृह (सामान्य) अनुभाग–2 लखनऊ के दिनांक 27 मार्च, 1985 के पत्र द्वारा यह सूचित किया गया कि ताम्रपत्र दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों को नहीं दिये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों और इसका आधार क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। भारत सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार ताम्रपत्र केवल जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ही देय हैं। दिवंगत सेनानियों के आश्रितों आदि को नहीं।

जनपद पिथौरागढ़ में रावत गांव ग्राम समूह पेयजल योजना पर व्यय एवं नियमित आपूर्ति

186–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट तहसील के अन्तर्गत 1974-80 में निर्मित साता, आणागांव पेयजल योजना का निर्माण कितनी धनराशि से किया गया था? इस योजना के द्वारा ग्राम दौला को प्रारम्भ से ही पेयजल आपूर्ति न होने का क्या कारण है? इस हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए भविष्य में नियमित पेयजल आपूर्ति करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

साता, आणागांव पेयजल योजना के नाम से कोई पेयजल योजना निर्मित नहीं की गई है। रावत गांव ग्राम समूह पेयजल योजना (विकास क्षेत्र-कनालीछीना) जिनमें साता गांव, आणागांव दौला, लमड़ा एवं सितार गांव सम्मिलित किये गये थे, का निर्माण कार्य 2.44 लाख रु0 की धनराशि से कराया गया था।

इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

नियमित पेयजल आपूर्ति हेतु कुमायूं जल संस्थान को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बंशीधर पन्त, सेवा निवृत्त वन दरोगा, जनपद पिथौरागढ़ को जी0 पी0 एफ0 भुगतान एवं पेंशन स्वीकृति

187–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बंशीधर पन्त सेवानिवृत्त वन दरोगा, ग्राम भटीगांव पत्रालय वेरीनाग-जनपद पिथौरागढ़ के मई, 1984 में सेवा-निवृत्ति होने के बाद वनाधिकारी पूर्वी अल्मोड़ा वन प्रभाग के द्वारा प्रेषित पेंशन प्रकरण संख्या 3250/33 दिनांक 28-2-84 व पत्र संख्या 4829/33 पी दिनांक 7-6-84 के अनुपालन में उचित प्रमाण-पत्र भेजने और पुनः पत्रांक 1886/33 पी दिनांक 13-11-84 के द्वारा स्थिति स्पष्ट करने पर भी अभी तक पेंशन न दिये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार श्री पन्त को जी0 पी0 एफ0 भुगतान करते हुए नियमित पेंशन देने की कार्यवाही तुरन्त पूर्ण करने के आदेश देगी? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री बंशीधर पन्त, सेवानिवृत्त वन दरोगा को महालेखाकार–द्वितीय, इलाहाबाद द्वारा अपने अधिकार पत्र दिनांक 24 फरवरी, 1984 द्वारा 212 रुपया प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान का आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी की सूचना के अनुसार पेंशन त्रुटिपूर्ण आगणित होने के कारण महालेखाकार द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पुनः श्री पन्त की सेवापुस्तिका सहित त्रुटि को ठीक करने हेतु लिखा गया है। श्री पन्त को सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान महालेखाकार-द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा प्राधिकार पत्र जारी करने के उपरान्त जारी किया जायेगा। प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु महालेखाकार-द्वितीय को नियमानुसार वांछित प्रमाण पत्र दिनांक 13 जून, 1986 को प्रस्तुत कर दिया गया है।

पेरिस, न्यूयार्क में चल रही भारत मेला संस्कृति प्रदर्शनी में भेजी गई कलाकृतियां

188–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेरिस व न्यूयार्क (व अन्य अमेरिकी नगरों) में चल रही भारत मेला संस्कृति प्रदर्शनी में उ0 प्र0 से कितनी व कौन-कौन मूर्तियां/शिल्पकलाएं या अन्य कलाकृतियां किन-किन स्थानों से भेजी गयी थीं ? हजारों वर्षों की इन सांस्कृतिक धरोहरों की पूर्ण सुरक्षा के लिए क्या-क्या प्रबन्ध किए गए थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पेरिस व न्यूयार्क में चल रहे भारत मेला संस्कृति प्रदर्शनी में उ0 प्र0 से 85 मूर्तियां/शिल्प कलाएं अथवा अन्य कलाकृतियां भेजी गई हैं । ये मूर्तियां/शिल्प कलाएं आदि पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ, इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद, राज्य संग्रहालय, लखनऊ; भारत कला भवन, वाराणसी; राजकीय संग्रहालय, मथुरा; राजकीय संग्रहालय, झांसी; प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, इलाहाबाद तथा आगरा के आर्क विशप आगरा से भेजी गईं, जिनकी सूची वृहत है । इन सांस्कृतिक धरोहरों की पूर्ण सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा प्रबन्ध किए गए और मूर्तियों की महत्ता के अनुसार विभिन्न धनराशियों के लिए बीमा भारत सरकार द्वारा कराया गया ।

'ड्रेस डिजायन एण्ड कास्ट्यूम' में डिप्लोमा के उपरान्त उच्च शिक्षा हेतु संस्थान

189–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि महिलाओं की "ड्रेस डिजायन एण्ड कास्ट्यूम" वर्ग से पालीटेक्निक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा इसी संवर्ग में प्राप्त करने के लिए कहां-कहां प्रवेश दिया जाता है ? ऐसे उच्च संस्थान लखनऊ या उत्तराखण्ड (पर्वतीय जनपदों) में कहां-कहां है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत कोई ऐसी पालीटेक्निक नहीं है जहां कास्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग का डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्राओं को उसी संवर्ग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रवेश दिया जाता हो । उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

उपर्युक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम स्वतः रोजगारपरक है । अतः उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है ।

उत्तराखंड के तीर्थ स्थल/पूजन स्थलों की सूची एवं विकास

190—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री उत्तराखण्ड (पर्वतीय जनपदों) में उन तीर्थ स्थलों/पूजन स्थलों के नाम बतलायेंगे जिनमें प्रतिवर्ष रु0 50 हजार से अधिक का चढ़ावा तीर्थ यात्री अर्पित करते हैं ? इनमें से किन-किन की व्यवस्था वहां न्यास के अनुसार की जाती है ? इन स्थलों को राष्ट्रीय संस्कृति व एकता के केन्द्रों के रूप में विकसित करने हेतु सरकार ने क्रमशः क्या-क्या कदम उठाए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तराखण्ड (पर्वतीय जनपदों) में निम्न तीर्थ स्थलों/पूजन स्थलों में प्रतिवर्ष रु0 50 हजार से अधिक का चढ़ावा तीर्थ यात्री अर्पित करते हैं :—

जनपद	तीर्थ स्थलों/पूजन स्थलों का नाम
1—पिथौरागढ़	पूर्णागिरी
2—नैनीताल	नानकमता (सितारगंज)
3—पौड़ी-गढ़वाल	1. विश्वगुरु नगर क्षेत्र निकेतन धाम स्वर्गाश्रम ।
	2. सुखदेवानन्द ट्रस्ट, परमार्थ निकेतन स्वर्गाश्रम ।
	3. सतभवन ट्रस्ट, स्वर्गाश्रम ।
	4. स्वर्गाश्रम ट्रस्ट, स्वर्गाश्रम ।
	5. भारत साधू समाज स्वर्गाश्रम ।
	6. कैलाशानन्द मिशन ट्रस्ट, लक्ष्मण झूला ।
	7. बाल योगेश्वर ट्रस्ट, स्वर्गाश्रम ।
4—उत्तरकाशी	गंगोत्री ।
5—चमोली	1. बद्रीनाथ
	2. केदारनाथ

उक्त तीर्थ स्थलों/पूजा स्थलों में निम्न की व्यवस्था वहां न्यास के अनुसार की जाती है :—

1—नानकमता (सितारगंज)

2—विश्व गुरु नगर क्षेत्र निकेतन धाम स्वर्गाश्रम ।

3—सुखदेवानन्द ट्रस्ट, परमार्थ निकेतन स्वर्गाश्रम ।

4—सतभवन ट्रस्ट स्वर्गाश्रम ।

5—स्वर्गाश्रम ट्रस्ट स्वर्गाश्रम ।

6—भारत साधू समाज, स्वर्गाश्रम ।

7—कैलाशानन्द मिशन ट्रस्ट लक्ष्मण झूला ।

8—बाल योगेश्वर ट्रस्ट स्वर्गाश्रम ।

उपरोक्त मंदिरों में से श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों के राष्ट्रीय संस्कृति तथा एकता का केन्द्र के मंबंध में विकसित करने के लिए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 के अन्तर्गत गठित कमेटी द्वारा निरन्तर प्रयास किया जाता है । श्री गंगोत्री तथा यमुनोत्री मंदिरों की राष्ट्रीय संस्कृति तथा एकता के केन्द्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से विशेष विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है । पूर्णागिरी को भी विकसित किए जाने के लिए भी इस वर्ष से कार्य आरम्भ किया गया है ।

ब्लाक दशाईथल, गंगोलीघाट ग्राम मल्ला के निवासियों द्वारा वृक्षों के अवैध कटान की शिकायत पर कृत कार्यवाही

191—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक दशाईथल गंगोलीहाट, ग्राम मल्ला, गर्खा के निवासी, जिला पिथौरागढ़ में दौलाबलिया वन-पंचायत के हरे

पेड़ काटकर अभी भी नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या जिलाधिकारी, पिथौरा-गढ़ व परगना अधिकारी, डीडीहाट को सरपंच दौलाबलिया की शिकायतें माह जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1985 में मिली हैं? यदि हां, तो निराकरण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं तथा जो जुर्माना जुल्मदारों पर निर्धारित किया गया था वह वसूल हो गया है? यदि हां, तो धनराशि कितनी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ब्लाक दशाईथल (गंगोली हाट) मल्ला मर्खा के निवासी जिला पिथौरागढ़ में दौलाबलिया वन पंचायत के पेड़ों की लकड़ी का चोरी छिपे रात्रि में अवैध कटान करते हैं क्योंकि इस वन पंचायत की सीमा उक्त ग्राम से लगी हुई है। सरपंच वन पंचायत दौलाबलिया ने माह जनवरी एवं फरवरी, 1985 में इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से शिकायत की थी जो जांच हेतु परगना अधिकारी डीडीहाट को भेजी गयी थी और जुल्मदारों के विरुद्ध ह0द0 379/427 भा0द0 विधान के अन्तर्गत दिनांक 10-8-86 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। वन पंचायत नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत सरपंच को जुर्माना करने का कोई अधिकार नहीं है। ये केवल 50 रुपये की सीमा तक वन अपराध के मामलों का शमन कर सकते हैं। वर्णित स्थिति में जुर्माना निर्धारित करने एवं धनराशि की वसूली का प्रश्न नहीं उठता है।

पर्वतीय विकास परिषद् के अधीन उप-समितियों के सदस्यों का चयन

192–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास परिषद् के अधीन उपसमितियों के सदस्यों के चयन के आधार किन-किन मानकों पर निर्धारित है? इन उपसमितियों के द्वारा की गयी संस्तुतियों पर सरकार किस प्रकार कार्यवाही करती है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पर्वतीय विकास परिषद् की उप-समितियां मण्डलीय आधार पर गठित हैं। इन समितियों में मण्डल के विधान सभा/विधान परिषद्/राज्य सभा/लोक सभा व जिला परिषद्ों के अध्यक्ष नामित किये जा सकते हैं।

उपर्युक्त उप समितियों के अध्यक्ष माननीय राज्य मंत्री जी पर्वतीय विकास हैं तथा मण्डलीय संयुक्त/उप विकास आयुक्त इनके संयोजक नामित किये गये हैं। उप समितियों के संयोजक अध्यक्ष की अनुमति से उप समितियों की बैठक निर्धारित करते हैं और बैठक में लिये गये निर्णयों को कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित करते हैं।

जनपद पिथौरागढ़ में भटीगांव पेयजल योजना एवं जल आपूर्ति

193–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड बेरी-नाग के अंतर्गत भटीगांव-मड़ पेयजल योजना (पट्टी भरीगांव) में पेयजल की मुख्य टंकी भरीगांव ग्राम से अत्यन्त निचले भाग पर की गयी है? इस पेयजल मुख्य टंकी के अत्यन्त नीचे होने के कारण भरीगांव के बिस, जुगपाणी, तुवात, चौरकुन, भटाढी तोकों में पानी नियमित न दिये जा सकने पर भी यह योजना कब किस अधिकारी द्वारा सफल निर्मित घोषित कर आवश्यक भुगतान पूर्ण रूप से दिये गये? क्या सरकार इसमें हुए भ्रष्टाचार की जांच

करते हुए उपरोक्त ग्राम के सभी तोकों को नियमित पेयजल आपूर्ति का प्रबन्ध सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

भरीगांव मड़ पेयजल योजना के नाम से कोई योजना नहीं है। भटीगांव (कोड संख्या-61) पेयजल योजना जिसमें भटीगांव के 9 तोकों क्रमशः 1-तल्लाबीसा, 2-मल्ला बीसा, 3-द्यूताघर, 4-मचुरा, 5-बीसा खैर, 6-पिटरौरा 7-नाकुरा, 8-भटीगांव एवं कभाल खोली में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का प्राविधान किया गया था। यह योजना वर्ष 1982-83 में निर्मित की गई थी। इन तोकों के लिये टंकी ऐसी स्थान पर बनाई गई है जिससे गुरुत्व द्वारा पेयजल उपलब्ध हो सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रश्नगत तोकों को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया था क्योंकि वे तोक योजना के प्रस्तावित श्रोत से ऊंचाई पर स्थित थे। अतः प्रश्न नहीं उठता है।

इन तोकों में पेयजल दिये जाने का प्रस्ताव नहीं था और न वर्तमान में विचाराधीन है। अतः जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में जरगानी-सिरकुच पेयजल योजना का निर्माण, व्यय एवं जल आपूर्ति

194–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के जरगानी-सिरकुच पेय जल योजना का निर्माण कब, कितनी धनराशि से किन-किन गांवों के लाभ के लिये पूर्ण किया गया? इस पेय जल योजना के द्वारा कब से किन-किन ग्रामों को नियमित पेयजल आपूर्ति की जाती रही है ? क्या इस हेतु गांवों के गांव प्रधानों के प्रमाण पत्र विभाग के पास जमा हैं ? वर्तमान में इस योजना के पुनर्निर्माण के लिये कितनी धनराशि से क्या-क्या कार्य किया जा रहा है ? इस योजना से किन-किन ग्रामों को नियमित पेय-पानी कब से प्राप्त हो सकेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद पिथौरागढ़ में विवेकानन्द पुस्तकालय, लोहाघाट की स्थापना हेतु भूमि आवंटन की मांग

195–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़ में लोहाघाट नामक स्थान में श्री धनसिंह देव ने स्वयं अपने धन से 2 लाख 53 हजार रुपयों से विवेकानन्द पुस्तकालय लोहाघाट स्थापित करने हेतु जिला प्रशासन व उ0 प्र0 शासन से अनेक स्तर पर अनुरोध किया था ? इसी सम्बन्ध में जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के द्वारा अनुसचिव, नजूल अनुभाग, उ0 प्र0 शासन को भेजे पत्र सं0 2123/25-20-80-81 (दि0) 10-3-83 पर दि0 30-1-86 तक व उसके बाद क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार इस समाज सेवक के द्वारा समाज के लिये किये जा रहे उच्चतम आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इन्हें अतिशीघ्र भूमि आवंटित करते हुए प्रत्येक प्रकार की सहायता भी देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में विवेकानन्द पुस्तकालय लोहाघाट की स्थापना हेतु नजूल भूमि के आवंटन का प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा शासन को अगस्त, 1981

में भेजा गया था।

शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त अक्टूबर, 1985 में प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

जनपद फैजाबाद में अयोध्या के श्री राम ग्रन्थागार के अधिग्रहण की मांग

196–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद फैजाबाद में अयोध्या के मणिपर्वत के निकट श्री राम ग्रन्थागार में हजारों पुरानी पांडुलिपि हैं जिनका ऐतिहासिक व सांस्कृतिक तथा काव्य जगत में अत्यन्त महत्व है ? क्या सरकार इस दुर्लभ साहित्य संग्रह को आग, पानी, दीमक, कीट, चोरी आदि की हानि से सुरक्षित रखते हुए शोधार्थियों को अधिकतम सहायता प्रदान करने के लिये इस सांस्कृतिक विरासत को अधिकृत कर इसे वैज्ञानिक विधि से सुसज्जित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। जनपद फैजाबाद में अयोध्या के मणि पर्वत के निकट श्रीराम ग्रन्थागार में लगभग 45,000 ग्रन्थ हैं जिसमें लगभग 100 हस्तलिखित पाण्डुलिपियां हैं। श्रीराम ग्रन्थागार श्री रामकुमार दास जी का व्यक्तिगत ग्रन्थागार है। उन्होंने उक्त ग्रन्थागार के लिये पुस्तकों का संग्रह अपने स्वाध्याय एवं स्वतः आनन्द के लिये किया है। जांच से ज्ञात हुआ है कि उसका रख-रखाव भी वे ठीक से करते हैं। श्रीराम ग्रन्थागार के संस्थापक श्री राम कुमार दास जी ग्रन्थागार शासन को देने के लिए तैयार नहीं हैं। अतः शासन द्वारा अधिग्रहण किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल को आवंटित धनराशि

197–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में विगत पांच वित्तीय वर्षों में क्रमशः कितनी धनराशि युवक मंगल दल तथा महिला मंगल दल हेतु आवंटित की गयी ? पर्वतीय विशेषकर सीमान्त क्षेत्र की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए क्या सरकार वहां अधिक धन/साधन उपलब्ध कराते हुए उपरोक्त संस्थाओं को अधिक सक्रिय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पर्वतीय जनपदों में युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास का विभाग को वर्ष 1983-84 से अयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत लिया गया। अतः वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में युवक/महिला मंगल दलों हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई

वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक जनपद पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा में युवक/महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु जिला योजनान्तर्गत निम्न प्रकार धनराशि स्वीकृत की गई :–

वर्ष		पिथौरागढ़ अल्मोड़ा
1983-84	11,000 रु0	14,000 रु0
1984-85	24,000 रु0	25,000 रु0
1985-86	25,000 रु0	27,000 रु0

युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन हेतु जिला सेक्टर की योजनाओं के अन्तर्गत जिला एवं मण्डलीय स्तर पर गठित समितियां जिनमें जन प्रतिनिधि भी होते हैं, की संस्तुतियों के आधार पर धनराशि का परिव्यय स्वीकृत किया जाता है।

जनपद पिथौरागढ़, तहसील डीडीहाट के विकास खण्ड बेरीनाग के गर्जिला तोक में पेयजल सुविधा

198–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील डीडीहाट, विकास खण्ड बेरीनाग अन्तर्गत जोग्यूडा थल ग्राम सभा में गर्जिला नामक तोक में दो सवर्ण परिवारों को छोड़कर सभी परिवार अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के इन निर्धन (चर्मकार) मूलजाति के हरिजनों को नियमित रूप से निःशुल्क पेयजल दिये जाने हेतु सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं जबकि इन हरिजनों के पास कोई प्राकृतिक जल स्रोत भी नहीं है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

इन परिवारों के लिए गर्जिला थल पेयजल योजना से पेयजल सुविधा जल संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है।

गर्जिला तोक में कोई प्राकृतिक जल स्रोत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड जमालपुर में मंगल दल के पदाधिकारियों का चुनाव

199–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के जमालपुर विकास खंड के कितने गांवों में नवयुवक मंगल दल का चुनाव विधिवत् कराया गया है ? क्या यह सत्य है कि वहां के बी0 डी0 ओ0 द्वारा अनियमित रूप से बिना चुनाव कराये ही अध्यक्ष बना दिया गया है ? यदि हां, तो इसकी जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मिर्जापुर जनपद के विकास खण्ड जमालपुर के 23 ग्राम सभाओं में युवक मंगल दल के पदाधिकारियों का चुनाव विधिवत् कराया गया है। यह सत्य नहीं है कि वहां के बी0 डी0 ओ0 द्वारा बिना चुनाव कराये ही अध्यक्ष बना दिया गया है ।

अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ में बागवानों को उद्यान ऋण, वसूली तथा तकनीकी मार्गदर्शन

200–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़ में 1 मई, 86 को कितने ऐसे बागवान थे जिन्हें जिला फल उद्यान कार्यालय से ऋण लिये हुए 10 वर्ष से अधिक हो गये हैं और इस ऋण के भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है ? इस हेतु फल उद्यान विभाग द्वारा सम्बन्धित बागवानों की देख रेख तथा उचित दिशा निर्देशन हेतु क्या-क्या कदम उठाया गया है ? इस कार्य हेतु जनपद पिथौरागढ़ में उद्यान अधिकारी के अन्तर्गत कुल कितने कर्मचारी दिनांक 1 मई, 86 को कार्यरत हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1975-76 तक 2381 बागवानों को उद्यान ऋण

दिया गया। इस ऋण के भुगतान हेतु राजस्व विभाग द्वारा तकावी नियमों के अन्तर्गत वसूली की जा रही है।

उद्यान विभाग के सचल दल के कर्मचारियों द्वारा पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तकनीकी मार्ग दर्शन कराने के साथ-साथ सामयिक कार्यों का प्रदर्शन कराया जाता है तथा आवश्यकतानुसार कीटों/व्याधि की रोकथाम हेतु 50 प्रतिशत मूल्य पर उपचार होता है। उद्यान के रखरखाव सम्बन्धी प्रशिक्षण आयोजित कराकर उद्यानपतियों को लाभ पहुंचाया जाता है। इस कार्य के सम्पादन हेतु विकास क्षेत्र स्तर पर 8 विशेषज्ञ उद्यान, 19 सहायक विकास अधिकारी (उद्यान), 24 पर्यवेक्षक तथा 102 माली नियुक्त हैं।

जनपद पिथौरागढ़, तहसील डीडीहाट के थल स्थान पर पौधशाला निर्माण एवं उसका क्षेत्रफल

201—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या फल उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत स्थान थल में पौधालय (नर्सरी) का निर्माण मूल रूप से कब किया गया था ? उस समय इसका कुल क्षेत्रफल (लम्बाई, चौड़ाई समेत) कितना था ? वर्तमान में इस पौधालय के पास कुल कितनी क्षेत्रफल भूमि है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद पिथौरागढ़ में तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत स्थान थल में पौध नर्सरी का निर्माण वर्ष 1961-62 में हुआ था।

निर्माण के समय पौधशाला का क्षेत्रफल 73 नाली 3 मुट्ठी था, पौधालय तीन हिस्सों में विभक्त है, जिसकी लम्बाई-चौड़ाई में स्थान-स्थान पर विविधता है। वर्तमान में इस पौधालय का कुल क्षेत्रफल 72 नाली 15 मुट्ठी है।

पर्वतीय क्षेत्र के बागवानों को राजकीय उद्यानों/प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण

202—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री के संयुक्त सचिव के पत्रांक एम-1/कृ0/38-1/सी एम-2/85 दिनांक 16-7-85 के द्वारा प्राप्त प्रश्नकर्ता द्वारा शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर की तरह पर्वतीय विशेषकर सीमान्त जनपदों के कृषकों, बागवानों का स्थानीय राजकीय उद्यानों/प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में दिये गये सुझाव पर सरकार द्वारा क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

समस्त पर्वतीय क्षेत्र के बागदानों को इस सुझाव के बहुत पूर्व से ही स्थानीय राजकीय उद्यानों एवं प्रयोग तथा प्रशिक्षण केन्द्रों में उद्यान मशरूम तथा मौन पालन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जनपद पिथौरागढ़ के भवन रहित पशु सेवा केन्द्र एवं भवन निर्माण हेतु अनुमानित व्यय

203—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कितने पशु सेवा केन्द्र हैं जिनके पास अपने विभागीय भवन नहीं हैं? इसमें प्रति केन्द्र किस दर से कुल कितना खर्चा आयेगा ? कब तक इनका निर्माण कर दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

36 पशु सेवा केन्द्रों पर विभागीय भवन नहीं है।

यदि भूमि निःशुल्क प्राप्त हो जाती है तो वर्तमान अनुमानित लागत के आधार पर प्रति केन्द्र रु0 1.25 लाख की दर से 36 केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु लगभग रु0 45.00 लाख व्यय होने का अनुमान है। यदि कहीं पर निःशुल्क भूमि उपलब्ध नहीं होती है तो भवन निर्माण हेतु भूमि का क्रय करना होगा, जिसका मूल्य अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होगा

भवन निर्माण हेतु विकेन्द्रिकृत जिला योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन समिति द्वारा परिव्यय उपलब्ध कराने के उपरान्त शासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने पर भवनों का निर्माण किया जाता है। अतः जैसे-जैसे जिला नियोजन समिति द्वारा इस कार्य हेतु परिव्यय उपलब्ध कराया जायेगा, तदनुसार भवन बनाये जायेंगे।

जनपद पिथौरागढ़ के पशु सेवा केन्द्रों पर नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र की स्थापना की मांग

204–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पशुपालन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कुल कितने पशु सेवा केन्द्र हैं जिनमें पशुओं की उन्नतशील वंश के लिए नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र स्थापित हैं? कितने में यह सेवा उपलब्ध नहीं है? इन केन्द्रों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में 27 पशु सेवा केन्द्रों पर प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र स्थापित हैं।

39 पशु सेवा केन्द्रों पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

प्रत्येक पशु सेवा केन्द्र पर नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र स्थापित कराये जाने की सम्प्रति कोई नीति निर्धारित नहीं है। आवश्यकतानुसार ही नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र स्थापित किये जाते हैं।

संसद सदस्य एवं भूतपूर्व उप प्रधान मंत्री बाबू जगजीवन राम के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

मैं आप सबका स्वागत करते हुए सदन की कार्यवाही शुरू कर रहा हूं।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, बाबू जगजीवन राम हमारे देश के महान नेताओं में से थे। वह आज हमारे बीच में नहीं हैं। बाबूजी का जन्म 5 अप्रैल, 1908 को भोजपुर जिले के चंदवा नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में छुआ-छूत और भेदभाव के खिलाफ सदैव आवाज उठाई। वे आजीवन गरीबों के प्रति शोषण को समाप्त करने हेतु निरन्तर संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने जीवन में जन्म से ही समाज सेवा और देश सेवा की भावना को ले करके काम किया और विद्यार्थी जीवन से ले करके ही उनके दिल में यह बात चुभती थी कि समाज के ऐसे लोग जो बहुत सताए हुए हैं, जिनको अछूत कहा जाता है, जिनका शोषण होता है, उनको कैसे न्याय दिलाया जाय।

मान्यवर, उन्होंने अपना पूरा जीवन हरिजनों के लिये, आदिवासियों के लिये और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने में लगाया। वह केवल कमजोर वर्ग के ही नेता नहीं थे, बल्कि पूरे देश के नेता थे। मान्यवर, उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में बड़े महत्वपूर्ण स्थानों पर रह करके जिस तरह से काम किया, उनके जीवन के बारे में देखा जाय

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

तो लगभग 50 वर्षों तक बड़े-बड़े स्थानों पर रह करके उन्होंने देश की सेवा की । सन् 1936 से 1946 तक उन्होंने दलितों के लिये संघर्ष किया, हम उसे भूल नहीं सकते। 1936 से ले करके आज तक जब कभी भी किसी जगह का चुनाव हुआ, वह आए और लगातार आज तक मान्यवर, वह संसद के सदस्य रहे। बिहार विधान परिषद् में चुने गये और भी जगह चुने गये । उन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे देश की सेवा में लगाए। केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमंडल में, जिन पदों पर वे रहे, बड़ी कुशलता से उन्होंने उन विभागों को निबाहा और जिस तरह से उन्हें सफलता मिली, लोग कहते थे कि बाबूजी को जो भी डिपार्टमेंट दे दिया जाय, वह कितना भी बिगड़ा हो, उसे ठीक कर देंगे। इतना लोगों में विश्वास था ।

आज वह हमारे बीच में नहीं हैं । उनके न रहने से हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि उन्होंने समाज को उठाने के लिये, गरीबों को, समाज के उन सभी वर्ग को, जो गरीब हैं, निर्धन हैं, हर तरह से डरे हैं, उनके लिये जो रास्ता बताया है, हम उस रास्ते पर चलते हैं तो सही माने में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आप हमारी भावनाएं उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो अभी सदन को स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम के निधन की दुखद सूचना दी, उससे हम सब लोग और सारे देश के लोग दुखी हैं। स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम के निधन से सबसे बड़ी दुख और अफसोस की बात यह है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले, राष्ट्रीय नेता की उस पीढ़ी के लोग, धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं । आज देश को महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली पीढ़ी की और ज्यादा जरूरत थी जब एक ओर देश में हर क्षेत्र में नैतिक पतन और तमाम ऐसी जो सार्वजनिक जीवन की कमजोरियां हैं वह बढ़ती जा रही हैं ऐसे समय पर बाबू जगजीवन राम जी का निधन हम सब लोगों के लिये बहुत चिंता का विषय है। अब देश में स्व0 बाबू जगजीवन राम के निधन के बाद राष्ट्रीय नेता इने-गिने रह गये हैं । इस देश में कोई मुख्य मंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री बन जाय, लेकिन राष्ट्रीय नेता बहुत कम रह गये हैं । यह बाबू स्वर्गीय जगजीवन राम उन इने गिने राष्ट्रीय नेताओं में से थे । इस निधन के बाद कुछ ही इने-गिने लोग इस देश में रह गये हैं यह बहुत अफसास की बात है ।

मान्यवर, स्व0 जगजीवन राम जी के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जाय, कम है। कुछ समय को छोड़कर, कामराज योजना को छोड़कर, 1937 से लेकर के लगातार पार्लियामेंटरी सेकेट्ररी से लेकर के मंत्रि मंडल के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहकर के उन्होंने इस देश के लिये शानदार भूमिका अदा की है। वे उन नेताओं में से थे, जो लगातार चुनाव में अपराजित रहने वाले थे । चुनाव में अपराजित रहने वालों में अगर रिकार्ड किसी के लिये लिखा जायेगा तो बाबू जगजीवन राम के लिये। जो अपनी जिन्दगी के आखिरी समय तक चुनाव में कभी पराजित नहीं हुए, वह अपराजित रहे । ऐसे राष्ट्रीय नेताओं में से वह थे ।

मान्यवर, जहां उनके निधन से राष्ट्रीय नेताओं की जो कमी हम लोगों को खटक रही है, वहीं पर सार्वजनिक

जीवन में काम करने वाले ऐसे लोगों का एक शून्य होता चला जा रहा है, जो भरा जाना असंभव है । मान्यवर, रक्षा मंत्री के रूप में स्व0 जगजीवन राम जी ने पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की लड़ाई में शानदार भूमिका अदा की थी। उनके नेतृत्व में भारतीय सेनाओं के सामने पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया था । एक कुशल नेतृत्व की क्षमता बाबू जी में थी। लेकिन, अफसोस और दुर्भाग्य है कि भारत रत्न की उपाधि स्व0 बाबू जगजीवन राम जी को, उनका हक होते हुए भी, नहीं मिल सकी । मान्यवर, भारत के राष्ट्रीय नेताओं में उनका नाम तो अमर रहेगा ही, लेकिन वह हमेशा समाज के कमजोर, पिछड़े, गरीब लोगों के लिये समर्पित रहे । यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे बड़े-बड़े नेताओं को कभी-कभी अपनी साजिश के नाते एक वर्ग का नेता कह दिया जाता है । लेकिन बाबू जगजीवन राम जी एक राष्ट्रीय नेता थे । ऐसे महान नेता के चरणों में मैं अपनी ओर से और अपने साथियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी श्रद्धांजलि को उनके परिवार, उनके दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। स्वतंत्र भारत में वह उस कुर्सी और ऊंचाई तक पहुंचे, जहां कम ही लोग पहुंच पाते हैं। सार्वजनिक जीवन में, मंत्री के रूप में, मेरी जहां तक याददास्त है, सबसे ज्यादा दिनों तक वह उस कुर्सी पर प्रतिष्ठित रहे । बाबू जगजीवन राम जी जिस किसी भी महकमे के मंत्री हुए, उसको उन्होंने बखूबी निभाया । उनके लिए यह प्रसिद्ध था कि अफसरशाही पर, जहां ज्यादातर मंत्री अंकुश नहीं लगा पाते हैं, बाबू जगजीवन राम जी बखूबी सकुशल तरीके से उन पर अंकुश लगा देते थे । वह उस सवार की तरह थे, जो घोड़े पर सवार होकर घोड़े को चलाना जानता हो। बाबू जगजीवन राम जी संचार मंत्री रहे, खाद्य मंत्री रहे और रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने जो उपलब्धि पाई, जब इतिहास लिखा जायेगा, तब उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा । जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, मैं भी उससे सहमत हूं और आज भी भारत सरकार और महामहिम राष्ट्रपति से हम चाहेंगे कि उन्हें मरणोपरान्त भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए क्योंकि भारत-पाकिस्तान के युद्ध के दौरान उन्होंने जो योगदान दिया है, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है।

बाबू जगजीवन राम जी एक व्यवहार कुशल व्यक्ति थे, बड़े मधुर व्यक्ति थे। पिछले 15 सालों से मेरा सम्बन्ध उनके साथ निकट से रहा है। मैंने देखा कि जितना व्यवहारिक और कुशल व्यक्तित्व बाबू जगजीवन राम जी का था, ऐसा व्यक्तित्व बिरले लोगों में ही पाया जाता है। कुछ भगवान की भी उनके ऊपर देन थी। भाषण पर उनका इतना नियंत्रण था कि जब वह बोलने लगते थे, तो ऐसा लगता था कि सरस्वती उनकी जिह्वा से बह रही हो ।

बाबू जगजीवन राम जी आज हमारे बीच नहीं हैं। धीरे-धीरे उस पीढ़ी के लोग हमारे बीच से उठते जा रहे हैं, उनकी रिक्तता को हम आसानी से पूरा नहीं कर पायेंगे । माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने शोक-संवेदना के जो भाव व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध

करता हूं और साथ ही आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे ये शोक-सम्वेदना के भाव उनके शोक-संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें ।

*श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, जिस व्यक्ति ने अपने त्याग-मय, संघर्षशील और जुझारू जीवन से देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी, स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी आज हमारे बीच से उठ गये हैं। उनके उठ जाने से जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति कर पाना कोई सरल कार्य नहीं है। बाबू जगजीवन राम जी मात्र एक व्यक्ति नहीं थे, अगर समूचे जीवन का विहंगावलोकन किया जाय तो बाबू जी एक संस्था बन गये थे और एक व्यक्ति के स्थान पर एक शक्ति बन गये थे। उन्होंने देश की सेवा में और राष्ट्र की सेवा में विभिन्न पदों पर रहकर जिस कुशलता का परिचय दिया वह चिरस्मरणीय रहेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ी विषम परिस्थितियों में पैदा हुआ हो, सामाजिक गैर बराबरी की विकृति का शिकार रहा हो, ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाने के बाद भी अपने मन में कभी कोई निषेधात्मक प्रतिक्रिया का भाव नहीं जगने दिया । सब प्रकार की विकृतियों का विसंगतियों का शिकार होने के बाद भी उन्होंने इस समाज को न फटने दिया न कटने दिया और न बिखरने दिया, यह उनके व्यक्तित्व की महानता थी ।

मैं समझता हूं कि आज उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आज भी देश में जो राजनीतिक आतंकवाद और राजनीतिक अराजकता व्याप्त है, गैर बराबरी की विकृति और विसंगति व्याप्त है, आज भी जो पसीने का शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, आर्थिक विषमता व्याप्त है, उन सबके खिलाफ समूचा समाज, समूचा देश एक संघर्ष छेड़े क्योंकि उन्होंने जीवन भर इन्हीं प्रमुख मुद्दों को लेकर संघर्ष किया ।

बाबू जी का व्यक्तित्व इतना विस्तृत और विशाल था कि अगर उनको एक वर्ग विशेष का नेता कहेंगे, तो यह उनके उस व्यक्तित्व को समाप्त करना होगा, उनके प्रति अन्याय होगा, वे पूरे राष्ट्र के पूरे देश के नेता थे । यह अवश्य है कि उन्होंने सदैव दलितों, पीड़ितों, शोषितों, उपेक्षितों, और पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ी और आज ऐसा लगता है कि जितने भी उपेक्षित, पीड़ित, दलित वर्ग हैं उनका स्वयं का एक जीता-जागता मसीहा उनके बीच से उठ गया है । हम अगर किसी भी महापुरुष के प्रति शाब्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करके सन्तुष्ट हो जांय तो यह पर्याप्त नहीं है । उन्होंने जिन मूल्यों के लिये लड़ाई लड़ी है, उसपर अगर हम दो कदम भी चल सकें, समाज से राजनीतिक अराजकता और आतंकवाद का भाव मिटा सके, तो यह उस महापुरुष के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी । देश उनका सदैव ऋणी रहेगा क्योंकि उनके नेतृत्व में देश का सम्मान सुरक्षित हुआ था । रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने भारत की सुरक्षा की थी और उसकी कीर्ति में चार चांद लगाये थे ।

एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व आज हमारे बीच से उठ गया है, पूरे देश इससे दुखी है । मैं अपने दल को उन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं जो माननीय नेता, विरोधी दल और माननीय नेता, जनता पार्टी ने व्यक्त की हैं। अपनी ओर से और अपने दल की ओर से मैं उनके प्रति श्रध्दांजलि अर्पित करता हूं और राष्टपति जी से यह अनुरोध करता हूं कि जो भी उनकी उपलब्धियां और कृतियां रहीं, त्याग रहा, उनके जीवन में अगर "भारत रत्न" की उपाधि किसी कारणवश नहीं दी जा सकी है तो मरणोपरान्त "भारत रत्न" की उपाधि उनको अवश्य दी जानी चाहिये। यह बहुत छोटी सी कृतज्ञता होगी उस महापुरुष के चरणों में ।

इन्हीं शब्दों के साथ आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, बाबू जगजीवन राम जी एक महान व्यक्ति, तीव्र बुद्धि वाले, कर्मठ राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक थे । उनके निधन से मुझे और हमारे दल को महान दुख हुआ है । उनके बारे में जो विचार माननीय नेता सदन ने, माननीय नेता विरोधी दल ने तथा अन्य पार्टियों के नेताओं ने व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक आप पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, हिन्दुस्तान के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में 50 वर्षों तक निरन्तर प्रकाश डालने के बाद 6 जुलाई को बाबू जगजीवन राम जी का स्वर्गवास हो गया। उनका भौतिक शरीर हमारे बीच से चला गया लेकिन उनका कृतित्व और हमारे राजनैतिक और सामाजिक जीवन में उनके व्यक्तित्व की छाप जो वे छोड़ गए हैं वह हमेशा बनी रहेगी । इसमें कोई संदेह नहीं है ।

मान्यवर, अपने देश में विद्वान बहुत हैं, आगे भी होंगे और आज भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर विद्वान व्यक्ति अपनी योग्यता को सिद्ध ही करे। योग्य व्यक्ति अपने देश में बहुत होंगे लेकिन जरूरी नहीं है कि योग्यतम व्यक्ति भी कुशलता के साथ प्रशासन कर सके । लेकिन बाबू जगजीवन राम का ऐसा कृतित्व था जिसमें उन्होंने विद्वता के साथ योग्यता के साथ, बड़े कौशल से कुशल प्रशासन किया । इन तीन गुणों की त्रिवेणी एक साथ उनकी योग्यता में सम्मिलित थी । ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच से उठ गया है ।

मान्यवर, बाबू जगजीवन राम जी जीवन पर्यन्त दलितों को ऊपर उठाने के संघर्ष में सतत प्रयत्नशील रहे । सामाजिक जीवन से असमानता को दूर करने के लिए वे कटिबद्ध थे । वे एक व्यवस्था के आलोचक थे । समाज में जो अव्यवस्था थी उसे वे दूर करना चाहते थे, वे किसी समूह विशेष के प्रति अपने मन में कटुता नहीं रखते थे । इस सन्दर्भ में मुझे याद है कि अपने देश में आरक्षण की समस्या को लेकर जब जबरदस्त आन्दोलन चल रहा था तो उस समय मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने केवल एक ही बात कही कि आरक्षण की समस्या आज ही समाप्त हो जाय यदि हिन्दुस्तान के हर बच्चे को चाहे वह ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे ठाकुर का बच्चा हो, चाहे नीच कुल का बच्चा हो,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहे ऊंचे कुल का बच्चा हो हर बच्चे को समान शिक्षा और एक सा भोजन मिले । यह उनका सच्चापन था । किसी समूह विशेष के प्रति उनके मन में कोई कटुता नहीं थी, वह केवल एक व्यवस्था के आलोचक थे । ऐसा महान व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया ।

विश्व शान्ति के बारे में उनके मन में जो बात थी वह यह कि केवल शस्त्र ही दोषी नहीं हैं । अस्त्र, शस्त्र और भूख यह तीन चीजें विश्व शान्ति के लिए सबसे बड़ी संकट बन सकती हैं और बनी रहेंगी, यह उनके विचार थे ।

मान्यवर, विद्याध्ययन के मार्ग में, ज्ञानार्जन के मार्ग में उनको कितना उत्पीड़न सहन करना पड़ा, अपने जीवन में उनको निरन्तर संघर्ष करना पड़ा और संकट सहना पड़ा । लेकिन उन्होंने जबरदस्त उत्पीडन सहन करने के बाद भी ज्ञानार्जन किया और कुशल प्रशासक बने, ऐसी मिसाल इतिहास में मुश्किल से मिलेगी । संघर्ष की कसौटी पर कस कर वे किस प्रकार से कुन्दन बन कर निकले और मनीषियों जैसी ऊंचाई पर पहुंच कर उन्होंने देश की सेवा की। एसा महान व्यक्ति आज हम लोगों के बीच से उठ गया। उनके चले जाने से जो हमारे देश को क्षति हुई है उसका पूरा होना असम्भव नहीं तो कठिन तो जरूर है ।

मान्यवर, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने और अन्य पार्टियों के नेताओं ने उनके प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उनको मरणोपरान्त ही "भारत रत्न" की उपाधि मिलनी चाहिए, इससे मैं भी सहमत हूं, लेकिन उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यह भी होगी कि दिल्ली में जहां देश और विदेश के लोग आते और जाते रहते हैं, वहां उनकी एक छोटी सी समाधि का निर्माण अवश्य होना चाहिए, यह छोटी सी श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति और इसे शासन को, सरकार को और राष्ट्रपति महोदय को स्वीकार करना चाहिए ।

बाबू जी के संबंध में जो विचार माननीय नेता सदन ने, माननीय नेता विरोधी दल ने तथा अन्य पार्टियों के नेताओं ने व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को संबद्ध करता हूं । मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनको श्रदधांजलि अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, बाबू जगजीवन राम हम लोगों के बीच नहीं रहे । वे हमारे बीच उन महान नेताओं में से थे जो देश की आजादी के लिए लड़े और बहुत बड़ी कुर्बानी की। बाबू जगजीवन राम जी बाबू जी के नाम से जाने जाते थे । इस नाम से वह लोकप्रिय थे । महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई के अगुवा व नेता के रूप में थे और उन्होंने उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । आजादी की लड़ाई कामयाब हो गई, तो पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में देश के निर्माण में योगदान किया, भले ही वह ऐसी नीति पर चल रहे थे जो शोषित व पीड़ित जनता के लिए बहुत ज्यादा लाभकर नहीं थी, लेकिन जो कुछ किया उससे देश की शोषित और पीड़ित जनता और जो गिरे हुए लोग थे, उनको बहुत लाभ हुआ है। बाबू जी ने अपने जीवन काल में जो देश के निर्माण में योगदान दिया और समाज के उत्थान के लिए जो योगदान दिया, वह सराहनीय है । वह जिस शासन में शरीक हुए, चाहे वह कांग्रेस का रहा हो या

जनता पार्टी का रहा हो उन्होंने उच्च पदों पर रहकर बहुत गौरवपूर्ण भूमिका निभाई है और वे कुशल प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं ।

आज हम लोगों के बीच में वह नहीं हैं और उनके निधन से जो क्षति हुई है, वह पूरी नहीं की जा सकती है । मुझे कहना पड़ रहा है कि बाबू जी के मरने के बाद उनकी बहुत बड़े शब्दों में तारीफ की गई, लेकिन उनकी समाधि जहां होनी चाहिए थी, वहां नहीं हो पाई है । आज भी समय है, राष्ट्र और उसके कर्णधार इस पर पुनर्विचार करें और उनकी समाधि उन राजनेताओं की कतार में बनाई जाए, जिनकी जहां राजघाट में बनाई गई हैं । यह उनके लिए सम्मानजनक बात होगी और हमारे देश की जनता इससे बहुत प्रभावित होगी और प्रफुल्लित होगी कि एक महान नेता को सरकार ने आदर दिया है ।

मुझे कहना पड़ता है कि बाबू जी ने जो देश की सेवा की है उसके लिए उनके मरने के उपरान्त उनके लिए कोई न कोई उपाधि दी जाए, यह बहुत ही अच्छा सुझाव है । इन शब्दों के साथ माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय विरोधी दल के नेताओं ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और इन शब्दों के साथ बाबू जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी शोक संवेदनायें भेजने का कष्ट करें ।

*श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, आज सारा सदन और सारा देश बाबू जी के निधन से चिन्तित है और दुखी है । एक साधारण परिवार में जन्म लेकर जिस प्रकार से अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा और अपनी कार्य कुशलता तथा संघर्षशीलता के आधार पर उप प्रधान मंत्री के पद तक पहुंचने का काम किया, वह इस देश के करोड़ों युवकों के लिए प्रेरणा की चीज है । युवावस्था में जिस तरह से महात्मा गांधी के समकक्ष आकर राष्ट्रीय धारा से जुड़े और स्वाधीनता के संग्राम में अभूतपूर्व भूमिका का निर्वाह किया और उसके बाद जिस तरह से राजनीति में रहकर समाज के मूल्यों और आदर्शों के लिए निरन्तर संघर्षशील रहे और चिन्तित रहे इसी तरह से उनका अपने जीवन में आचरण भी करते रहे । यह देश के लिए बहुत ही अच्छी बात रही है और आज हम सब उनके लिए चिंतित हैं । उन्होंने विभिन्न पदों पर रहकर, चाहे खाद्य मंत्री के रूप में हों, परिवहन मंत्री के रूप में हों और चाहे रक्षा मंत्री के रूप में हो जिस प्रकार से प्रशासन को सही ढंग से चलाने का काम किया आज जो प्रशासन में बैठे हुए हैं उनके लिए यह सोचने की समझने की और विचार करने की बात है ।

विशेष रूप से उनके मन में इस देश की जो सामाजिक और राजनैतिक स्थिति है इन दोनों स्थितियों से वे बहुत दुखी रहा करते थे । यही नहीं, उनके मन में इस देश में जो सामाजिक और आर्थिक विषमता की खायी है, उसको पाटने के लिये भी वे निरन्तर संघर्षशील रहे । कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि समय-समय पर वे किसी वर्ग विशेष के विरोधी भी रहे । जिस समय वे वाराणसी में सम्पूर्णानन्द जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिये आये थे तो उस समय कुछ लोगों ने उस मूर्ति को गंगा जल से धोने का काम किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी धारणायें हैं जिनसे हमको लड़ाई लडनी होगी, संघर्ष करना होगा । हम चाहते हैं कि हमारा समाज स्वस्थ बने और हमारे लोग सुखी और सम्पन्न रूप से रह सकें, इसलिये ऐसी स्थिति तो आयेगी ही । यह बात ऐसी रही है कि जिसके आधार पर एक उत्तेजना का वातावरण बनना चाहिए था, वह नहीं बना और यह देश के लिये अच्छा भी है ।

बाबू जगजीवन राम ने जो कार्य किये वे आज भी स्मरणीय हैं। वे विश्व की विभूतियों में से एक हैं और जिनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाला है । हमारी धारणा है कि जो सम्मान उनको मरणोपरान्त मिलना चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला । अगर यह सरकार और दूसरे लोग सोचते हैं कि उनको वह सम्मान नहीं मिला तो हमारा पहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि राजघाट में जहां पर महान विभूतियों की समाधि बनी हुई है वहीं पर उन्हें भी स्थान दिया जाता । हमें आज भी विश्वास है कि **सरकार इस विषय में सोचेगी और उन्हें** एक महान राष्ट्रीय विभूति का स्थान दिया जायेगा । एक साधारण परिवार में जन्म लेकर एक गौरवपूर्ण स्थान उन्होंने प्राप्त किया, इसके नाते उनको यह स्थान मिलना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से और अपनी समस्त पार्टी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी इन भावनाओं को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें और जहां पर हमारे राष्ट्र की अन्य महान विभूतियों की समाधि है, वहीं पर इनको भी रखा जाय ।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, बाबू जगजीवन राम नहीं रहे । जिस समय हम लोगों ने यह समाचार सुना, उस समय ऐसा लगा कि एक युग समाप्त हो गया । दीन दुखियों की आवाज विलुप्त हो गई । स्वाधीनता संग्राम के दौरान उनका योगदान जहां भुलाया नहीं जा सकता, वहीं पर आजादी के बाद वह इतिहास की एक कड़ी के रूप में जाने जायेंगे दीन दुखियों के प्रति जहां उनके दिल में एक टीस थी वहीं पर राष्ट्रीय एकता और उसकी अखण्डता को भी उन्होंने सर्वोपरि माना । अपने मरने के एक दिन पहले जन्म-दिवस के अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना व्यक्त की थी यह उनको एक ज्वलन्त मिशाल है । जिन-जिन पदों पर वे रहे, जिस दूरदर्शिता का परिचय उन्होंने दिया वह बेजोड़ माना जायेगा । उस प्रतिभा के न रहने से हम सभी को दुख है । उस प्रतिभा के निधन पर जो संवेदना के स्वर माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने निर्वाचन विधायक समुदाय का सम्बद्ध करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप हमारी इन संवेदनाओं को उनके शोक-संतप्त परिवार तक तथा उनके शोकाकुल शुभचिन्तकों तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री फखरुल बारी–

मान्यवर, बाबू जगजीवन राम के इन्तकाल से आज मुल्क में एक कमी महसूस हो रही है । अभी जिन नेताओं ने अपने ख्याल जाहिर करते हुये यह बात

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कही कि यह बाबू जगजीवन राम के साथ नाइन्साफी होगी यदि उन्हें एक वर्ग विशेष का नेता कहा जाय । वे राष्ट्र के नेता थे, यह बात सही है । राष्ट्र के निर्माण और तामीर में वे हमेशा लगे रहे। उन्होंने देखा कि यह राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता, तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि यहां पर बसने वाले करोड़ों-करोड़ों इन्सान इन्सानियत की सतह से नीचे की जिन्दगी गुजार रहे हैं ।

इन्सान होते हुये उनको जानवर बनाये रखा जा रहा है तो जब तक ऐसा होता रहेगा देश यकीनन तरक्की नहीं कर सकता है । इसलिये बाबू जी अपनी पूरी जिन्दगी भर उन दबे और कुचले जाने वाले तबकों को ऊपर उठाने के लिये काम करते रहे । वह सही मानों में राष्ट्र नेता थे क्योंकि उन्होंने सही मानों में राष्ट्र का निर्माण का काम किया। बाबू जगजीवन राम जी के साथ जो सबसे बड़ी नाइन्साफी हुई है वह यह है कि उनको जो भावनायें थी उनको सिर्फ इलैक्शन का मुद्दा बनाया गया और उसे अमलीजामा पहनाने की कोशिश नहीं की गयी ।

मैं गुजारिश करूंगा उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यह होगी कि यह सदन यह प्रस्ताव पास करे कि देश के उन करोड़ों इंसानों को जो भूखे नंगे झोपड़ियों में रहते हैं, उनको ऊपर उठाना है । वह करोड़ों इंसान जो इस तबके के हैं उनको ऊपर उठाने के लिये यह जिंदगी भर संघर्ष करते रहे उसे पूरा करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है । इन अलफाज के साथ मैं नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनके साथ अपने को संबदध करता हूं और आपसे गुजारिश करूंगा कि उनकी भावनाओं को केवल उनके खानदान तक नहीं उन तमाम लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें जो सामाजिक न्याय से महरूम हैं।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, बाबू जगजीवन राम जी के निधन से इस देश ने एक महान राष्ट्र नेता और एक विद्वान को खो दिया है । जैसा मा0 नेता सदन, मा0 नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने कहा कि उनकी क्षति-पूर्ति आसानी से नहीं की जा सकती है । मान्यवर, राष्ट्रपिता गांधी और नेहरू जी के साथ उन्होंने देश की आजादी के लिये संघर्ष किया और जिस तरह से कुर्बानियां दीं और आजादी के बाद जिस तरह से राष्ट्र निर्माण में हिस्सा लिया वह देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। उनका पार्थिव शरीर अब नहीं रहा और उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने हेतु उनकी समाधि राजघाट या शांतिवन में अवश्य स्थापित की जानी चाहिए और जैसा माननीय नेता सी0जे0पी0 ने कहा कि उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया जाना चाहिये जिससे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेगी जो हमारा फर्ज है । यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं ।

मान्यवर, वह इस देश की करोड़ों-करोड़ शोषित और पीड़ित जनता की आकांक्षाओं के प्रतीक थे और उनके निधन से निश्चितरूप से एक अपूरणीय क्षति हुई है । इस देश से जब तक करोड़ों इंसानों और नौजवानों का शोषण समाप्त नहीं होता, इस देश के नौजवानों की जब तक तरक्की नहीं होती तब तक बाबू जगजीवनराम जी का स्वप्न पूरा नहीं होता है। उनके आदर्शों पर चलने के लिये इस देश के करोड़ों इंसान और नौजवान प्रति-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बद्ध हैं । मैं आग्रह करूंगा कि हमारे दल अखिल भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से हार्दिक श्रदधांजलि उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें और जो भावनायें माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को संबद्ध करता हूं और उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

बाबू जगजीवन राम जी एक व्यक्ति ही नहीं थे एक संस्था थे और पहली पार्लियामेंट से लगातार उसके सदस्य रहे । मैं समझता हूं कि ऐसी मिसाल कम होगी। वह वर्षों मंत्री रहे, उप प्रधान मंत्री रहे, गरीबों और हरिजनों के मसीहा रहे और डाक्टर अम्बेदकर के बाद निगाहें उन्हीं पर जाती हैं ।

इन शब्दों के साथ मै अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से श्रद्धांजलि और सम्वेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक अवश्य पहुंचाऊंगा ।

अब मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि दो मिनट मौन खड़े होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(सभी सदस्य अपने स्थान पर 2 मिनट मौन खड़े हुए।)

भूतपूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल अरुण श्रीधर वैद्य के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, जनरल अरुण श्रीधर वैद्य भारतीय सेना के एक सेवा निवृत्त सेना अध्यक्ष थे । इस वर्ष गत् 31 जनवरी को वह 41 वर्ष की उल्लेखनीय सेवा के बाद सेवा निवृत्त हुये थे । उनका जन्म 27 जनवरी, 1926 को बम्बई में हुआ था। उन्हें 20 जनवरी, 1945 को भारतीय सेना की बख्तर बन्द कोर में रखा गया और उसके बाद 1945 में ही उन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला और उसके बाद उन्होंने भारतीय सेना में एक बहादुर सैनिक के रूप में विशेष ख्याति अर्जित की । जनरल वैद्य ने 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में जिस तरह से कार्य किया और जो सफलता हासिल की उसके लिये देश को उन पर बड़ा गर्व होता है । उन्होंने देश के लिये जरूरत के समय आने को न्योछावर कर रखा था और उनका कहना था कि हर सेना के जवान का कर्तव्य है कि देश की रक्षा के लिये अपने को समर्पित कर दे और यह भावना और विचार उनमें था ।यही कारण है कि सेवानिवृत्ति के बावजूद उनकी कुछ आतंकवादियों ने जघन्य हत्या की। इसलिये उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जिस तरह से वह देश की एकता और अखंडता चाहते थे, उसी तरह से हमारा देश मजबूत हो और देश की एकता और अखंडता को बनाये रखें, यह सब काम हम करना चाहते हैं तो सही मानें में उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी ।

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी तरफ से और मेरे दल एवं सदन की तरफ से श्रदधांजलि और सम्वेदनायें जनरल वैद्य के शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, भारतीय सेना के गौरव जनरल वैद्य की नृशंस हत्या से सारा देश शोक में डूबा । जनरल वैद्य ने अपने जीवन में सेना में शानदार भूमिका अदा की जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । जहां एक तरफ इस बलिदान ने सारे देश को असीम शोक में डुबो दिया वहीं दूसरी तरफ इस देश के अतिविशिष्ट, गौरवशाली और उच्च समझे जाने वाले व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा पर प्रश्न-चिन्ह लग गया है । मान्यवर, जनरल वैद्य ने इस देश की एकता और अखंडता को मज़बूत बनाये रखने के लिये अपने को बलिदान कर दिया है । ऐसे वीर पुरूष के लिए मैं नतमस्तक होता हूं और अपने दल और अपने सभी साथियों की तरफ से आप से प्रार्थना करता हूं कि आप उनके परिवार तक हमारी संवेदना भेजने की कृपा करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जनरल श्रीधर वैद्य आज हमारे बीच में नहीं हैं । जनरल वैद्य भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष रहे और उसके पहले उनको जो विशिष्ट पदक मिले, वह इस बात के सुबूत हैं कि उनके ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हमारी सेना में कम ही रहे होंगे । उन्हें पहली बार 1965 में 'महावीर-चक्र' मिला । दूसरी बार, ब्रिगेडियर के रूप में लड़ते हुए उन्हें 'महावीर-चक्र' प्रदान किया गया उनकी बीरता और कौशल के लिए, और तीसरी बार भी उनको परम विशिष्ट पदक प्रदान किया गया । यह गौरव कम ही लोगों को सेना में प्राप्त है । मान्यवर, आपरेशन ब्लू स्टार में भी जनरल वैद्य थे और तभी से आतंकवादियों ने उनको चेतावनी दे रखी थी कि वह उनकी हत्या करेंगे । हमें अफसोस है कि भारत सरकार ऐसे वीर व्यक्ति की, जिसने अपना पूरा जीवन ही इस देश के लिए अर्पण कर रखा था, रक्षा नहीं कर पाई, और केवल एक शैडो ही उनको दिया गया था। हम अगर उनकी समुचित सुरक्षा व्यवस्था कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति को हम इस जघन्य हत्या से बचा सकते थे, लेकिन आज वह हमारे बीच में नहीं हैं ।

ऐसे व्यक्ति के प्रति मैं और मेरा दल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जैसी भावना नेता सदन और नेता विरोधी दल ने व्यक्त की है, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, स्वर्गीय जनरल ए0 एस0 वैद्य उस आतंकवादी साजिश के शिकार हुए, जिसको समाप्त करने के लिए अमृतसर में आपरेशन ब्लू स्टार जैसा कदम उठाना पड़ा था । आपरेशन ब्लू स्टार के पश्चात् से ही वह आतंकवादियों की हिट-लिस्ट में थे । आज यह अवसर कोई आलोचना का नहीं है, परन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा की और अधिक समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए थी । जनरल वैद्य की हत्या यह कोई मामूली हत्या का प्रश्न नहीं है, इसके पीछे जो बहुत गहरी चिन्ता का विषय छिपा है, वह यह है कि क्या देश के अन्दर इस राष्ट्र की एकता, अखंडता, आजादी और लोकतन्त्र को नष्ट-भ्रष्ट और ध्वस्त करने वाली शक्तियों को ऐसे ही चलने दिया जाएगा, या उनका मुकाबला करने के लिए समूचे राष्ट्र को, समस्त दलगत राजनैतिक पार्टियों को अपने दलगत राजनैतिक मतभेदों और दीवालों को ढ़हाकर देश की आजादी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सुरक्षा, अखंडता और एकता के लिए आगे आना होगा । राष्ट्र की एकता का प्रश्न राजनीतिक नारे का प्रश्न नहीं है; यह हमारी निष्ठा का प्रश्न है । आज हम देख रहे हैं कि देश के अंदर कुछ ताकतें आतंकवाद, हत्या और हिंसा का सहारा लेकर इस देश को तोड़ने की साजिश कर रही हैं । आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी राजनैतिक विचारधाराएं कुछ भी क्यों न हों, परन्तु राष्ट्रीय एकता का प्रश्न एसा है, जिस पर किसी का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, न हो सकता है । इसलिए राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर हम सभी अपने राजनैतिक मतभेदों को भुलाकर एकगुट और एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आगे आयें ।

लोकतंत्र में आतंकवाद, हत्या और हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता । जनरल वैद्य की हत्या हमारे लिये गहरी चिंता का विषय है कि जिस व्यक्ति ने आतंकवादियों के खिलाफ संघर्ष किया, आपरेशन ब्लू स्टार का निर्देशन किया उनका नाम हिट लिस्ट में रखकर आतंकवादियों ने उनके जीवन को समाप्त कर दिया यह घटना एसी घटना है जिससे समूचा राष्ट्र स्तब्ध है, दुखी है । यह एक एसी घटना है जो समूचे राष्ट्रवासियों को सचेत करती है इस बात के लिये कि देश को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ, देश की एकता और अखंडता को समाप्त करने वाली शक्तियों के खिलाफ हम सब एक जुट होकर आगे आयें । मैं समझता हूं कि जनरल वैद्य की शहादत के प्रति राष्ट्र की यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी । इन शब्दों के साथ माननीय नेतासदन, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता जनता पार्टी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनके साथ मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके शोकसंतप्त परिवार तक पंहुचाने की कृपा करें ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, जनरल वैद्य के निधन से राष्ट्र ने एक महान सेनानायक खो दिया है । अफसोस इस बात का है कि सरकार यह जानती थी कि आतंकवादियों की हिट लिस्ट में उनका नाम था । लेकिन उसके बावजूद भी एसे महान सपूत की सुरक्षा हमारी सरकार नहीं कर सकी । उनके बारे में जो विचार माननीय नेता सदन माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें ।

*श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, भूतपूर्व जनरल श्री अरूण श्रीधर वैद्य की हत्या ने एक बार फिर हमारी गुप्तचर एजेंसियों और सुरक्षा गार्डों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है । मान्यवर, सरकार का जो दोष है वह बात मैं नहीं कहता लेकिन यह सभी भारतीयों के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है कि हमारा इतना उच्चकोटि का जनरल इस प्रकार से आतंकवादियों का शिकार हुआ । जनरल वैद्य ने 31 जुलाई 83 को थल सेना अध्यक्ष के पद को संभाला और जिस प्रकार से ढ़ाई वर्षों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तक गौरव के साथ थल सेना अध्यक्ष के पद को संभाला वह एक इतिहास की चीज है । आतंकवाद से निपटने में उन्होंने धार्मिक स्थल की शुचिता, सेना का कर्तव्य और आतंकवादियों को बाहर निकालना, इन तीनों में जो सामंजस्य स्थापित किया वह मान्यवर, बड़ी ही सुखद बात थी और तीनों चीजों का सामंजस्य इतनी खूबी के साथ निभाया कि उसकी जितनी सराहना की जाय वह थोड़ी है । मान्यवर, जनरल श्री अरूण श्रीधर वैद्य के निधन के अवसर पर जो भावनायें माननीय नेता सदन और अन्य नेताओं ने व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी संवेदनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, हमारे देश के भतपूर्व थल सेनाध्यक्ष अरूण श्रीधर वैद्य की आतंकवादियों द्वारा हत्या एक बहुत ही शर्मनाक घटना हमारे देश के लिये है । यह घटना देशवासियों की आंखों को खोल देने वाली घटना है । यह इस बात को जाहिर करती है कि हमारे देश के अंदर विदेशी शक्तियां किस तरह से सक्रिय हैं । वह विदेशी शक्तियां साजिश कर रही हैं और आतंकवादियों, विघटनवादियों और सांप्रदायिक शक्तियों के साथ मिलकर देश के एकता, अखंडता को चुनौती दे रही हैं । जनरल वैद्य ने जिस तरह से ब्लू स्टार आपरेशन का संचालन किया, वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और उन्हीं के सफल संचालन का परिणाम रहा कि हमने आतंकवादियों को एक झटका दिया था। लेकिन खेद की बात है कि हमारी सरकार उससे सबक नहीं ले पाई और उनको जिस तरह से विदेशी ताकतें मदद दे रही थी . उसी तरह आंख मूंदे वह बैठे थे, जिसका नतीजा यह है कि हमारे देश में आज ऐसे महान लोगों पर हमले हो रहे हैं और उनको हिट लिस्ट में रखे हैं। जनरल वैद्य का नाम उस लिस्ट में था जिनको आतंकवादी अपना निशाना बनाये हुए थे और उनके पास तमाम धमकियों के पत्र आये, उसके बारे में सरकार को भी सूचना दी गयी थी। लेकिन उनकी रक्षा का उचित इन्तजाम नहीं हो सका, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमने एक ऐसे महान पुरुष को खो दिया, जिसने अपने देश में बहुत बडी भूमिका अदा की थी। इन शब्दों के साथ, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार को भेजने की कृपा करें।

*श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, जनरल वैद्य की हत्या जिस तरह से हुई वह इस देश के लिए बहुत ही चिन्ता का विषय है। इसलिए और भी चिन्ता का विषय है कि पिछले 28 वर्षों से निरंतर वह जिस तरह से सेना में रह कर और उच्च पद पर रह कर, हमारे देश के सरहद के मामले में उन्होंने दो बार युद्ध में सफलता प्राप्त करते हुए इस देश के गौरव को बढ़ाया । अपने साहस, अपने शौर्य के कारण ही उनमें यह युद्ध संबंधी कला थी, वह युद्ध के मामले में विशारद थे। वह उसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माहिर होने के नाते, परिणाम स्वरूप उन्हें महाबीर चक्र की उपाधि भी दी गयी। उन्हें अपनी इस कला के कारण उन्हें महाबीर चक्र की उपाधि से विभूषित किया गया। अधिकारियों ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को यह सूचना दी थी कि ब्लू स्टार को जिसने नेतृत्व दिया, उसका नाम हिट लिस्ट में है, रिटायर होने के बाद उसकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा होनी चाहिए थी। लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्र सरकार को सूचना देने के बाद भी केवल एक अंग रक्षक उनको दिया गया था। जिसने इस देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए निरंतर सेना नायक के रूप में कार्य करके देश में सफलता प्राप्त की थी, वही अराजकतावादी तत्वों के हाथ की गोलियों का शिकार बना। यह देश के लिए बहुत चिन्ता की बात है और शर्मनाक बात भी है। माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल एवं अन्य प्रतिपक्ष के माननीय नेताओं ने जो भावनाएं व्यक्त कीं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी श्रद्धांजलि शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से चाहता हूं कि आज देश के लोग इस पर गम्भीरता के साथ विचार करें। अगर ऐसे ही रहा, तो हमारा देश खतरे में पड़ता चला जायगा। इन शब्दों के साथ मैं स्वर्गीय जनरल वैद्य को पुन: श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जनरल अरुण श्रीधर वैद्य ने एक सैनिक के रूप में और थल सेनाध्यक्ष के रूप में जो राष्ट्र की सेवा की है और राष्ट्र के प्रति समर्पण का जो भाव दिखाया है, वह अविस्मणीय है। उनकी हत्या के बारे में जो माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को निर्दलीय विधायक के नाते सम्बद्ध करता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, जनरल वैद्य की हत्या के सिलसिले में जो ख्यालात माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधीदल और अन्य नेताओं ने सदन के सामने रखे हैं, मैं अपने को उनसे जोड़ता हुआ यह कहना चाहता हूं कि जनरल वैद्य का कत्ल देश की जम्हूरियत का कत्ल है देश की जम्हूरियत को बचाए रखने के लिए, एकता तथा अखंडता को बनाये रखने के लिए संजीदगी से गौर करना पड़ेगा, किस वजह से आतंकवाद पैदा हो रहा है पता लगाना पड़ेगा। जिसको आतंकवादी कहा जाता है, जिसने जनरल वैद्य का कत्ल किया, इसी आतंकवाद ने जिसने आजादी के लिए योगदान दिया था जनरल डायर और सांड्रस को कतल किया था आज वह फिर ऐसा क्यों कर रहा है यह एक अहम मुद्दा है। देश को खतरा पैदा हो गया है। यह कत्ल और दहशतगर्दी मर्ज की अलामत है। इसलिए जरूरत इस बात की है असल मर्ज का पता लगाया जाये; आज इस बात पर गौर करना है कि यह दहशतगर्दी जो गुण्डागर्दी का भयंकर रूप है इसको खत्म कैसे किया जाए। मैं इसको एक गम्भीर हादसा मानता हूं। मैं माननीय नेता के ख्यालात से और माननीय नेता विरोधी दल के ख्यालात से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने को जोड़ते हुए यह गुजारिश करता हूं कि हमारी सम्वेदनायें उस खानदान तक पहुंचाने की कृपा करें जो गम में डूबा हुआ है।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, जिस समय जनरल वैद्य की हत्या का समाचार प्रकाशित हुआ उस समय सारा देश स्तब्ध रह गया, जैसा कि श्रीमती गांधी की हत्या के समय हुआ था। मान्यवर, आतंकवाद के हाथों इस देश में यह तीसरी निर्मम हत्या है। मान्यवर, इससे सबक लेना चाहिए। मान्यवर, मैं जनरल वैद्य को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और इन्दिरा गांधी के पश्चात् तीसरा शहीद मानता हूं, जिन्होंने देश की अखंडता और एकता बनाए रखने के लिए सर्वोच्च योगदान दिया। मान्यवर, राष्ट्रपिता गांधी के बारे में यह कहना है कि उनकी निर्मम हत्या इसलिए की गयी कि वह देश को टूटने से, अखंडित होने से बचा नहीं सके, लेकिन श्रीमती गांधी और जनरल वैद्य की हत्या इसलिए की गई कि वह देश को खंडित नहीं होने देना चाहते थे। मान्यवर, इनकी हत्या, श्रीमती गांधी की हत्या और सन्त लोंगोवाल की हत्या, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा सबक है। मैं गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं इस सदन से, इस प्रदेश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि हमारे देश को दुश्मनी ताकतें हर मार्ग में बाधा पहुंचाना चाहती हैं वह हमारे देश की एकता और आजादी को नष्ट करना चाहती हैं। इससे हमें सबक लेना चाहिए। हम ऐसा संकल्प करें ऐसी सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करें जिससे आतंकवाद के अधीन जो ताकतें हैं उनसे देश के अनन्य सपूतों को बचा सकें, जो देश की रक्षा कर रहे हैं। देश के कल्याण में लगे हुए हैं। अगर मान्यवर, सुरक्षा व्यवस्था में ढील देंगे, तो पता नहीं यह किस हद तक पहुंचेंगे और हमारी एकता और आजादी खण्डित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, जो विचार माननीय नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए, जनरल वैद्य को महान सैनिक मानते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

जनरल वैद्य की हत्या हम लोगों के लिए सबक है, जो जनरल वैद्य किसी लड़ाई में गोली से शहीद न किए गए हों वह जनरल वैद्य आतंकवादी की गोली से शहीद हो गये। यह चिन्ता का विषय है। वह 41 वर्ष तक फौज में रहे और जो फौज का मुख्य अध्याय है हुकूमतों और आदेशों का पालन करना उसी को पालन करने में वह मारे गये। मैं आप सबकी भावनाओं और सम्वेदनाओं, जो आपने व्यक्त की हैं तथा अपनी भावनाओं और सम्वेदनाओं को उनके परिवार तक भेज दूंगा। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब दो मिनट मौन खड़े होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य अपने स्थान पर 2 मिनट मौन खड़े हुये।)

एवरेस्ट विजेता तेंजिंग नोर्गे के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, श्री तेंजिंग नोर्गे का निधन दिनांक 9 मई, 1986 को प्रातः हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया । वह 72 वर्ष के थे । श्री तेंजिंग नोर्गे का जन्म वर्ष 1914 को नेपाल के एक साधारण शेरपा परिवार में हुआ था । मान्यवर, श्री तेंजिंग नोर्गे की यह इच्छा थी कि वह किसी न किसी तरह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे, उसके लिए अपने जीवन में उन्होंने अथक प्रयास किया और मान्यवर, उनके प्रयास का यह परिणाम रहा कि 29 मई, 1953 को सर एडमंड हिलेरी के साथ एक चुनौती भरी एवरेस्ट की चोटी पर विजय पाई । मान्यवर, जो उनका ख्याल था, जिस तरह से वह चाहते थे, उन्होंने अपने जीवन में उसे पूरा कर लिया । एक कुशल पर्वतारोही के रूप में जिस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी विजय प्राप्त की, वह दुनिया के लिए गौरव की बात है । मान्यवर, उनकी सफलता के लिए उन्हें पद्म भूषण एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया और वह देश के लिए ही नहीं संसार के लिए महान व्यक्ति बन गये। मान्यवर, इस महान व्यक्ति के निधन हो जाने से बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। आप से मेरा अनुरोध है कि मेरा, मेरी पार्टी की ओर से तथा इस सदन की संवेदना श्री तेंजिंग नोर्गे के शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, श्री तेंजिंग नोर्गे के निधन से हम सब लोग दुखी है । श्री तेंजिंग नोर्गे ने अपने बचपन में जो ख्वाब देखे थे, यह संकल्प किया था कि विश्व की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को फतह करूंगा और उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया । श्री नोर्गे केवल हिन्दुस्तान के ही नहीं सारी दुनियां के गौरव थे । उनके निधन से हम सब लोग दुःखी हैं । मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे दल की ओर से उनके परिवार तक संवेदना भेजने की कृपा करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, श्री तेंजिंग नोर्गे आज हमारे बीच में नहीं हैं । पर्वतारोहियों के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट स्थान उन्होंने प्राप्त किया वह कम ही लोगों को प्राप्त होता है । 29 मई, 1953 को जब पहली बार सर एडमंड हिलेरी के साथ, जो न्यूजीलैंड के भारत में राजदूत हैं, उन्होंने भारत का तिरंगा झंडा एवरेस्ट की चोटी पर गाड़ा था जिससे पूरे भारत में एक गर्व की लहर दौड़ गयी थी । इस व्यक्ति के प्रति न केवल भारत में सम्मान था बल्कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने, नेपाल के महाराजा ने भी उनको सम्मान और पदक से विभूषित किया । वह आने वाले दिनों में हमारे नौजवान पर्वतारोहियों के लिए प्रेरणा के श्रोत रहेंगे । इस देश के लिए जो उन्होंने गौरव प्रदान किया है उसके प्रति हम सभी लोग हमेशा उनको आदर से देखते रहेंगे । ऐसे व्यक्ति के प्रति जैसा माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल ने संवेदना व्यक्त किया है मैं भी और हमारा दल भी उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता है । कृपया हमारी संवेदनाएं उनके शोक सन्तप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें ।

*श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, श्री तेंजिंग नोर्गे के साहसी कदम ने यह सिद्ध कर दिया है कि संकल्प के सामने हिमालय की ऊंचाई भी

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

छोटी पड़ती है, जिसका ज्वलन्त उदाहरण हिमालय की एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंच कर न केवल स्वयं के लिए उन्होंने ख्याति प्राप्त की अपितु उसी ऊंचाई पर पूरे देश ने ख्याति प्राप्त की। उनके निधन के संबंध में जो विचार माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल तथा माननीय नेता जनता पार्टी ने व्यक्त किये हैं। उनके साथ मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारी शोक संवेदनाएं उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह

माननीय, श्री तेंजिंग नोर्गे के निधन से सभी लोगों को बहुत दुःख हुआ है। उनके बारे में जो विचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदनाएं उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, श्री तेंजिंग नोर्गे अपने देश के गौरव थे। उनके निधन पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राजकिशोर सिंह–

मान्यवर, श्री तेंजिंग नोर्गे भारत के गौरव थे और इन्होंने भारत का नाम दुनिया में ऊंचा किया था। वे प्रथम आरोहक थे जिन्होंने हिमालय की चोटी पर पहुंच कर झंडा गाड़ा था। इनके निधन से हम लोगों को बहुत दुःख हुआ है और जो विचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य विरोधी दल के नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को आबद्ध करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राम नरेश यादव–

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और विपक्ष के नेताओं ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, उन्होंने जो एक निश्चित संकल्प किया था विश्व के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का उसको उन्होंने पूरा किया और इससे उन्होंने इस देश के गौरव को बढ़ाया। उनका नाम इस देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा। हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और चाहते हैं कि उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी संवेदनाएं प्रेषित कर दी जायं।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, श्री तेंजिंग नोर्गे के निधन पर जो उद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और निर्दलीय विधायक समुदाय को सम्बद्ध करते हुए निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदनाएं तथा श्रद्धा के पुष्प उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री देव कुमार यादव–

श्री तेंजिंग नोर्गे एक ऐसे अभियान पर गये थे जिसमें सफलता कम, असफलता और मृत्यु निश्चित थी। सफ-

लता संयोग की बात थी । जब प्रेस के लोगों ने हिलेरी साहब से पूछा कि जिसमें सफलता का निश्चय ही नहीं है बल्कि असफलता और मृत्यु का निश्चय है तब आपने ऐसा निश्चय क्यों किया तो उन्होंने जवाब में एक वाक्य कहा था कि हम यह यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां यह न कह सकें कि हमारे पूर्वजों ने वहां जाने का साहस नहीं किया था। मान्यवर, उनके शब्द न केवल पर्वत पर चढ़ने वालों के लिये है बल्कि जिन्दगी में हर जोखिम काम करने वालों को उनके ये शब्द प्रेरणा देते रहेंगे । मान्यवर, यह साहस के मूर्तिमान प्रतीक थे । उनके साहस की कहानी इस देश के ही नहीं बल्कि दुनियां के तमाम जोखिम भरे काम करने वालों को प्रेरणा देगी । हमारी और हमारे दल की संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री तेंजिंग नोर्गे बर्फ के शेर कहे जाते थे । उनका सपना था कि एक दिन एवरेस्ट की चोटी पर भारत का झण्डा लहरायेगा । उन्होंने अपने जीवन में एडमण्ड हिलेरी के साथ एक दिन भारत का झण्डा एवरेस्ट पर लहरा दिया। जिस समय वह चोटी पर चढ़े थे कुछ दिनों तक सड़कों पर रास्तों पर देहातों में उनकी चर्चा रहती थी । आज वह हमारे बीच में नहीं रहे । मैं समझता हूं कि उनकी जिन्दगी से हम सबको प्रेरणा मिलेगी और खासकर युवा वर्ग को । मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(सभी सदस्य अपने स्थान पर 2 मिनट मौन खड़े हुये ।)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, सर्वश्री राम सिंह खन्ना, हरिहर नाथ अग्रवाल, अनवार अहमद, नत्थू सिंह, टीकम सिंह, रियासत हुसैन, जगदीश प्रसाद तथा नौनिहाल सिंह के निधन पर शोकोद्गार।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, स्वर्गीय श्री राम सिंह खन्ना का निधन 27 जून, 1986 को बलरामपुर अस्पताल में हो गया । उन्होंने 1942 से लगातार समाज की सेवा का काम किया और विभिन्न संस्थाओं में रहकर पदाधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया । गांव में जाकर ग्रामीण जनों की सेवा की । विभिन्न स्थानों पर जाकर गरीबों की समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करने में समय लगाया । उनकी दुखद मृत्यु से इस प्रदेश और देश को काफी क्षति पहुंची है । इस सदन में वह 1969 में पहली बार भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर चुनकर आये । 1980 में कांग्रेस के टिकट पर इस सदन के सदस्य बने । चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमण्डल में, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के मंत्रिमण्डल में, श्री श्रीपति मिश्र के मंत्रिमण्डल में और श्री नारायण दत्त तिवारी के मंत्रिमण्डल में मंत्री के रूप में इस सदन की और प्रदेश की सेवा की । मान्यवर, उन्होंने जो इस प्रदेश की सेवा की, उसको हम भूल नहीं सकते हैं । मेरा अनुरोध है कि मेरी व मेरे दल की तथा इस सदन की संवेदना खन्ना जी के शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, श्री हरिहर नाथ अग्रवाल जी का निधन 29 मार्च, 1986 को हो गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह लगभग 65 वर्ष के थे । श्री अग्रवाल जी का जन्म 24 दिसम्बर, 1920 को जनपद आगरा में हुआ था । वे 1967 के सामान्य निर्वाचन में आगरा से कांग्रेस के टिकट पर विजयी हुए थे और इस सदन के सदस्य के रूप में उन्होंने सेवा की । मान्यवर, वह कई स्थानों पर सामाजिक संस्थाओं में और खास तौर से प्रकाशन के क्षेत्र में कार्यरत रहे । उन्होंने आगरा में जिस तरह से सेवा की है, उसको हम भुला नहीं सकते । आज उनके निधन से आगरा ही नहीं पूरे प्रदेश को क्षति पहुंची है। मेरा आप से अनुरोध है कि मेरी, मेरे दल की और सदन की संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री अनवार अहमद का निधन 13 जनवरी, 1986 को हो गया । वह 65 वर्ष के थे । श्री अनवार अहमद साहब का जन्म 25 अप्रैल, 1921 को जिला फर्रुखाबाद में हुआ था । उन्होंने काफी समय तक समाज की सेवा की। वर्ष 1977 के चुनाव में वे कमालगंज क्षेत्र से चुने गये थे और तब उन्होंने इस सदन के सदस्य के रूप में सेवा की । फर्रुखाबाद जिले में काफी संस्थाओं में रह करके उन्होंने समाज की सेवा की। उनके निधन से फर्रुखाबाद के साथ ही साथ देश और प्रदेश को काफी क्षति पहुंची है । मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी, मेरे दल की और इस सदन की संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री नत्थू सिंह का निधन 3 जून, 1986 को प्रातः 4 बजे बरेली में हो गया । वह 72 वर्ष के थे । श्री नत्थू सिंह का जन्म बरेली के एक ग्राम में वर्ष 1914 में एक कृषक परिवार में हुआ था । श्री नत्थू सिंह 1952 एवं 1957 के चुनावों में फरीदपुर, जिला बरेली से उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये कांग्रेस के टिकट से चुने गये थे । उन्होंने राजनीति में रहकर समाज की बहुत सेवा की और खास तौर से बहुत सी सामाजिक संस्थाओं में रह करके जनता का काम किया । उनके निधन से बरेली की ही नहीं पूरे देश और प्रदेश की क्षति हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी, मेरे दल की और सदन की संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री टीकम सिंह का निधन मान्यवर, 26 जुलाई, 1986 को हो गया। वह 75 वर्ष के थे। उनका जन्म 1911 में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एम0ए0, एल0एल0बी0 तक की शिक्षा ग्रहण की थी। वे 1967 में मथुरा के निर्वाचन क्षेत्र छाता से चुने गये और इस सदन के सदस्य के रूप में उन्होंने प्रदेश की बड़ी सेवा की । मान्यवर, आज उनके निधन से इस प्रदेश और मथुरा को जो क्षति पहुंची है उसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी, मेरे दल की और इस सदन की संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

स्वर्गीय श्री रियासत हुसैन का निधन 19 जून, 1986 को हो गया । वे 62 वर्ष के थे । श्री रियासत हुसैन का जन्म दिनांक 24 सितम्बर, 1925 को हुआ था और उन्होंने अपने जीवन के बचपन से ही समाज की सेवा में अपने को लगाया था और हर क्षेत्र में समाज की सेवा उन्होंने की थी । वह विधान सभा के सदस्य 1962 में चुने गये उसके बाद 1969, 1974 और 1977 में यह विधान सभा के सदस्य चुने गये । उन्होंने इस प्रदेश की सेवा बड़े ही परिश्रम और लगन से की और बहुत सी संस्थाओं में भी काम किया। उनके निधन से हमारे प्रदेश और देश को काफी क्षति पहुंची है । मेरा अनुरोध है

कि मेरी, मेरे दल की और इस सदन की संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

स्व0 श्री जगदीश प्रसाद का निधन दिनांक 7 जून, 1986 को हुआ था वह लगभग 77 वर्ष के थे उनका जन्म 20 मार्च, 1909 को हसनपुर मुरादाबाद में हुआ था। वह 1952 से 1967 तक लगभग 15 वर्ष की अवधि तक मुरादाबाद से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। मान्यवर, वह हमेशा गरीबों की कमजोर वर्गों की सेवा करते रहे और बहुत सी सामाजिक संस्थाओं में रहकर कार्य किया। उनके निधन से इस प्रदेश को काफी क्षति पहुंची है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी, मेरे दल की और इस सदन की संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

स्व0 श्री नौनिहाल सिंह जी का निधन 8 अगस्त, 1986 को मुरादाबाद में हो गया वह लगभग 53 वर्ष के थे। श्री नौनिहाल सिंह का जन्म 26 दिसम्बर, 1933 को हुआ था। उन्होंने 1969 में ठाकुर क्षेत्र से विधान सभा का चुनाव जीता था तब ही से इस प्रदेश की और मुरादाबाद की सेवा की उनके निधन से इस प्रदेश की काफी क्षति पहुंची है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी, मेरे दल की और इस सदन की संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, स्व0 राम सिंह खन्ना (बरेली) स्व0 हरिहर नाथ अग्रवाल (आगरा) स्व0 अनवार अहमद (फर्रुखाबाद) स्व0 नत्थू सिंह (बरेली) स्व0 टीकम सिंह (मथुरा) स्व0 रियासत हुसैन (मुरादाबाद) स्व0 जगदीश प्रसाद (मुरादाबाद) स्व0 नौनिहाल सिंह (मुरादाबाद) यह मान्यवर, सभी महान विभूतियां इस सदन को सुशोभित कर चुकी हैं। इनमें से कुछ लोगों से मेरा निजी सम्बन्ध भी रहा। अनवार अहमद साहब के साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला। उनसे सम्पर्क 1963 में ही हो गया था उस समय मैं छात्र था। जब स्व0 डा0 राम मनोहर लोहिया फर्रुखाबाद से चुनाव लड़े थे तो डा0 लोहिया उनके घर खाना खाने गये थे समधन गांव में, उसी समय से मैं स्व0 अनवार साहब से परिचित था। स्व0 रियायत हुसैन साहब को इस सदन के सारे लोग जानते हैं वे 5 बार इस सदन के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने लगातार अपने जीवन को समाज की सेवा में देश की सेवा में लगा दिया था। इसी प्रकार से अभी जितनी भी महाविभूतियां थीं इन सब ने समाज और देश के विकास में अपना पूरा का पूरा समय लगाया। ऐसे महान विभूतियों के आज हमारे बीच न होने से हमें इसका बड़ा दुख है। इस लिये मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से इन सभी महान विभूतियों के परिवारों तक शोक संवेदना भेजने की महान कृपा करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, श्री रियासत हुसैन जी, जो इस सदन के भूतपूर्व सदस्य रहे और पांच बार वह इस सदन के विधायक के रूप में प्रतिष्ठित हुये इनका योगदान विधान सभा में, जो लोग उनके करीब रहे हैं या उनके समय में विधान सभा में रहे हैं उनको मालूम है कि वह हर मामले को अपनी तीखी बुद्धि से उठाया करते थे। और सुबह से आकर जब तक विधान सभा चलती थी, तब तक निरन्तर बैठे रहते थे। उनका योगदान यहां की प्रोसीडिंग्स में देखा जाये तो यह पाया जायेगा कि उनका अपना अलग ही योगदान रहा है। वह पिछले विधान

सभा में जनता पार्टी के नेता थे। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर डा0 लोहिया व आचार्य नरेन्द्र देव से प्रभावित होकर वह राजनीति में आये थे। वह हमेशा लाल टोपी लगाते थे। उनकी अलग पहचान थी। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति के प्रति मेरा दल और हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी तरह से मान्यवर, राम सिंह खन्ना जो पिछली विधान सभा में और इसके पूर्व भी कई बार चुनकर आये थे। मंत्री के रूप में यहां प्रतिष्ठित थे। उनके प्रति भी हमारा दल और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप से प्रार्थना करते हैं कि हमारे शोक संवेदना के भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

सर्वश्री हरिहर नाथ, टीकम सिंह, जगदीश प्रसाद और श्री नौनिहाल सिंह इन सभी का योगदान पिछली विधान सभाओं में रहा है और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जो कुछ भी किया है उन सभी के प्रति मैं और मेरा दल श्रद्धांजलि अर्पित करता है और आपसे आग्रह करते हुये प्रार्थना करता है कि हमारे यह सम्वेदना के भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री कल्याण सिंह–

माननीय स्वर्गीय श्री राम सिंह खन्ना, हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री अनवार अहमद, श्री नत्थू सिंह, श्री टीकम सिंह, श्री रियासत हुसैन, श्री जगदीश प्रसाद और श्री नौनिहाल सिंह जी के निधन के संबंध में जो संवेदना के भाव माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता, जनता पार्टी ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि हमारे यह सम्वेदना के भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, स्वर्गीय श्री राम सिंह खन्ना, श्री हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री अनवार अहमद, श्री नत्थू सिंह, श्री टीकम सिंह, श्री रियासत हुसैन, श्री जगदीश प्रसाद और श्री नौनिहाल सिंह जी के निधन के बारे में जो विचार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल व अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि हमारे यह सम्वेदना के भाव उनके शोक संतप्त परिवार को पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, स्वर्गीय श्री राम सिंह खन्ना श्री हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री अनवार अहमद, श्री नत्थू सिंह, श्री टीकम सिंह, श्री रियासत हुसैन, श्री जगदीश प्रसाद और श्री नौनिहाल सिंह जी के निधन पर जो भावनायें और विचार नेता सदन, नेता विरोधी दल व अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और दिवंगत विभूतियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मान्यवर, इनमें से कई लोगों के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री जगदीश प्रसाद, श्री रियासत हुसैन और श्री नौनिहाल सिंह जी हमारे ही जिले के रहने वाले थे। हमारे जिले की विभूतियां थीं। श्री जगदीश प्रसाद जी के चले जाने से एक बहुत बड़ी रिक्त हमारे जिले के लिये और प्रदेश को हुई है। ऐसे उदारमना व्यक्ति जो विभिन्न राजनीतिक विचारों के रहते हुए भी दूसरे राजनीतिक दलों से सामाजिक कार्यों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई विद्वेष या द्वेष न रखते हों, ऐसे लोग बिरले ही मिलते हैं।

रियासत साहब से बीसों वर्षों से मेरा सम्बन्ध था। हम राजनीतिक संघर्षों में साथ-साथ रहे। उनके चले जाने से हमारे प्रदेश और जिले की विशेष रूप से बहुत क्षति हुई है।

श्री नौनिहाल सिंह भी बहुत छोटी उम्र में ही चले गये।

इन सभी के जाने से जो रिक्तियां हुई हैं, जो क्षति हुई है, वह अपूर्णनीय है। इनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन सबके शोक संतप्त परिवारों तक हमारा संवेदना संदेश पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राज किशोर सिंह–

श्री राम सिंह खन्ना, श्री हरिहरनाथ जी, श्री अनवार अहमद, श्री नत्थू सिंह, श्री टीकम सिंह, श्री रियासत हुसैन, श्री जगदीश प्रसाद जी, श्री नौनिहाल सिंह, ये सभी हमारे सदन के माननीय सदस्य रहे हैं, ये आज हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने इस देश की सेवा की, प्रदेश की सेवा की और वे समाज के सच्चे सेवक थे। इनके राजनीतिक जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिये। माननीय नेता, सदन, माननीय नेता, विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने जो इनके जीवन के बारे में भावनायें व्यक्त की हैं मैं उनके विचारों से अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और इनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवारों तक हमारी ये संवेदनायें प्रेषित करने की कृपा करें।

*श्री राम नरेश यादव–

माननीय, श्री राम सिंह खन्ना, श्री हरिहरनाथ, श्री अनवार अहमद, श्री नत्थू सिंह, श्री टीकम सिंह, श्री रियासत हुसैन श्री जगदीश प्रसाद, श्री नौनिहाल सिंह के निधन पर जो माननीय नेता, सदन ने और अन्य विपक्ष के नेताओं ने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। इनमें से कई ऐसे हैं जिनसे मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध भी रहा है। श्री रियासत हुसैन साहब से समाजवादी आन्दोलन से जुड़े रहने के कारण मेरा बहुत गहरा और नजदीकी सम्बन्ध रहा है। विधान सभा में भी उन्होंने जो संचालन प्रक्रिया है, उसके ज्ञाता के रूप में काम किया, जिससे कि लोकतांत्रिक प्रणाली को बल मिला। इसी प्रकार से अन्य माननीय सदस्य जिस प्रकार से अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करते रहे हैं, आज उनके निधन से अपूर्णनीय क्षति हुई है। मैं इन सबके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और चाहता हूं कि ये संवेदनायें उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी तरफ से पहुंचा दें।

*डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, श्री राम सिंह खन्ना बरेली की उन विभूतियों में से हैं, जिन्हें बरेली के लोग आसानी से नहीं भूल सकेंगे। उनका जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। शुरू से ही विद्यार्थी नेता के रूप में उन्होंने अपना एक अलग स्थान बना लिया था। बरेली कालेज की छात्र यूनियन के वे अध्यक्ष रहे। उसके बाद बरेली नगरपालिका के सदस्य चुने गये और बरेली के ही नगरपालिका अध्यक्ष हुए। काफी समय तक नगरपालिका के माध्यम से बरेली के नागरिकों की सेवा करते रहे। खन्ना जी बाद में विधान सभा के सदस्य चुने गये और मंत्री पद पर आसीन हुए और प्रदेश की सेवा की। 27 जुलाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को जब यहां से लखनऊ से उनके निधन का समाचार बरेली पहुंचा तो एक शोक की लहर सारे नगर में फैल गयी, बाजार बंद हो गये और उनके निवास पर भारी संख्या में लोग पहुंचने लगे। उनकी शव-यात्रा में हजारों लोगों ने भाग लेकर उन्हें अन्तिम विदाई दी और श्रद्धांजलि अर्पित की। माननीय नेता, सदन, माननीय नेता विरोधी दल, नेता, जनता पार्टी, नेता भारतीय जनता पार्टी ने जो उद्गार इनके सम्बन्ध में व्यक्त किये हैं, उनसे अपने आपको व अपने दल को सम्बद्ध करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि उनके परिवार तक हमारी सबकी श्रद्धांजलि पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

स्वर्गीय राम सिंह खन्ना, स्वर्गीय हरिहर नाथ, स्व0 अनवार अहमद साहब, स्व0 नत्थू सिंह, स्व0 टीकम सिंह, स्व0 रियासत हुसैन साहेब, स्वर्गीय जगदीश प्रसाद तथा स्वर्गीय नौनिहाल सिंह, ये सब आज हमारे बीच में नहीं रहे। स्वर्गीय खन्ना जी हमारे पड़ोसी थे। सड़क के इस पार मैं रहता हूं और सड़क के उस पार वह। जब उनको मालुम हुआ कि दुर्भाग्य-वश उनको बड़ी खतरनाक बीमारी हो गयी है, उस दिन से उनके बंगले में उदासी छा गयी। वे सदस्य तो रहे ही, मंत्रि परिषद् में वे बहुत दिनों तक रहे। उनका एखलाक बहुत ऊंचा था। उनके उठ जाने से हम सबको बेहद अफसोस है।

सर्वश्री हरिहर नाथ, अनवार अहमद, नत्थू सिंह, टीकम सिंह का अपना-अपना दायरा था और इन्होंने अपने अपने दायरे में समाज की सेवा की, इन सबका अपना-अपना स्थान था। माननीय रियासत हुसैन जी इस सदन की कार्यवाही में काफी रुचि रखते थे। आज उनकी लाल टोपी को हमारी आंखें ढूढ़ती हैं। काफी संस्थाओं को उन्होंने स्थापित किया है। जगदीश प्रसाद और नौनिहाल सिंह जैसी हस्तियां आज हमारे बीच से उठ गयीं। आज हम इन सबकी कमी महसूस करते हैं।

मैं आपकी भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि आप सबकी संवेदनाओं उनके परिवार तक अवश्य पहुंचायी जायेंगी। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य अपने स्थान पर 2 मिनट मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं। सितम्बर की एक तारीख को, सोमवार के दिन 11.00 बजे हम फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 12 बजकर 42 मिनट पर सोमवार, 1 सितम्बर, 1986 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
26 अगस्त, 1986

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अ0सू0त0प्र0सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 2 पर)

महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्तियों के पद पर चयन हेतु निर्धारित शर्तें एवं प्रक्रिया

निर्धारित शर्तें :—

(1) प्रत्येक ग्राम में जनसंख्या के आधार पर नियुक्त की जाने वाली कार्यकर्तियों के आवेदन संबंधित ग्राम प्रधानों के माध्यम से ऐसी इच्छुक महिलाओं से प्राप्त कर लिए जाये जो जन स्वास्थ्य संबंधी विषयों में रुचि रखती हों एवं जिनसे कार्यक्षेत्र में आवश्यक भ्रमण आदि की अपेक्षा की जा सके। सीधे प्राप्त प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किये जायें। प्रार्थना पत्रों के लिए समुचित प्रचार समाचार पत्र, रेडियो, गांव में डुग्गी, बी0 डी0 सी0 व गांव सभा की बैठक आदि के माध्यम से किया जाये।

(2) यह कार्यकर्तियां कम से कम जूनियर हाई स्कूल (कक्षा आठ) पास हों। अधिक शैक्षिक योग्यता वाली महिलाओं को वरीयता दी जाय ।

(3) इन आवेदक महिलाओं की न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, अधिकतम आयु सामान्यत: 45 वर्ष से अधिक न हो परन्तु विशिष्ट परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है।

(4) चयनित कार्यकर्तियां सामान्य रूप से स्वस्थ शरीर एवं मानसिक अवस्था की हों।

(5) विवाहित महिलाओं का स्वयं का परिवार बड़ा न हो, परिवार कल्याण योजना स्वीकार करने वाली महिलाओं को निश्चित रूप से वरीयता दी जाय ।

(6) इस चयन में अल्प संख्यक व अनुसूचित जाति वर्ग को वरीयता दी जाये ।

(7) अभ्यर्थी का उसी क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा जहां के लिए पद निर्धारित किया गया हो।

(8) ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाये जिनके पास कार्य करने के लिए, औषधि वितरण आदि के लिए उपयुक्त स्थान हो एवं वहां सभी लोग आसानी से पहुंच सकें।

प्रक्रिया:—

(1) स्क्रीनिंग के पश्चात् बचे हुये अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बुलाकर लिखित परीक्षा ली जाये जिसके 50 अंक हों इसमें हिन्दी का डिक्टेशन, जोड़-गुणा-भाग आदि का सामान्य गणित, परिवार कल्याण के ऊपर सामान्य ज्ञान, हिन्दी का पत्र आदि के प्रश्न रक्खे जायें। सामान्यत: एक पद के लिए तीन से अधिक अभ्यर्थी न बुलाये जायें।

(2) परीक्षा के साथ ही मौखिक साक्षात्कार भी किया जाये जिसमें 50 अंक रक्खे जायें। दोनों के अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता सूची बनायी जाय ।

(3) लिखित परीक्षा व साक्षात्कार उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से किये जायें । इसमें एक अन्य प्रथम श्रेणी के चिकित्सा अधिकारी जैसे अधीक्षक, एक महिला चिकित्सा अधिकारी व संबंधित खंड विकास अधिकारी को सदस्य बनाया जाये तथा संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को सदस्य/संयोजक नियुक्त किया जाये। यदि किसी कारणवश खंड विकास अधिकारी अथवा अन्य कोई अधिकारी उपलब्ध न हो सकें तो चयन को स्थगित न किया जाये। चयन की सूची पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय परन्तु नियुक्ति पत्र प्रभारी अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के हस्ताक्षर से जारी किये जायें ।

भाग "ब"

(देखिए तारांकित प्र0सं0 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 4 पर)

क्रम सं0	भवन संख्या	आवंटन के समय मूल्य
1.	ए. 1070	रु0. 32,252.00
2.	ए. 1116	रु0. 33,200.00
3.	ए. 1138	रु0. 32,540.00
4.	ए. 1086	रु0. 32,684.00
5.	ए. 1088	रु0. 32,684.00
6.	बी. 1375	रु0. 32,459.00
7.	बी. 2083	रु0. 33,952.00
8.	बी. 2049	रु0. 33,332.00
9.	बी. 1247/1	रु0. 33,250.00
10.	बी. 1225/3	रु0. 32,127.00
11.	बी. 1289	रु0. 35,830.00
12.	सी. 1517	रु0. 31,900.00
13.	सी. 1595	रु0. 31,947.00
14.	सी. 2274	रु0. 19,367.00
15.	सी. 2318	रु0. 20,550.00
16.	सी. 1378	रु0. 20,791.00
17.	सी. 1386	रु0. 21,150.00
18.	सी. 1426	रु0. 19,367.00
19.	सी. 1422	रु0. 19,681.00
20.	सी. 1587	रु0. 33,281.00
21.	सी. 2436	रु0. 19,681.00
22.	सी. 2346	रु0. 19,367.00
23.	सी. 1683	पत्रावली मूल रूप में मुकदमा
24.	सी. 2260	दायर करने हेतु सम्पत्ति निरीक्षक को दी जा चुकी है।
25.	सी. 1717	रु0. 32,542.00
26.	बी. 1387	रु0. 32,444.00
27.	ए. 1198/1	रु0. 32,828.00
28.	बी. 2053	रु0. 35,000.00
29.	बी. 2091	रु0. 32,614.00
30.	सी. 1541	रु0. 31,900.00
31.	बी. 1225/1	रु0. 32,886.00

क्रम सं0	भवन संख्या	आवंटन के समय मूल्य
32.	सी. 1693	रु0. 31,990.00
33.	सी. 1366	रु0. 19,681.00
34.	सी. 2298	रु0. 20,550.00
35.	बी. 2063	रु0. 34,512.00
36.	सी. 3034	रु0. 21,165.00
37.	बी. 1383	रु0. 32,444.00
38.	बी. 2105	रु0. 33,597.00
39.	सी. 1695	रु0. 31,990.00
40.	सी. 1549	रु0. 31,900.00
41.	सी. 1583	बिक्रीकर विभाग को प्रविष्ट हैं।
42.	डी. 2054	
43.	डी. 2125	रु0. 20,791.00
44.	डी. 2173	रु0. 20,791.00
45.	डी. 2219	रु0. 20,791.00
46.	डी. 2251	मुकदमें के लिये फाइल प्रस्तुत
47.	डी. 2273	तदैव
48.	डी. 2280	तदैव
49.	डी. 2315	तदैव
50.	डी. 2337	रु0. 20,791.00
51.	डी. 3083	रु0. 27,162.00
52.	डी. 3133	रु0. 24,932.00
53.	डी. 3209	रु0. 20,850.00
54.	डी. 3249	रु0. 20,791.00
55.	डी. 3267	रु0. 20,791.00
56.	डी. 3041	रु0. 40,217.00
57.	ए0 909/2	रु0. 45,245.00
58.	ए. 1091/1	रु0. 30,701.00
59.	डी. 3219	रु0. 23,408.00
60.	डी. 2269	रु0. 20,791.00
61.	डी. 2116	रु0. 19,711.00

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्र0 सं0-4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 5 पर)

तालिका

क्र0सं0	नाम क्रय केन्द्र	नाम ठेकेदार (सर्वश्री)
1.	पटना	मनजीत सिंह
2.	जामों	,, ,,
3.	लम्भुआ	राम दत्त सिंह
4.	शम्भूगंज	,, ,,
5.	बभ्रना	वीरेन्द्र प्रताप सिंह
6.	सूरापुर	रणजीत सिंह
7.	विरसिंह पुर	कृष्ण कुमार सिंह
8.	राहुलनगर	भूपेन्द्र सिंह
9.	परसपट्टी	तौफिक अहमद
10.	हालापुर	सतीश कुमार सिंह
11.	सैफाबाद	,, ,,
12.	गौरीगंज	मनजीत सिंह
13.	अमेठी (मुंशीगंज)	अवध नरायन सिंह
14.	करौंदीकलां	जावेद आलम
15.	जयसिंहपुर	मशीर अहमद
16.	चांदा	रईस अहमद
17.	दोस्तपुर	कृष्ण कुमार सिंह
18.	मुड़िलाडीह	तौफिक अहमद
19.	ढकवा	राम अधार यादव
20.	भेटुवा	अवध नरायन सिंह
21.	दुर्गापुर	,, ,,
22.	अलीगंज	दीनिक दर
23.	बल्दीराय	दान बहादुर सिंह
24.	धनपतगंज	,, ,,
25.	कोहडौर	मो0 यूनुस

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0-8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13 पर)

पिथौरागढ़ में कार्यरत भवन रहित पशु सेवा केन्द्रः–

निःशुल्क भवनों में कार्यरत पशु सेवाकेन्द्र :–

क्रमांक	पशु सेवा केन्द्र का नाम	विकास खण्ड
1.	बज्यूड़ा	गंगोलीहाट
2.	चौरपाल	,, ,,
3.	सिंघाली	कनालीछीना
4.	सिल चमू	,, ,,
5.	जय नगर	बेरीनाग
6.	आमथल	,, ,,
7.	सूखाढांग	चम्पावत
8.	स्वाला	,, ,,
9.	रौंसल	लोहाघाट
10.	खतेड़ा	,, ,,
11.	रैंथाव	बाराकोट
12.	मूलाकोट	पाटी
13.	सेरा	मुनस्यारी
14.	गुरना	पिथौरागढ़

किराए के भवनों में कार्यरत पशु सेवा केन्द्र

क्रमांक	पशु सेवा केन्द्र	विकास खण्ड
1.	सातशिलिंग	मनाकोट
2.	सल्ला	,, ,,
3.	चौपाता	,, ,,
4.	मरसोली	,, ,,
5.	रसैपाटा	कनालीछीना
6.	डचीला	डीडीहाट
7.	लामाधर	,, ,,
8.	विल्खी	मंगोलीहाट
9.	बनकोट	,, ,,
10.	पाटी	पाटी
11.	देवोथरा	,, ,,
12.	भिगरांडा	,, ,,

क्रमांक	पशु सेवा केन्द्र	विकास खण्ड
13.	दुरानाथंल	बेरीनाग
14.	सिप्टी	चम्पावत
15.	खिरपान्डे	गंगोलीहाट
16.	इज्हां	बाराकोट
17.	पयोंपाड़ी	धारचूला
18.	कर्लक रायंत	लोहाघाट
19.	पुलहिन्डोला	,, ,,
20.	चौमेल	बाराकोट
21.	जास्यूड़ा	पाटी
22.	जौलजीबी	धारचूला

जनपद अल्मोड़ा में किराये के भवनों पर कार्यरत पशु सेवा केन्द्र

क्र0सं0	पशु सेवा केन्द्र का नाम	क्रम संख्या	पशु सेवा केन्द्र का नाम
1.	पुभाऊ	25.	सगनेटीं
2.	चायखान	26.	रीठामहादेव
3.	खेरदा	27.	तुराचौरा
4.	महरागांव	28.	मटेलामहादेव
5.	जागेश्वर	29.	मालीखेत
6.	बान्ठोक	30.	गैरखेत
7.	भैंसियाछाना	31.	जीरासी
8.	धनियान	32.	तड़ागताल
9.	कनालीछीना	33.	खोड़ा
10.	पातलीबगढ़	34.	चमदखान
11.	लोधिया	35.	खौंदधार
12.	मनान	36.	कसिया
13.	धराफाट	37.	वानिला
14.	खातीगांव	38.	भोनखाल
15.	गयों	39.	बगवालीपोखर
16.	चोरा	40.	मजखाली
17.	कमेड़ीदेवी	41.	पाली
18.	सुनिउडियार	42.	दूनागिरी
19.	जुखेड़ा	43.	बसन्तपुर
20.	मैंगड़ी	44.	असगोली
21.	घैंना	45.	ढड़ीगाढ़-लोद
22.	कन्यालीकोट	46.	भैरोंखाल
23.	भतरोंजखान	47.	भगोती
24.	सिनौड़ां	48.	मोतियापाथर

नथी 'ङ'

(देखिए अता 0प्र 0सं 0 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 22 पर)

विभागीय निर्माण इकाई प्रथम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती

क्रम-सं0	मशीनों का नाम एवं संख्या	मशीनों की श्रेणी	वर्ष 1983–84 में		
			डीजल/पेट्रोल पर व्यय	स्टीमकोल पर व्यय	मरम्मत पर व्यय
1	2	3	4	5	6
1	रोलर–6	डीजल	2452.00	..	32565.00
2	रोलर–1	स्टीम	..	25000.00	..
3	ट्रक–1	डीजल	8899.00	..	25890.00
4	जीप–2	पेट्रोल	36952.00	..	51759.00
	योग ..		48303.00	25000.00	110214.00

अस्थायी खण्ड नं 0 1, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती

क्रम-सं0	मशीनों का नाम एवं संख्या	मशीनों की श्रेणी	वर्ष 1983–84 में		
			डीजल/पेट्रोल पर व्यय	स्टीम कोल पर व्यय	मरम्मत पर व्यय
1	2	3	4	5	6
1	रोलर–5	डीजल	88714.47	..	73318.53
2	रोलर–3	स्टीम	..	7437.50	12715.90
3	ट्रक	डीजल	28485.98		7605.09
4	जीप	पेट्रोल	30198.04	..	15398.16
5	जीप	डीजल	16740.92	..	6513.48
	योग		164139.41	7437.50	115551.16

वर्ष 1984-85			वर्ष 1985-86		
डीजल/पेट्रोल पर व्यय	स्टीम कोल पर व्यय	मरम्मत पर व्यय	डीजल/पेट्रोल पर व्यय	स्टीम कोल पर व्यय	मरम्मत पर व्यय
7	8	9	10	11	12
..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..
21 479.00	..	26983.00	20151.60	..	12704.00
26754.00	..	46987.00	35117.00	..	31548.00
48233.00	..	73970.00	55268.60	..	44252.00

(नवम्बर, 85 तक)

वर्ष 1984-85			वर्ष 1985-86 में		
डीजल/पेट्रोल पर व्यय	स्टीम कोल पर व्यय	मरम्मत पर व्यय	डीजल/पेट्रोल पर व्यय	स्टीम कोल पर व्यय	मरम्मत पर व्यय
7	8	9	10	11	12
111036.71	..	129663 28	91279.44	..	47249.80
..	24812.50	13072.60	..	54478.75	11216.10
25067.13	..	16119.00	24284.32	..	9496.92
39239.97	..	17665.00	29551.46	..	13988.00
17085.82	..	14301.00	11025.28		6108.51
192429.63	24812 50	190820 88	156140.50	54478.75	88059.33

नत्थी 'च'

(देखिए अता0प्र0सं0-37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर)

संलग्नक

बिन्दु	सूचना
1—श्री धर्मवीर सिंह आशुलिपिक के विरुद्ध जांच की स्थिति।	श्री धर्मवीर सिंह, आशुलिपिक की एक वार्षिक वेतन वृद्धि जांच के उपरांत दोषी पाये जाने पर अधीक्षण अभियन्ता 16 वां वृत्त कानपुर द्वारा दिनांक 15-1-86 के आदेश द्वारा रोकी गई है।
2—माननीय राज्य मंत्री जी के आदेशों का समय से पालन न करने के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई।	मामले में दोषी अधिशासी अभियन्ता को दिनांक 20-12-85 को मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया है और मामले में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3—सम्बन्धित आशुलिपिक के निलंबन अवधि दि0 29/5/81 से 2-2-83 तक का वेतन कब तक भुगतान किया जायेगा।	सम्बन्धित आशुलिपिक के निलम्बन काल के अवशेष वेतन एवं भत्तों आदि के भुगतान के बारे में आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार मुख्य अभियन्ता (रा0 मा0) द्वारा की जा रही है।
4—निलम्बन अवधि के पूर्व तथा पश्चात् की वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत न करने का क्या औचित्य है तथा इसके लिये कौन दोषी है आदि।	इस संबंध में प्रमुख अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता से जानकारी प्राप्त की जा रही है।
5—उक्त कर्मचारी को वर्ष 83-84 व 84-85 का बोनस भुगतान न करने का क्या औचित्य है तथा कब तक उक्त बोनस भुगतान किया जायेगा।	उक्त कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के कारण नियमानुसार उन्हें वर्ष 1983-84 व 84-85 का बोनस देय नहीं है।

6—उक्त कर्मचारी के नियुक्ति प्राधिकारी कौन है, निलम्बन अधिकारी कौन व किस स्तर का है। क्या नियुक्ति प्राधिकारी से निम्न स्तर का अधिकारी निलम्बन कर सकता है। यदि हां, तो शासन के किन आदेशों के अंतर्गत ।	सार्वजनिक निर्माण विभाग लिपिक वर्गीय अधिष्ठान नियमावली के अनुसार प्रभागीय कार्यालयों में आशुलिपिक की नियुक्ति/निलम्बन का अधिकार अधीक्षण अभियंता को है लेकिन श्री धर्मवीर सिंह आशुलिपिक को अधिशासी अभियंता रा0 मा0 खंड कानपुर द्वारा निलम्बित किया गया था। अधिशासी अभियंता द्वारा यह कार्यवाही शासनादेश संख्या-756 ई0जी0/ 23-सा0नि0 वी0/55 ई0 जी0/49 दिनांक 6-8-63 के संदर्भ में अधीक्षण अभियन्ता 16 वां वृत्त, कानपुर के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8480 एम/40-16/ 74, दिनांक 28-10-74 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार नियमानुसार की गई ।

नत्थी 'छ'

(देखिए अता० प्र० सं० 45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

संलग्न–1

नगरपालिका हरदोई में दैनिक वेतन कर्मचारियों की सूची (दिसम्बर, 1983 से 1985 तक)

क्रम-सं०	नाम	विभाग	कार्य जिसके लिए दैनिक वेतन पर नियुक्त किए गए	कुल माह	नियुक्ति अधिकारी			नियुक्ति का आधार	अन्य विवरण
					अधि० अधि०	प्रभारी अधि०	प्रशासक		
1	2	3	4	5	6			7	8
1	श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह	लेखा विभाग	लेखा संबंधी कार्य	19	13	6	0	लेखा विभाग में आय-व्यय का बहुत बड़ा विस्तार है कैश बुक, क्लासीफाइड, मासिक आय-व्यय के नक्शे भेजने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि यह कार्य एक लेखाकार से असम्भव था।	(1) अब यह दैनिक वेतन पर कार्य नहीं कर रहे हैं
2	श्री जगन्नाथ सिंह	,,	,,	19	8	11	0		
3	श्री अरुण कुमार सिंह	मुख्य कार्यालय	भविष्य निधि सम्बन्धी कार्य	18	17	1	0	भविष्य निधि का कार्य पिछड़ा हुआ होने के कारण उसकी पूर्ति हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ी।	
4	श्री देवेश शर्मा	,,	,,	14	8	6	0	,,	(4) अब यह दैनिक वेतन पर कार्य नहीं कर रहे हैं।

अतर प्रदेश विधान परिषद

5	श्री रमेश शर्मा	गृहकर विभाग	कर वसूली सम्बन्धी कार्य	13	8	5	0	गृहकर जलकर लागू होने के फलस्वरूप डिमान्ड रजिस्टर तैयार करना बिल बटवाना बनवाना तथा वसूली	(6) अब यह दैनिक वेतन पर कार्य नहीं कर रहे हैं।
6	श्री मिथलेश सिंह	,,	,,	14	7	7	0	करवाने की आवश्यकता को ...	
7	श्री सरोज कुमार	,,	,,	10	3	7	0	ध्यान में रखते हुए इन पांच	(7) ,,
8	श्री राम निवास	,,	,,	13	7	6	0	दैनिक वेतन कर्मचारियों की	(9) ,,
9	श्री अमरनाथ शुक्ला	,,	,,	9	7	2	0	नियुक्ति करनी पड़ी क्योंकि इस पालिका में केवल एक गृहकर जलकर लिपिक है तथा पांच ही बिल कलेक्टर हैं वार्ड–7 हैं उक्त स्टाफ से कार्य चलना असम्भव था। अतः इन नियुक्तियों की आवश्यकता पड़ी।	
10	श्री अवध बिहारी श्रीवास्तव	नजूल	भूमि सर्वे सम्बन्धी	8	2	6	0	नगरपालिका हरदोई में नजूल का कार्य पब्लिक वर्क्स विभाग से चलाया जा रहा था एवं पब्लिक वर्क्स क्लर्क पूरे पब्लिक वर्क्स का कार्य तथा नजूल का कार्य कर रहे थे जोकि सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता था तथा इस विभाग को अलग ही कर दिया गया है व पूरे शहर में उसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है अतः नियुक्ति की आवश्यकता पड़ी।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्न–2

नगरपालिका, हरदोई के दैनिक वेतन कर्मचारियों की सूची (दिसम्बर, 1983 से जून, 1985 तक)

क्रम-संख्या	नाम	विभाग	कार्य जिसके लिए दैनिक वेतन पर नियुक्त किये गये	कुल माह	नियुक्ति अधिकारी			नियुक्ति का आधार	अन्य विवरण
					अधि0 अधि0	प्रभारी अधि0	प्रशासक		
1	2	3	4	5	6			7	8
1	श्री शरीफ अहमद	प्रकाश विभाग	सीढ़ी लाने व ले जाने हेतु	5	1	0	4	प्रकाश विभाग में कोई भी स्थायी कर्मचारी सीढ़ी खींचने वाला नहीं था स्थायी पदों के सृजन हेतु शासन से पत्र व्यवहार चल रहा था स्वीकृति आने पर स्थायी प्रबन्ध किया गया पालिका में दैनिक वेतन कर्मचारी से काम लेना पड़ा अतः दैनिक वेतन पर रखने की आवश्यकता पड़ी।	शासन द्वारा पद स्वीकृत हो गए हैं अतः यह कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्य नहीं कर रहे हैं।
2	श्री शैलेन्द्र	"	"	5	1	0	4		
3	श्री रामकृष्ण	"	"	5	1	0	4		
4	श्री नरेश	"	"	5	1	0	4		
5	श्री मुन्ना लाल	लाइसेंस	बिना लाइसेंस के रिक्शे आदि पकड़ने हेतु	5	0	4	1	लाइसेन्स विभाग में साइकिल रिक्शा लाइसेंस की वसूलयाबी हेतु इन पांच दैनिक वेतन कर्मचारियों को रखने की आवश्यकता थी क्योंकि साइकिल के लाइसेंस	अब यह कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्य नहीं कर रहे हैं।
6	श्री विनोद कुमार	"	"	5	0	4	1		
7	श्री दिलीप कुमार	"	"	5	0	4	1		

8	श्री संजय	,,	,,	5	0	4	1	बिना मौके पर जाये कोई भी व्यक्ति कार्यालय आकर अपना लाइसेंस बनवाने नहीं आता था जिससे बोर्ड को हानि होती थी। अतः इन कर्मचारियों को रखने की आवश्यकता पड़ी।
9	श्री अशोक कुमार	,,	,,	5	0	4	1	
10	श्री राम पाल	सार्व0निर्माण विभाग	निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों की देखभाल के लिए	10	4	6	0	सा0नि0वि0 में नगर विकास योजना राजकीय अनुदान तथा बोर्ड के अन्य कार्य नगर के अन्दर कई स्थानों पर चल रहे थे तथा कुछ कार्य विभागीय भी चल रहे थे उन कार्यों की देख रेख एक सहायक अभियन्ता व एक अवर अभियन्ता द्वारा सुचारु रूप से होना असम्भव था इसके अतिरिक्त बहुत से कार्यों के लिए मजदूर तलाश करना व सामग्री की आवश्यकता पड़ती थी। अतः कर्मचारियों को रखने की आवश्यकता पड़ी ताकि काय सुचारु रूप से चलता रहे।
11	श्री आशाराम	,,	,,	19	11	8	0	
12	श्री रजनीश कुमार	,,	,,	13	7	6	0	
13	श्री राजू गुप्ता	गृहकर विभाग	कर वसूली	8	8	0	0	गृह कर विभाग में केवल पांच बिल कलेक्टर स्थायी तौर पर कार्यरत हैं नगर में

1	2	3	4	5	6	7	8
						7 वार्ड हैं। अतः स्थायी तौर पर दैनिक वेतन पर नियुक्ति करके कार्य चलाया गया।	
14	श्री श्रीपाल	चुंगी विभाग	चुंगी कार्य	7	0	0	7 चुंगी चेकिंग की अन्यन्त आवश्यकता है स्थायी स्टाफ केवल चुंगियों पर ही शिफ्ट सिस्टम द्वारा कार्यरत रहते हैं। स्टाफ की कमी के कारण दैनिक वेतन कर्मचारियों की ड्यूटी चुंगियों पर लगाकर स्थायी कर्मचारियों को चेकिंग में लगाया गया। बोर्ड की हानि को बचाने हेतु इन कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ी। अब यह कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्य नहीं कर रहे हैं
15	श्री रत्नू खां			7	0	0	7	
16	श्री छोटे खां			7	0	0	7	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक–3

नियमित नियुक्तियां

क्रम	नाम	पद	नियुक्ति तिथि	नियुक्ति अधिकारी
1	2	3	4	5
1	श्री खड़ग बहादुर सिंह	लिपिक	मुख्य कार्यालय 19-5-84	प्रशासक द्वारा
2	श्री प्रदीप कुमार सिंह	,,	19-5-84	(त्याग पत्र देकर चले गये।)
		चुंगी विभाग		
3	श्री रन्नू खां	चपरासी	19-5-84	अधिशासी अधिकारी
4	श्री राजेन्द्र कुमार त्रिवेदी	,,	1-6-85	तदैव
		स्वास्थ्य विभाग		
5	श्री इनायतुल्ला	गैंगमैन	1-6-84	प्रशासक द्वारा
6	श्री छोटे लाल	,,	14-5-84	तदैव
		सफाई कर्मचारी		
7	श्री कृष्ण पुत्र मैयालाल	सफाई कर्मचारी	3-2-85	अधिशासी अधिकारी
8	श्री ओम प्रकाश पुत्र स्याम	,,	,,	तदैव
9	श्री छोटे लाल पुत्र मन्ना	,,	,,	तदैव
10	श्री माता प्रसाद पुत्र फूल चन्द्र।	,,	,,	तदैव
11	श्री रमेश चन्द्र पुत्र बांके	,,	14-3-84	तदैव
12	श्री माला पत्नी दुलारे	,,	11-7-84	तदैव
13	श्री बिम्बो पत्नी असर्फी	,,	13-11-84	तदैव
14	श्री चन्द्र शेखर पुत्र हीरा लाल।	,,	31-5-85	तदैव
15	श्री मुल्ला खसीटे	,,	1-6-85	तदैव
16	श्री अशोक पुत्र पुत्तन	,,	,,	तदैव

नोट––उपरोक्त समस्त नियुक्तियां सेवायोजन कार्यालय से नाम मंगाकर प्रार्थना पत्र आमंत्रित कर तथा चयन समिति द्वारा साक्षात्का करने के पश्चात ही की गयी हैं।

2––तदर्थ आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की गयी।

नत्थी 'ज'

(देखिए अता0प्र0सं0 88 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर।)

व्यय विवरण

लेखा शीर्षक	व्यय की गयी धनराशि
1—537 कैपटिल आउटले आयोजनागत मूल कार्य (एम0ओ0टी0)।	.. रु0 132.60 लाख
2—337 अनुरक्षण नान-प्लान (एम0ओ0टी0)	.. रु0 29.17 लाख
3—337 अनुरक्षण नान-प्लान (स्टेट फण्ड)।	.. रु0 0.10 लाख
4—259 सा0नि0 नान-प्लान (निरीक्षण भवन का रख रखाव)।	.. रु0 0.20 लाख
कुल योग	.. रु0 162.07 लाख

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिए अता0प्र0सं0 95 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर।)

मुकदमा अपराध संख्या 24/86, धारा 380 भा0द0वि0 में जिन व्यक्तियों के बयान लिए गये उन व्यक्तियों की सूची :–

1––श्री रमेश चन्द्र शर्मा, पुत्र श्री रोशन लाल शर्मा, निवासी लोहा मण्डी, थाना लोहा मण्डो, जिला आगरा, प्रभारी के0जी0 गोदाम भारतीय खाद्य निगम, मथुरा।

2––श्री मनीराम शर्मा पुत्र श्री तेजपाल सहाय मैनेजर एफ0सी0आई0 डिपो, मथुरा।

3––श्री बाबू लाल दिनेश ए0जी0 III डिपो के0जी0 गोदाम एफ0सी0आई0 मथुरा।

4––श्री बनी सिंह पुत्र दयाराम जाटव ए0जी0 III डिपो के0जी0 गोदाम एफ0सी0 आई0, मथुरा।

5––श्री भोलेराम पुत्र तोता राम बघेल, निवासी घौली प्याऊ, थाना कोतवाली, मथुरा, वाचमेन के0जो0 गोदाम एफ0सी0आई0, मथुरा।

6––श्री मुन्ना लाल पुत्र टी0सी0 शर्मा निवासी 5/116, रघुवीरपुरी, थाना बन्नादेवी अलीगढ़, वाचमैन एफ0सी0आई0, मथुरा।

7––हर प्रसाद पुत्र श्री काशी राम जाटव, निवासी कृष्णानगर, मथुरा, वाचमैन एफ0 सी0 आई0, मथुरा।

8––श्रीमती इन्द्र रस्तोगी पत्नी मधुकर रस्तोगी, एफ0सी0आई0, मथुरा।

9––श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, स्टीचर एफ्0सी0आई0, मथुरा।

10––श्री भजन लाल जाटव ए0जी0 III आफिस एफ0सी0आई0, मथुरा।

11––श्री पदम सिंह पुत्र बाबू लाल जाटव, स्टीचर एफ0सी0आई0, मथुरा।

12––श्री आर0एन0 श्रीवास्तव पुत्र गौरी शंकर आपरेटर, एफ0सी0आई0, मथुरा।

13––श्री एम0एल0 अग्रवाल पुत्र श्री बी0ए ल0 अग्रवाल टी0ए0जी0 I आफिस एफ0 सी0आई0, मथुरा।

14––श्री वी0 डी0 गुप्ता पुत्र गिरजि प्रसाद टी0ए0 III एफ0सी0आई0, मथुरा।

15––श्री तेज सिंह पुत्र श्री रामजो लाल जाट, निवासी शिवजी नगला थाना नरहौली, जिला मथुरा।

16––श्री उदयवीर सिंह पुत्र गुलीराम जाटव,
17––श्री बालकिशन पुत्र मलखान सिंह जाट,
18––श्री नाहर सिंह पुत्र रामहेतु जाट,
19––श्री जगन पुत्र मिट्ठू,
20––श्री हीरा सिंह पुत्र कुन्दन सिंह जाट,
} निवासीगण नगला शिवजो

21––श्रीकान्त पुत्र मान सिंह जाट
22––इब्राहीम पुत्र बुन्दू खां
23––श्री शिवराम सिंह पुत्र कुंवर सिंह जाट,
24––गोपो चन्द्र पुत्र मनोराम
} निवासीगण नगला शिवजो थाना नरहौलो, जिला मथुरा।

मु0अ0सं0 33/86, धारा 380 भा0द0वि0 में जिन व्यक्तियों के बयान लिए गए उन व्यक्तियों की सूची :–

1––श्री आर0 पी0 श्रीवास्तव, निवासी शान्ति नगर, थाना कोतवाली, मथुरा।

2––श्री यूनिस पुत्र कल्लू निवासी मनोहरपुरा, थाना कोतवाली, मथुरा (पल्लेदार एफ0सी0आई0)।

3––श्री नत्थी बक्स पुत्र अबदुल्ला, निवासी मनोहरपुरा, थाना कोतवाली, मथुरा।

4––श्री यनिस पुत्र दीन मोहम्मद] निवासीगण खारी कुंआ, थाना कोतवाली,
5––श्री मुकीम पुत्र हमीद } जिला मथुरा (पल्लेदार एफ0सी0आई0)
6––श्री अली हुसैन पुत्र कमरुद्दीन] मथुरा।

7––श्री शमशेर बहादुर सिंह पुत्र सरदार सिंह एडवोकेट, निवासी मनोहरपुरा, थाना करौली, जिला सवाई माधोपुर, प्रहरी, एफ0सी0आई0, मथुरा।

8––श्री जे0एन0 पंथ, ए0एम0 स्टोरेज आगरा, जिला कार्यालय।

9––श्री फगुनी राम सहायक प्रबन्धक, मौतिक सत्यापन, आगरा।

10––श्री ए0के0 गोपालन ए0एम0 तकनीकी (डी0सी0एफ0सी0आई0 कोसी कलां), मथुरा।

11––श्री सुरेन्द्रनाथ चतुर्वेदी पुत्र] निवासीगण घौलीप्याऊ, थाना कोतवाली,
आर0ए0 चतुर्वेदी } मथुरा (प्रहरी एफ0सी0आई0 गोदाम
12––श्री भोलेराम पुत्र लालाराम बघेले] मथुरा।)

नत्थी 'ञ'

(देखिए अता0प्र0सं0 98 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

वर्ष 1985–86 में जनपद मथुरा में डिवीजन एवं विधान सभाई क्षेत्र वाइज पेयजल कार्यों का विवरण:—

क्रम-सं0	विधान सभा क्षेत्र	डिवीजन का नाम	शहरी क्षेत्र		देहाती क्षेत्र	
			नगर का नाम	व्यय (रु0 लाख में)	ग्राम लाभान्वित	व्यय (रु0 लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	छाता ..	द्वादश शाखा, मथुरा	..	..	22	36.554
2	गोवर्धन ..	द्वादश शाखा, मथुरा	..	..	22	13.348
3	मथुरा ..	1—द्वादश शाखा, मथुरा	मथुरा	20.025	2	3.491
		2—प्रकल्प शाखा, मथुरा	वृन्दावन	3.730	..	..
		योग ..		23.755	2	3.491
4	मांट ..	1—द्वादश शाखा, मथुरा	..	..	15	10.332
		2—प्रकल्प शाखा, मथुरा	..	..	13	39.870
		योग ..		..	28	50.202

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
5	सादाबाद	.. 1—द्वादश शाखा, मथुरा		..	..	1	0.114
		2—पंचम अस्थाई निर्माण शाखा, मथुरा		सादाबाद	1.157	35	27.320
		योग ..			1.157	36	27.434
6	गोकुल	.. 1—प्रकल्प शाखा, मथुरा		..	..	15	14.520
		2—द्वादश शाखा, मथुरा	..		..	1	0.113
		3—पंचम अस्थाई निर्माण शाखा, आगरा		बल्देव नगर	3.877	12	14.510
		योग ..			3.877	28	29.143
		महायोग ..	4		28.789	138	160.172

(देखिए अता0प्र0सं0 100 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर।)

जनपद मथुरा में गन्ना विकास विभाग द्वारा वर्ष 1985--86 में ब्लाक वाइज निर्मित सड़कों का पूर्ण विवरण

योजना का नाम	क्रम-सं0	सड़क का नाम	विकास खण्ड	किस्म निर्माण (कि0मी0			कुल व्यय
				मिट्टी	खड़ंजा	पुलिया (संख्या)	(लाख रु0)
1		2	3	4	5	6	7
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	1--जैत स देवा आटस		मथुरा	3.25	..	3	1.106
	2--चौकीपुर से लौहा रा		फरह	2.00	..	2	0.646
	3--फरह-अछनेरा मार्ग से करनपुर		फरह	0.92	..	1	0.347
	4--मथुरा-आगरा मार्ग से रहीमपुर दौलतपुर होता हुआ फरह-आल मार्ग से मिलाना।		फरह	2.20	2.20	4	2.580
	5--आगरा-सादाबाद मार्ग से गोविन्दपुर		सादाबाद	0.76	..	1	0.301
	6--पटनौली से सैलखेड़ा		बल्देव	0.80	0.80	1	0.760
	7--नगलाबेरी से लक्ष्मीनगर		मांट	1.95	..	..	0.400
	8--सुरीर से सिहावन		नौहझील	2.65	..	2	0.796
	9--मड़सानी मनीलाबाल होते हुए अलीगढ़ रोड से मिलाना।		राया	3.10	..	3	1.046
	10--गावर्धन रोड पर रनवारी के पास से उमराया।		छाता	2.50	2.50	2	2.426
	11--शाहपुर मार्ग से नगला उटावर		छाता	0.45	..	1	0.196
	12--रूपनगर से धनौता		छाता	0.60	..	1	0.526
	13--सिरथला से पखरपुर		नन्दगांव	1.40	..	1	0.456
बाढ़ राहत	14--सुरीर से सिहावन		नौहझील	0.85	.	1	0 188
		योग		23 43	5 50	23	11.774

1	2	3	4	5	6	7
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना।	पुलिया निर्माण (अन्य सड़कों पर)	..		...	16	1.610
	महायोग		23.43	5.50	39	13.384
विभागीय (ग0वि0प0 छाता मथुरा के बजट से)	1—तरौली से अहूरी	छाता	..	0.775	2	1.180
					योग	14.564(*)

*(नोट—उपरोक्त के अतिरिक्त 1,08,888 कि0 ग्राम गेहू मजदूरी/राहत के रूप में वितरित किया गया।

पी0एस0 यू0पी0—एल0 178 विधान सभा (341)—1986—813।

उत्तर प्रदेश विधान सभा